"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2012—आश्विन 14, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 39/सी.एस.ई.आर.सी./2011.— विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 के क्र. 36) की धारा 43(1) सहपठित धारा 181(टी) धारा 44, धारा 46, सहपठित धारा 181(1) धारा 47(1) सहपठित धारा 181(व्ही), धारा 47(4) सहपठित धारा 181 (डब्ल्यू), धारा 47(2)(3) एवं (5), धारा 84(बी) एवं धारा 50 सहपठित धारा 181(एक्स) तथा धारा 56 में और भारत शासन के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत (कठिनाईयों को हटाना) आदेश 2005 दिनांक 08/06/2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति और उसकी प्रक्रियाएँ तथा देयक पद्धति, उसके भुगतान का स्वरूप, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों, कृत्यों और दायित्वों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को अधिशासित करते हुए निम्नलिखित संहिता बनाता है। यह संहिता ऐसे प्रक्रियाओं को भी उल्लेखित करता है जिन्हें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दक्षतापूर्ण, मूल्य प्रभावी तथा मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु अपनाना चाहिए।

अध्याय 1 : संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा समीक्षा प्रक्रिया

1.1 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के नाम से जानी जाएगी।

1.2 यह संहिता छत्तीसगढ़ राजपत्र में मूल अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।

1.3 यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी।

1.4 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी तथा उन सभी व्यक्तियों पर जो विद्युत वितरण के व्यवसाय में विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हों, उनके अभिकर्ताओं सहित विद्युत उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी। यह संहिता उन सब व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्ति लेने से विमुक्त किया गया हो।

1.5 इस संहिता तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण हेतु विनियम की समय–समय पर संशोधित प्रतियां अनुज्ञप्तिधारियों के पंजीकृत कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, वृत्त कार्यालयों, सम्भागीय कार्यालयों, वितरण केन्द्रों और अनुज्ञप्तिधारी अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में रखी जाएंगी।

विद्युत प्रदाय संहिता के समीक्षा हेतु तंत्र (मेकेनिज्म)

1.6 आयोग इस संहिता सहित उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण विनियम के नियमित रूप से समीक्षा हेतु एक विद्युत प्रदाय संहिता समीक्षा समिति (समीक्षा समिति) का गठन करेगी। समीक्षा समिति में इतनी संख्या में व्यक्ति होंगे जो आयोग के विचार में आवश्यक व पर्याप्त हो, जिन्हें आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(ए) राज्य के प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी

(बी) राज्य पारेषण यूटीलिटी (एस.टी.यू) या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

(सी) निम्नदाब उपभोक्ता, उच्चदाब उपभोक्ता, अति उच्चदाब उपभोक्ता तथा उनके संगठन व उपभोक्ता समूह तथा

(डी) गैर सरकारी संगठन सहित अन्य हितबद्ध समूह जैसा आयोग उचित समझे।

1.7 आयोग अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि में से एक को समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। अध्यक्ष अपने एक अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त करेगा। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी समीक्षा समिति को उनके कार्यों में निर्वहन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी।

1.8 समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

1.9 समीक्षा समिति का सदस्य सचिव बैठक आयोजित होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर बैठक की कार्यवाही विवरण आयोग को प्रेषित करेगा।

1.10 आयोग विद्युत प्रदाय संहिता को स्वप्रेरणा से अथवा समीक्षा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित कर सकेगा। तथापि संहिता में किसी भी प्रकार के संशोधन के पूर्व आयोग प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य पारेषण युटिलिटी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और आम जनता से सुझाव प्राप्त करेगा।

1.11 विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में बहुप्रसारित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा जिसमें उल्लेखित किया जाएगा कि संशोधित विद्युत प्रदाय की प्रतियां कंडिका 1.5 में दर्शाए कार्यालयों में क्रय हेतु उपलब्ध है।

अध्याय 2 : परिभाषाएँ

2.1 इस संहिता में जब तक संदर्भ अन्यथा न हो –

(ए) **"अधिनियम"** से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम 2003 (20 का क्रमांक 36) जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो।

(बी) **"अनुबंध"** से तात्पर्य इस संहिता के तहत अपने व्या रणीय विभेदों और समीपीय अभिव्यक्तियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य कि गए अनुबंध से है।

(सी) **"उपकरण"** से तात्पर्य है विद्युत उपकरण और इसमें सभी शीन पुर्जे, सहायक उपकरण और यंत्र सम्मिलित हैं जिसमें विद्युत चालकों का उपयोग किय जाता है।

(डी) **"आवेदक"** से तात्पर्य है किसी भूमि/परिसर के स्वामी या अधिशासी जो अधिनियम तथा उसके अनुसार बनाये गए संहिता नियम व विनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति हेतु, संविदा भार/मांग में वृद्धि या कमी, स्वामित्व में परिवर्तन, विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने या पुनर्संयोजित करने या अनुबंध समाप्त करने जैसा भी प्रकरण हो, या अन्य सेवा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।

(ई) **"आवेदन"** से तात्पर्य है आवश्यक भुगतान तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने संबंधी प्रपत्र सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे गए उपयुक्त प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र।

(एफ) **"आवेदन प्रपत्र"** से तात्पर्य है राशि के भुगतान पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे गए प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र।

(जी) **"आपूर्ति का क्षेत्र"** से तात्पर्य है वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के तहत विद्युत प्रदाय के लिए प्राधिकृत है।

(एच) **"औसत पॉवर फेक्टर"** से तात्पर्य औसत मासिक पावर फ्क्टर है, जिसे बिलिंग माह में प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटों को कुल किलो वोल्ट एम्पियर घंटों के अनुपात में प्रतिशत में दर्शाया जावेगा। इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में दर्शाया जावेगा। दशमलव के तीसरे स्थान पर पॉच या इससे अधिक संख्या होने पर उसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक बनाया जावेगा। यदि किलोवाट घंटों या किलो वोल्ट एम्पियर घंटों में वाचन सुविधा उपलब्ध न हो और यदि मीटर में किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव घंटे रिकार्ड करने की सुविधा हो तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव घंटों के वाचन के आधार पर औसत मासिक पावर फेक्टर की गणना की जावेगी।

(ई) **"बिलिंग माह या माह"** से तात्पर्य है माहवारी बिलिंग की स्थिति में बिल किये जाने के प्रयोजन हेतु ली गई क्रम से दो मीटर वाचन के बीच में लगभग 30 दिवस की अवधि।

() **"बिलिंग साइकिल"** से तात्पर्य है बिलिंग हेतु दो निकटवर्ती मीटर वाचन के मध्य 30 दिवस से अधिक की अवधि जैसे कि द्विमासिक/त्रैमासिक बिलिंग।

"ब्रेकडाउन या व्यवधान" से तात्पर्य है विद्युत लाइन सहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना जो सामान्य कार्यप्रणाली को रोक देती है।

(एल) **"संहिता या प्रदाय संहिता"** से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता जैसे कि समय–समय पर लागू हो।

(एम) **"आयोग"** अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।

(एन) **"चालक"** से तात्पर्य है ऐसा कोई तार, केबल, छड़, नली (ट्यूब), रेल (रेलपोल) या प्लेट जो विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त होता है तथा इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया हो ताकि इसे विद्युत प्रणाली से संयोजित किया जा सके।

(ओ) **"संयोजित भार"** से तात्पर्य है उपभोक्ता के परिसर में स्थित ऊर्जा खपत करने वाले उन सभी विद्युत उपकरणों के निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमतानुसार विद्युत भार का कुल योग जो एक साथ प्रयोग किये जा सकते हैं। इसके अभिव्यक्ति किलोवाट या हार्स पावर इकाई में की जावेगी और इसका निर्धारण इस संहिता के खंड 5.48 "स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण" में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(पी) **"संयोजन बिन्दु"** से तात्पर्य है वह बिन्दु जहाँ उपभोक्ता के स्थापना और/या संयंत्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से जुड़ते हैं।

(क्यू) **"उपभोक्ता"** से तात्पर्य है जैसा कि अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित है तथा इस संहिता के संदर्भ में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या जिसने विद्युत कनेक्शन लिया हो परन्तु जिसका विद्युत प्रदाय किन्हीं भी कारणों से फिलहाल काट दिया गया हो।

(आर) **"उपभोक्ता की स्थापना"** से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई जिसमें विद्युत तार, पुर्जे, मोटरें, चलित एवं स्थाई उपकरण शामिल होंगे जो उपभोक्ता द्वारा या उसके लिये उपभोक्ता के परिसर में स्थापित या तारों से जोड़े गये हैं।

(एस) **"संविदा भार या संविदा मांग"** से तात्पर्य है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर या हार्सपावर जैसा भी प्रकरण हो में अधिकतम विद्युत भार जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिये उपभोक्ता ने अनुबंध किया हो एवं जो अनुबंध में उल्लेखित हो।

(टी) **"कट आउट"** से तात्पर्य है कोई उपकरण जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय अवरूद्ध करता है एवं इसमें फ्यूज होने वाले तार का कट आउट भी सम्मिलित है।

(यू) **"कनेक्शन प्रदान करने की तिथि"** से तात्पर्य वह तिथि है जब अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना को मीटर लगाकर वितरण मेंस से जोड़ते हुए ऊर्जीकृत करता है।

(व्ही) **"अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि"** से तात्पर्य वह तिथि है जो उपभोक्ता को दी गई उसके परिसर तक विद्युत प्रदाय उपलब्धता की सूचना पत्र जारी होने के उपरांत निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए एक माह व उच्चदाब तथा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए तीन महीनों के बाद पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा संयोजन (कनेक्शन) जारी करने की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो।

(डब्ल्यू) **"मांग प्रभार"** से तात्पर्य किसी बिलिंग माह के लिए उपभोक्ता से बिलिंग मांग के आधार पर लिया जाने वाला वह प्रभार है, जिसकी गणना आयोग द्वारा अधिनियम के भाग VII के अंतर्गत पारित टैरिफ आंदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।

(एक्स) **"वितरण मेन्स"** से तात्पर्य वितरण प्रणाली का वह भाग है जिससे सर्विस लाइन जोड़ा गया हो या निकट भविष्य में जोड़ा जाने वाला हो।

(वाई) **"वितरण प्रणाली"** से तात्पर्य है वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तारों की प्रणाली तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण जो उपभोक्ता की स्थापना से जोड़ा गया हो या जोड़ा जाने वाला हो। जिसमें विद्युत लाइन, सब–स्टेशन, विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है जो कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु संधारित किये जाते है तथापि ऐसी लाइन, सब–स्टेशन या विद्युत संयंत्र चाहे उच्चदाब केबल या शिरोपरि लाइन हो या उनसे संबंधित हो अथवा प्रसंगवश अन्यों के लिए विद्युत पारेषण हेतु उपयोग में लाया जाता हो।

(जेड) **"भूयोजित या भूमि से संयोजित"** से तात्पर्य है भूमि से इस प्रकार संयोजित करना कि ऊर्जा का उन्मोचन (डिसचार्ज) सभी समय तत्काल एवं प्रभावी रूप से बिना खतरे के हो सके।

(एए) **"विद्युत निरीक्षक"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 54 में परिभाषित निरीक्षक से है।

(बीबी) **"विद्युत लाइन"** से तात्पर्य है कोई लाइन जो कि किसी भी प्रयोजन के लिए विद्युत प्रवाहित करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है:

(i) किसी लाइन का सपोर्ट (संबल) जैसे कि कोई ढांचा, टावर, पोल (खम्भा) या अन्य जिसमें से, जिसके ऊपर या जिससे होकर ऐसी लाइन लटकायी या ले जायी जाती है या ले जायी गई है।

(ii) कोई तंत्र जो कि विद्युत प्रवाहित करने हेतु ऐसी किसी लाइन से जुड़ी हो।

(सीसी) **"ऊर्जा"** से तात्पर्य ऐसी विद्युत ऊर्जा जो कि

(i) किसी उददेश्य के लिये उत्पादित, पारेषित या प्रदाय की जा रही हो। अथवा

(ii) जो संदेश प्रसारित करने के अलावा किसी और कार्य के लिये उपयोग की जा रही हो।

(डीडी) **"ऊर्जा प्रभार"** से तात्पर्य उस प्रभार से है जो कि टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा (किलोवाट घंटा या किलोवोल्ट एम्पियर घंटा) के आधार पर लगाया जाता है।

(ईई) **"अति उच्चदाब"** से तात्पर्य वह वोल्टेज है जो 33000 वोल्ट से अधिक हो तथा जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।

(एफएफ) **"फीडर"** से तात्पर्य है निम्नदाब, उच्चदाब या अति उच्चदाब वितरण लाइन (वितरक) जो कि सब–स्टेशन से निकलती है जिससे कि निम्नदाब, उच्चदाब या अति उच्चदाब उपभोक्ता संयोजित है।

(जीजी) **"स्थिर प्रभार"** से तात्पर्य है वह प्रभार जो कि आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी हेतु जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में प्रावधानित है।

(एचएच) **"हार्मोनिक्स"** से तात्पर्य है 50 हर्ट्ज की मौलिक विद्युत फ्रिक्वेंसी के एकीकृत गुणक सामयिक तरंग या घटक जिससे वोल्टेज या विद्युत धारा की शुद्ध सीनोसाइडल तरंग के आकार में विकृति आती है यह IEEE STD 519-1992, "IEEE रिकमेंडेड प्रक्टिसेस एंड रिक्वायरमेन्ट फार हारमोनिक कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम" से शासित होंगे और अधिनियम की धारा 185(2)(सी) के अधीन बनाये गये मापदंडों के अनुसार होंगे।

(आईआई) **"उच्चदाब"** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक की वोल्टेज जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।

(जेजे) **"स्वतंत्र/समर्पित (इण्डिपेंडेन्ट/डेडीकेटेड) फीडर"** से तात्पर्य है वह फीडर जिसका निर्माण किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह की राशि से किया गया हो तथा जिससे सिर्फ उस उपभोक्ता या उन उपभोक्ताओं के समूह को ही विद्युत प्रदाय किया जाता हो।

(केके) **"अनुबंध की प्रारंभिक अवधि"** से तात्पर्य है अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष का समय। अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि उस माह के अंतिम दिवस तक प्रभावी रहेगा जिस माह में दो वर्ष का अंतिम दिवस समाप्त होता है।

(एलएल) **"स्थापना"** से तात्पर्य है ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन, वितरण अथवा उपभोग में प्रयुक्त हो रही हो।

(एमएम) **"अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार"** से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा नियमन 2010 की कंडिका 29 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

(एनएन) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से तात्पर्य है जब तक अन्यथा न हो ऐसा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो।

(ओओ) **"लोड फैक्टर"** से तात्पर्य किसी समयावधि में खपत की गई कुल यूनिटों तथा संविदा मांग/स्वीकृत भार के उस अवधि में पूर्ण उपयोग होने की स्थिति में आकलित विद्युत खपत का अनुपात जिसे सामान्यतः प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाएगा।

$$\text{प्रतिशत में लोड फैक्टर} = \frac{\text{दिए गए समयावधि में खपत की गई विद्युत यूनिटों में} \times 100}{\text{स्वीकृत भार किलोवाट में} \times \text{दिये गये समयावधि में घंटों की संख्या}}$$

(पीपी) **"निम्नदाब"** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में वोल्टेज 230 वोल्ट से अधिक न हो तथा जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।

(क्यूक्यू) **"अधिकतम मांग"** से तात्पर्य उस मांग से है जिसकी गणना संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिये आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश के अनुसार हो।

(आरआर) **"मध्यम दाब"** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थितियों में 230 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट से अधिक न हो तथा जिसका प्रतिशत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।

(एसएस) **"मीटर"** से तात्पर्य है एकीकृत उपकरणों व यंत्रों का समूह जैसा कि आवश्यक हो जिसे किलोवाट घंटे, या किलोवोल्ट एम्पियर घंटों में, ऊर्जा, किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पियर में अधिकतम मांग, के.व्ही.ए.आर. घंटे में रिएक्टिव ऊर्जा इत्यादि को दिए गए समय में मापने और/या अंकित करने और/या संग्रहण करने हेतु प्रयुक्त किया जावे। इसमें पूर्ण (होल) करेंट मीटर सहित ऐसे मीटर या उसके मीटरिंग उपकरणों के यथा करेंट ट्रान्सफर्मर (सीटी), कैपासिटर वोल्टेज ट्रान्सफर्मर (सीव्हीटी), पोटेंशियल ट्रान्सफर्मर (पीटी) सहित केबल वायरिंग तथा परीक्षण व सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले अन्य साधन यथा टेस्ट टर्मिनल ब्लाक, स्विच, एमसीबी/लोड लिमिटर फ्यूज तथा उनके लगाने हेतु उपयोग किया गया बाक्स व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये जाने वाले सील व सीलिंग व्यवस्था भी सम्मिलित होंगे।

(टीटी) **"प्रदाय बिन्दु या आपूर्ति बिन्दु"** से तात्पर्य है उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्वीचगियर के लिये वितरण प्रणाली के आने वाले अंतिम छोर (इनकमिंग टरमिनल) का बिन्दु।

(यूयू) **"पावर फैक्टर"** से तात्पर्य है प्रत्यावर्ती धारा (अल्टरनेटिंग करेंट) सर्किट में वोल्टेज व विद्युत धारा (करेंट) व्हेक्टर के मध्य विद्युतीय झुकाव का कोसाइन (कोज्या)।

(व्हीव्ही) **"परिसर"** से तात्पर्य है भूमि, भवन, ढांचा का भाग या उनका संयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु अलग से मीटर या मीटरिंग व्यवस्था की गई हो।

(डब्ल्यूडब्ल्यू) **"ग्रामीण क्षेत्र"** से तात्पर्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

(एक्सएक्स) **"स्वीकृत भार"** से तात्पर्य है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर या हार्स पावर जैसा भी प्रकरण हो में भार जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के साथ अनुबंध की अनुपस्थिति में भी शासित नियम व शर्तों के अनुसार प्रदाय हेतु सहमत हुआ हो।

(वाईवाई) **"टैरिफ आदेश"** से तात्पर्य है अनुज्ञप्तिधारी के लिये आयोग द्वारा हाल ही में जारी आदेश जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से विद्युत प्रदाय हेतु बिल किये जाने वाले विद्युत दर का उल्लेख हो।

(जेडजेड) **"चोरी"** से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिभाषित विद्युत चोरी।

(एएए) **"पारेषण अनुज्ञप्तिधारी"** से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत पोरषण लाइन के निर्माण व संचालन हेतु अधिकृत करते हुए अनुज्ञप्ति जारी किया गया है।

(बीबीबी) **"पारेषण प्रणाली"** से तात्पर्य है ऐसी प्रणाली जिसमें अति उच्चदाब पर संचालित विद्युत लाईन सहित प्रणाली (जनरेटर को प्रणाली से जोड़ने के लिए समर्पित लाइनों को छोड़कर) जो कि एक पॉवर स्टेशन से किसी सब–स्टेशन यां दूसरे पॉवर स्टेशन या दो सब–स्टेशनों के मध्य या किसी बाह्य जुड़े उपकरण से वितरण प्रणाली तक जिसमें विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व व उपयोग होने वाले यंत्र, संयंत्र व मीटर सम्मिलित हो परन्तु किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित न हो।

(सीसीसी) **"शहरी क्षेत्र"** से तात्पर्य है नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत सहित नगरीय विकास अभिकरण, कन्टूनमेंट अभिकरण (सैनिक छावनी) एवं औद्योगिक प्रक्षेत्र या नगर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

2.2 उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त जो भी पारिभाषिक एवं अन्य शब्द इस संहिता में प्रयुक्त किये हैं, परन्तु इस संहिता में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य अधिनियम में दी गई परिभाषा से होगा, यदि वे अधिनियम में परिभाषित किये गये हों। अन्य परिभाषित शब्द, जो इस संहिता में उपयोग किये गये हैं परन्तु इस संहिता या अधिनियम में परिभाषित नहीं किये गये हैं, यदि उन्हें संसद द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू किसी अन्य विधि या अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित किये गये टैरिफ आदेश में दिया गया है, तो उनका तात्पर्य उस विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

उपर्युक्त के अधीन उपयोग किये गये पारिभाषित शब्द, जिन्हें विशेष रूप से इस संहिता या अधिनियम या संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का तात्पर्य ऐसे शब्दों की उस परिभाषा से होगा जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रयुक्त की जाती है।

अध्याय 3 : विद्युत प्रदाय प्रणाली तथा उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

आपूर्ति प्रणाली

3.1 प्रत्यावर्ती धारा (अल्टरनेटिंग करेंट/ए.सी.) की घोषित फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकेंड (हट्‌र्ज) होगी।

3.2 ए.सी आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :—

(ए) निम्न दाब (एल.टी)

(i) एकल फेज़ : 230 वोल्ट — फेज व न्यूट्रल के मध्य ;

(ii) तीन फेज़ : 400 वोल्ट — फेज़ों के मध्य ;

(बी) उच्च दाब (एच.टी) — तीन फेज : 11 के.व्ही या 33 के.व्ही फेजों के मध्य;

(सी) अति उच्च दाब (ई.एच.टी.) — तीन फेज़ : 132 के.व्ही या 220 के.व्ही. फेज़ों के मध्य रेल्वे ट्रेक्शन (कर्षण) हेतु दो फेज़ पर विद्युत प्रदाय हो सकती है।

3.3 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली को पारेषण प्रणाली के अनुसार आकल्पित एवं संचालित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु पर घोषित वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज की अनुमति निम्नलिखित स्थितियों के सिवाय नहीं देगा:—

(ए) निम्न दाब की दशा में घोषित वोल्टेज से 6 प्रतिशत से अधिक का अंतर;

(बी) उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर स्तर पर 6 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर स्तर पर 9 प्रतिशत से अधिक का अंतर ;

(सी) अति उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर स्तर पर 12.5 प्रतिशत से अधिक का अंतर।

उपर्युक्त से विलग कोई भी अनुमति केवल उपभोक्ता की लिखित सहमति अथवा आयोग के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी ।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज तथा संविदा मांग की सीमा

3.4 वोल्टेजवार न्यूनतम व अधिकतम संविदा मांग पर विद्युत आपूर्ति सामान्यतः निम्नानुसार होगी :—

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	—	3 किलोवॉट
400 वोल्ट	3 किलोवॉट से अधिक	100 हार्स पावर अथवा 75 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	500 के.व्ही.ए
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	10000 के.व्ही.ए
132 के.व्ही	4000 के.व्ही.ए	40000 के.व्ही.ए
220 के.व्ही	15000 के.व्ही.ए	150000 के.व्ही.ए.

परंतु यह कि तकनीकी कारणों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी आयोग से परामर्श कर, उपरोक्त प्रावधान शिथिल कर सकता है। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता की संविदा मांग यदि उपरोक्त दर्शित अधिकतम संविदा मांग से अधिक होती है तो उन्हें आयोग द्वारा प्रासंगिक टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

3.5 इस संहिता की कंडिका 3.4 में दर्शित न्यूनतम संविदा मांग ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र (जनरेटर) जिन्होंने स्टार्ट–अप पावर लिया है तथा केप्टिव जनरेटिंग प्लांट के ऐसे केप्टिव तथा नान–केप्टिव उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी जो इस संहिता की कंडिका 12.14 व 12.15 के अनुसार अपनी संविदा मांग किसी भी सीमा तक यथा शून्य तक कम कर सकते हैं।

3.6 रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन) के प्रकरण में इस संहिता की कंडिका 3.4 में दर्शित अधिकतम व न्यूनतम संविदा मांग की सीमाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता व साध्यता के आधार पर परस्पर सहमति से शिथिल किया जा सकता है।

हार्मोनिक्स

3.7 इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स (AIEEE) मानक 519 (1992) जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) टेक्नीकल स्टैंडर्ड आफ कनेक्टीविटी टू ग्रिड) नियमन 2007 (सीईए तकनीकी मान नियमन) भाग II की कंडिका 5 में अंगीकृत किया गया है के अनुसार हार्मोनिक्स में अधिकतम अनुमति योग्य सीमा निम्नानुसार है:–

(ए) वोल्टेज विकृति (डिस्टार्शन) सीमा (प्रतिशत में) – अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी

बस वोल्टेज	अधिकतम वैयक्तिक (इनडिवीजुवल) वोल्टेज विकृति	कुल अधिकतम वोल्टेज विकृति
33 के.व्ही. व 132 के.व्ही.	3.0	5.0
220 के.व्ही.	2.0	2.5
400 के.व्ही.	1.5	2.0

(बी) करेंट (धारा) विकृति (डिस्टार्शन) – उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी
संयोजन बिन्दु पर पारेषण प्रणाली से लिये जाने वाले करेंट (धारा) की कुल हार्मोनिक विकृति 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.8 वोल्टेज का असंतुलन यथा किसी भी दो फेज के मध्य वोल्टेज का अंतर 33 के.व्ही. तथा अधिक वोल्टेज के प्रकरण में प्रदाय बिन्दु पर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

भार का संतुलन

3.9 तीन फेज प्रदाय लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को अपने विद्युत भार इस प्रकार संतुलित करना चाहिए ताकि प्रत्येक फेज का भार और तीनों फेज के औसत भार का अंतर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

3.10 उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, टैरिफ और प्रत्येक वर्ग को लागू विद्युत आपूर्ति की शर्तें आयोग द्वारा समय–समय पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित टैरिफ आदेश या अन्यथा किये गये निर्धारण के अनुसार होगा। अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुरूप उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत या पुनवर्गीकृत कर सकेगा।

3.11 उपभोक्ताओं के वर्गीकरण एवं उपयुक्तता के लिए आयोग का स्पष्टीकरण अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता दोनों के लिए अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

अध्याय 4 : नए संयोजन (कनेक्शन) देने तथा वर्तमान में स्थित संयोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति के दायित्व

4.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिवासी (आक्यूपेंट) से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिसर को इस संहिता की कंडिका 4.58 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा, यदि :

(ए) विद्युत की आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य हो,

(बी) आवेदक द्वारा इस संहिता में विर्निदिष्ट प्रकिया का पालन किया गया हो, तथा

(सी) आवेदक इस संहिता में विर्निदिष्ट आपूर्ति के लिए विस्तार का मूल्य वहन करे।

उपरोक्त उल्लेखित आवेदन का आशय सभी संदर्भो में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित समुचित प्रारूप में प्रपत्रों सहित पूर्ण आवेदन से है जिसमें आवश्यक राशि के भुगतान संबंधी प्रपत्र सहित अन्य परिपालनों यथा अनुबंध करना व टेस्ट रिपोर्ट (परीक्षण प्रपत्र)/विद्युत निरीक्षक से अनुमति जैसा प्रकरण हो भी सम्मिलित है।

अनुज्ञप्तिधारी पर वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में हिस्सा

4.2 वर्तमान के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय हेतु प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व उन्नयन का खर्च अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जावेगा जिसे टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त किया जावेगा।

4.3 नये उपभोक्ताओं के मांग पूर्ण करने तथा वर्तमान उपभोक्ताओं के भार में वृद्धि हेतु प्रदाय बिन्दु तक वितरण मेंस के विस्तार तथा प्रणाली के उन्नयन का खर्च उपभोक्ता/आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा जब तक कि इस संहिता में विशिष्ट रूप से अन्यथा दर्शित न हो अथवा अधिनियम की धारा 46 के तहत आयोग द्वारा तत्संबंध में विविध तथा सामान्य शुल्क निर्धारित न किया गया हो।

4.4 किसी नए निम्नदाब औद्योगिक संयोजन (एल.टी. इण्डस्ट्रियल कनेक्शन) प्रदान करने अथवा वर्तमान निम्नदाब औद्योगिक संयोजन (एल.टी. इण्डस्ट्रियल कनेक्शन) के संविदा भार वृद्धि के मामले में विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि आवश्यक होने या अलग से ट्रांसफार्मर लगाये जाने की स्थिति में, उपभोक्ता द्वारा आवेदित भार के अनुपात में ही ट्रांसफार्मर का खर्च देय होगा। यदि सार्वजनिक भूमि पर उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव न हो तो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और स्विचगियर के लिए सुलभ पहुंच वाली भूमि/कक्ष बिना मूल्य उपलब्ध करायेगा जिसके लिये कोई भाड़ा या प्रीमियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं दिया जायेगा।

4.5 वितरण प्रणाली का विस्तार चाहे इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी जिसका संधारण (रखरखाव) अनुज्ञप्तिधारी अपने खर्चे पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह इस विस्तार कार्य का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति हेतु करे बशर्ते कि ऐसे उपयोग से पूर्व से ही वितरण नेटवर्क से संयोजित उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

4.6 जब अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति करने के लिये तैयार हो जाए तो वह निम्न दाब के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब के प्रकरण में तीन माह की सूचना (नोटिस) यह दर्शित करते हुए उपभोक्ता को प्रदान करेगा कि विद्युत उसके परिसर तक उपलब्ध करा दी गई है तथा उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त कर ले। सूचना व्यक्तिगत रूप से या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत

पोस्ट से प्रेषित किया जायेगा। यदि उपभोक्ता सूचना पत्र की अवधि के भीतर कनेक्शन लेने में असमर्थ होता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के अगले दिन से इस संहिता के प्रावधानों के भीतर प्रचलित टैरिफ आदेश में बिनिर्दिष्ट दर से देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

संयोजन प्रदान करने की शर्तें तथा उपभोक्ताओं का दायित्व

4.7 विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा स्वीकार्य मापदंड के अनुरूप सर्विस लाइन बिछायेगा। वितरण मेंस से प्रदाय बिन्दु तक जहॉ मीटर लगाया जाना हो तक के सर्विस लाइन की लम्बाई सामान्यतः 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्विस लाइन शिरोपरि या भूमिगत केबल हो सकेगी और उसमे किसी भी प्रकार का जोड़ मान्य नहीं होगा। सर्विस लाइन बिछाने के अतिरिक्त उपभोक्ता को सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन तथा अनुबंध शुल्क का भुगतान आवश्यक होगा। विद्युत भार वृद्धि के प्रकरण में जहॉ भी आवश्यक हो उपभोक्ता को सर्विस कनेक्शन केबल के परिमाण (साइज) में वृद्धि करनी होगी।

4.8 निम्न दाब संयोजन हेतु विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता हो या न हो सर्विस लाइन बिछाने का कार्य उपभोक्ता द्वारा अधिकृत अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठेकेदार से करा कर संयोजन प्रदान करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण प्रपत्र (टेस्ट रिपोर्ट) जमा करना होगा।

4.9 जहॉ विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता हो, उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत ले–आउट, ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार लाइन विस्तार कार्य अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से करा सकता है। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता, सामान की लागत व मजदूरी (लेबर चार्ज) पर आयोग द्वारा स्वीकृत निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा। विस्तार कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह लाइन अनुज्ञप्तिधारी के आधिपत्य में देना होगा तथा कनेक्शन प्रदान करने के पश्चात उक्त लाइन का स्वामित्व व संधारण कार्य अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

4.10 यदि उपभोक्ता लाइन विस्तार कार्य अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार से कराना चाहे तो उपभोक्ता स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत उत्पाद (मेक) तथा स्वीकृत वेंडर सूची से सामान खरीद सकता है अन्यथा गारंटी अवधि में किसी उपकरण के फेल (खराब) होने पर बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। सामग्री संबंधित बी.आई.एस. मानकों या उसके समतुल्य होने चाहिये तथा जहॉ लागू हो वहॉ आई.एस.आई. चिन्हित होने चाहिये। अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जॉच के लिए दस्तावेजी सबूत मांग सकता है। स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन इस संहिता की कंडिका 5.10 से 5.17 के अनुसार होना चाहिए।

4.11 जहॉ लाइन विस्तार कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जायेगा वहॉ कार्य इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समय सीमा में करना होगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की सूचना देकर विद्युत प्रदाय का आवेदन निरस्त कर सकता है।

नये कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया

विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन

4.12 विद्युत आपूर्ति के लिये आवदन जैसा भी प्रकरण हो संलग्नक -1 /संलग्नक 2 में दर्शित प्रारूप के अनुसार होगा जिसकी प्रतियॉ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर तत्काल पावती दी जावेगी। प्रपत्रों की छायाप्रति अथवा अनुज्ञप्तिधारी की बेवसाइट से प्राप्त की गई प्रतियां भी उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी और अनुज्ञप्तिधारी उन्हें स्वीकार करेगा।

4.13 परिसर, जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है पर अधिवासी व्यक्ति आवेदन में पूरा नाम, पोस्टल पता, दूरभाष/मोबाईल नंबर (यदि उपलब्ध हो), विद्युत प्रदाय बिन्दु आदि दर्शित करेगा। आवेदन पत्र भरने में आवेदक को कोई सहायता या जानकारी की आवश्यकता होने पर यह उपभोक्ता को उस कार्यालय से प्रदान किया जायेगा जहाँ आवेदन पत्र जमा होना है। परिसर पर अधिवासी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीन/उपकरणों के स्थापना तथा वायरिंग का कार्य, इसे करने के लिये अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से कराया जावे।

4.14 नये संयोजन अथवा विद्यमान कनेक्शन में परिवर्तन के आवेदन के लिए अनुज्ञप्तिधारी बेवसाइट, कॉल सेंटर के माध्यम से नयी प्रक्रियाएं भी अपनायेगा जिससे कि इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के साथ सम्पर्क की न्यूनतम आवश्यकता हो।

4.15 नये संयोजन हेतु आवेदन पत्र आवेदक के पहचान पत्र, उस परिसर जहाँ कि विद्युत संयोजन मांगा जा रहा हो के स्वामित्व, या अधिवासी होने के प्रमाण, आवेदक के वर्तमान पता तथा विशेष प्रकरण में इस संहिता की कंडिका 4.17 में दर्शित अन्य आवश्यक प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां निश्चित रूप से संलग्न होनी चाहिए।

4.16 नये कनेक्शन के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा निर्धारित रजिस्ट्री व प्रक्रिया शुल्क (रजिस्ट्रेशन–कम–प्रोसेसिंग चार्ज) लिया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह शुल्क भविष्य में जारी होने वाले बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि उपभोक्ता औपचारिकताएं पूरी नहीं करता और उसका आवेदन निरस्त किया जाता है तो प्रक्रिया शुल्क उपभोक्ता को वापस नहीं किया जावेगा।

पहचान के प्रमाण पत्र

निम्न में से कोई भी प्रपत्र पहचान के स्वीकार्य प्रमाण पत्र माने जायेंगेः–

(ए) यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो–

(1) मतदाता पहचान पत्र

(2) पासपोर्ट

(3) ड्राईविंग लायसेंस

(4) राशन कार्ड

(5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(6) पैनकार्ड

(7) सरपंच या ग्रामीण स्तर के शासकीय विभाग से संबंधित यथा पटवारी, पोस्टमास्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इंचार्ज से फोटो पहचान पत्र

(8) आधार कार्ड

(बी) यदि आवेदक कोई कम्पनी, ट्रस्ट, शिक्षा संस्थान, शासकीय विभाग आदि हो तो आवेदन पत्र संबंधित संस्थान के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा तथा संबंधित संस्थान के घोषणा पत्र (रिजाल्युशन)/अधिकार प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे।

विधिक स्वामित्व / अधिवासी का प्रमाण

निम्न में से कोई भी प्रपत्र विधिक स्वामित्व/अधिवासी होने के स्वीकार्य प्रमाण पत्र माने जायेंगे:—

(1) पंजीकृत विक्रय पत्र, भू–भाटक विलेख (लीज डीड) भागीदार विलेख (डीड), उत्तराधिकारी या वारिस होने का प्रमाण पत्र या वसीयतनामा की प्रति।

(2) पंजीकृत मुख्त्यारनामा

(3) तात्कालिक निगम टैक्स (संपदा कर) भुगतान की प्रति

(4) शासकीय प्राधिकरण/विभाग द्वारा भूमि/भवन के आवंटन पत्र

(5) गॉव के प्रकरण में सरपंच द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र

(6) शासकीय विभाग द्वारा जारी पटटा

(7) आवेदक यदि परिसर का स्वामी न होकर अधिवासी है तो आवेदन के साथ उपरोक्त 1 से 6 में से कोई भी प्रमाण पत्र सहित परिसर के विधिक स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(8) कृषि सिंचाई पंप के प्रकरण में जहॉ विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है उस भूमि का बी–1 सहित खसरा नक्शा की प्रति जिसमें भूमि के खसरा नंबर सहित स्थल जहॉ कुआं खोदा गया हो। नदी, नाला, तालाब से पानी लेने की स्थिति में सक्षम राजस्व अधिकारी से और भूमि के सामूहिक स्वामित्व के प्रकरण में आवेदक के नाम से अधिकार पत्र जमा करने होंगे।

वर्तमान पता का प्रमाण

निम्न में से कोई भी प्रपत्र पत्राचार के लिये वर्तमान पता स्वीकार्य प्रमाण माने जायेंगे:—

(1) मतदाता पहचान पत्र

(2) पासपोर्ट

(3) ड्राईविंग लायसेंस

(4) राशन कार्ड

(5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(6) प्रचलित बैंक एकाउण्ट पासबुक

(7) तात्कालिक जल/टेलिफोन/विद्युत/ गैस कनेक्शन बिल

(8) इंकम टैक्स असेसमेंट आदेश

4.17 जहॉ भी लागू हो उपभोक्ता आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रति भी संलग्न करेंगे:—

(ए) किसी विधिक नियमों के अधीन आवश्यक हो तो स्थानीय/विधिक प्राधिकारी का अनुमोदन/स्वीकृति। यह औद्योगिक, बड़े व्यवसायिक संयोजन व बहुउपभोक्ता परिसर (काम्पलेक्स) के लिये आवश्यक हो सकता है।

(बी) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख, आवेदक को आवेदन प्रपत्र एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु दिया गया अधिकार पत्र।

(सी) सार्वजनिक या निजी मर्यादित कम्पनियों के मामले में संस्था का ज्ञापन और संस्था की नियमावली और निगमन के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक को आवेदन प्रपत्र और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु उसके नाम से दिया गया अधिकार पत्र ।

(डी) जहॉ कही आवश्यक हो; वहॉ संबंधित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति यदि आवेदन प्रस्तुत करते समय उपलब्ध हो, अन्यथा यह संयोजन प्रदान करने के पूर्व जमा करना होगा।

(ई) लघु उद्योग की दशा में लघु उद्योग पंजीयन और अन्य उद्योग की दशा में उद्योग विभाग में पंजीयन की प्रति।

(एफ) स्टोन क्रशर, स्टोन पालिशिंग और हॉट मिक्स प्लांट को विद्युत आपूर्ति के आवेदनों की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी:–

(i) संबंधित विभाग से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य जो यह दर्शाता हो कि विद्युत की आपूर्ति कम से कम दो वर्ष के लिए आवश्यक होगी, और

(ii) आवेदक का स्थायी पता।

(जी) उद्योग के प्रकरण में विद्युत एवं प्रक्रिया की आवश्यकता से संबंधी परियोजना प्रतिवेदन का सुसंगत भाग।

(एच) उपभोक्ता यह भी बतायेगा कि लाईन विस्तार कार्य, यदि कोई हो स्वयं उसके द्वारा किये जायेंगे या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा।

(आई) आयोग द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया शुल्क जमा किये जाने का प्रमाण।

टीप:– सत्यापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है।

4.18 घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शन हेतु आवेदक, यदि परिसर के विधि सम्मत अधिवासी होने का सबूत देने में असमर्थ हो तो वितरण केन्द्र (लोकल ऑफिस) के प्रभारी द्वारा ऐसे सबूत की आवश्यकता को, लिखित रूप में इसके कारणों को दर्शाते हुए समाप्त किया जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में आवेदक, परिसर को विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली क्षति की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति तथा भविष्य में भूमिस्वामी द्वारा कोई अड़चन/एतराज करने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने अधिकृत करते हुए बंधपत्र निष्पादित करेगा। तथापि उन मामलों में, जहां लाइन का विस्तार भूमि पर किया जाना आवश्यक हो, उपभोक्ता भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा। ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा 90 दिन की औसत खपत के आधार पर सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं से जमा कराई जायेगी। इस प्रकार के परिसर में प्रदाय किये गये विद्युत कनेक्शन को, परिसर पर कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

4.19 यदि उपभोक्ता, किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम से निष्पादित किया गया था या उस फर्म या कम्पनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में संबद्ध रहा हो के नाम में निष्पादित किया गया था, पर उस परिसर जहां नवीन कनेक्शन का आवेदन दिया जाता है, अन्य बकाया राशि है और यह बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति का एक नई सम्पत्ति का अधिष्ठाता बनने पर, उसका यह दायित्व होगा कि आधिपत्य ग्रहण करने के पहले वह पूर्व महीनों के विद्युत बिलों की जांच करे अथवा आपूर्ति संयोजन के विच्छेदित रहने की स्थिति में

परिसर के अधिष्ठापन के शीघ्र पहले, अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों से बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करे और यह सुनिश्चित करे कि बिल में दर्शायी बकाया विद्युत राशि का निपटान एवं भारमोचन हो चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस परिसर में पूर्व में या वर्तमान में स्थापित कनेक्शन पर बकाया राशि का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर जारी करने तथा भुगतान पश्चात कनेक्शन चालू करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा।

4.20 (i) किसी उपभोक्ता को, उसके संपूर्ण परिसर के लिए किसी एक बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति की शर्तो एवं निबंधनों के उददेश्य से परिसर पृथक–पृथक जाने जावेंगे यदिः–

(ए) स्वामित्व विभिन्न व्यक्तियों का हो या यदि इसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पटटे पर लिया गया है तो यह संयोजन के समय कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिये वैध हो,

(बी) यदि घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को पृथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी संबंधित दस्तावेज हो,

(सी) ऐसे घरेलू परिसर जिसका कोई भाग गैर–घरेलू उददेश्य के लिये प्रयुक्त किया जा रहा हो, तथा

(डी) ऐसी औद्योगिक स्थापनायें जो विभिन्न उत्पादों का एकल उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उत्पादन नहीं करते हों और उनका भौतिक अस्तित्व पृथक एवं भिन्न हो।

(ii) प्रत्येक पृथक परिसर को पृथक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी। यह कि उच्चदाब उपभोक्ता उसी परिसर में अपने अति आवश्यक भार के लिए इस संहिता की कंडिका 4.40 में दर्शित प्रावधान के तहत अंलग से निम्नदाब कनेक्शन ले सकते हैं।

4.21 निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण व संबंधित प्रपत्रों सहित विद्युत प्रदाय के लिये उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन को प्रस्तुति दिवस पर आवेदन पत्र की प्राप्ति माना जायेगा।
उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात इस संहिता की कंडिका 6.4 व 6.5 के अनुसार सुरक्षा निधि सहित सभी शुल्कों के भुगतान पश्चात अनुबंध करने व अन्य दायित्व यथा परीक्षण प्रपत्र/विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जहां लागू हो इस संहिता की कंडिका 4.17 के अनुसार संबंधित प्रपत्रों की प्राप्ति को प्रस्तुति दिवस पर आवेदन की प्राप्ति माना जायेगा।

आवेदन पत्र पर कार्यवाही

4.22 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा सहपत्रों की जांच करेगा। सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शित करते हुए उपभोक्ता को लिखित पावती देगा। यदि आवेदन पत्र अपूर्ण है या उसमें इन्दाज सही नहीं है तो 5 कार्य दिवस के भीतर आवेदन पत्र की कमियां लिखित रूप में आवेदक को प्रेषित की जायेंगी। आवश्यक प्रपत्रों सहित सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण के प्रस्तावित दिवस की सूचना देगा जो कि शहरी क्षेत्र के लिए 2 कार्य दिवस व ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 कार्य दिवस होंगे।

4.23 अनुज्ञप्तिधारी सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का आवेदन पत्र रजिस्टर या डाटा बेस में स्थाई रिकार्ड रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को उनके प्राप्त होने के क्रमानुसार (पहचान हेतु) स्थाई आवेदन पत्र क्रमांक दिये जायेंगे। विभिन्न श्रेणियों के आवेदन पत्र जैसे जिसमें लाइन विस्तार कार्य करने की आवश्यकता है व जहां लाइंन विस्तार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है के लिए अलग–अलग

रजिस्टर/डाटाबेस रखना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक आवेदन पत्र पर अदिनांक तक (अपडेटेड) स्तरवार की गई कार्यवाही दर्शित करते हुए रजिस्टर/डाटाबेस रखना होगा।

4.24 परिसर के निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से चर्चा कर प्रदाय बिन्दु व स्थान जहां मीटर लगाया जायेगा तय करेगा। यह कि सर्विस लाइन पहुंच स्थान तक खींचा जायेगा व मीटर इस संहिता की कंडिका 8.9 व 11.64 के अनुसार परिसर के प्रवेश स्थल पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह वर्षा आदि में सुरक्षित रहे तथा परिसर को बिना खुलाये या बिना ताला खुलाये मीटर रीडिंग (वाचन) लिया जा सके।

4.25 यदि आवेदन पत्र में सही रूप से पोस्टल पता नहीं लिखा है तो अनुज्ञप्तिधारी सही पोस्टल पता दर्ज करेगा तथा परिसर के पास के मुख्य लैंडमार्क (चिन्हित स्थल) सहित पोल नंबर जहां से सर्विस तार खींचा जाना हो भी दर्ज करेगा।

4.26 उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के वितरण मेन से खींची जाने वाली सर्विस लाईन किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर वितरण लाईन का निर्माण करने या सर्विस लाईन डालने के लिए आवश्यक पहुंच रास्ता (वे–लीव) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को देगा। जब तक वे लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था हो नहीं जाती अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा। वे–लीव अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आपूर्ति लाईन डालने में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वे–लीव की पर्याप्तता व प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं होगी, यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी।

4.27 वे–लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सर्विस लाईन में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा नई सर्विस लाईन के प्रावधान, जो इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो जाये, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा। भुगतान न होने या भुगतान में विलम्ब की दशा में उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित किये जाने योग्य होगी।

4.28 विद्यमान लाईन से विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में 5 कार्यकारी दिवस और ग्रामीण क्षेत्र में 7 कार्यकारी दिवस के भीतर सुरक्षा निधि व सर्विस कनेक्शन शुल्क तथा अन्य कोई लगने वाली शुल्क जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करेगा। शुल्क की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करना होगा तत्पश्चात सर्विस कनेक्शन तार बिछाने का कार्य किया जा सकता है। मांग पत्र में यह दर्शित होना चाहिये कि भुगतान करने के पश्चात उपभोक्ता आवश्यक अनुबंध (एग्रीमेन्ट) करे तथा कनेक्शन (संयोजन) लेने हेतु सर्विस लाईन बिछाने के पश्चात परीक्षण प्रपत्र (टेस्ट रिपोर्ट) जमा करे।

4.29 यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वितरण लाइन का विस्तार करना आवश्यक हो तो वितरण लाइन के विस्तार की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 10 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे 15 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित तथा अन्य औपचारिकताओं को सूचित करेगा। आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा जिसके बाद ही सर्विस लाईन डालने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित मांग पत्र में यह भी दर्शित करेगा कि राशि भुगतान पश्चात उपभोक्ता अनुबंध करे व कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सर्विस लाइन खींचने के पश्चात परीक्षण पत्र प्रस्तुत करे।

4.30 उपभोक्ता द्वारा 15 दिवसों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा अन्यथा जिसमें विफल रहने पर उसका आपूर्ति का आवेदन पत्र सूचना देते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। उसके बाद उपभोक्ता को प्रक्रिया फीस सहित नया आवेदन पत्र देना होगा।

4.31 सुरक्षा निधि सहित आवश्यक राशि के भुगतान तथा अनुबंध करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी वितरण लाईन विस्तार कार्य प्रारम्भ करेगा। विस्तार कार्य अधिकतम निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में (पंप को छोड़कर) 60 दिन में, उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 90 दिन तथा अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 180 दिन में पूर्ण करेगा। कृषि पंप के प्रकरण में यह अवधि उपभोक्ता परिसर तक जहां खेतों तक पहुंच हो 90 दिन तथा जहां पहुंच न हो 180 दिन होगा। आवश्यक पहुंच रास्ता (वे–लीव) स्वीकृति की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर होगी। अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करने पर तथा संयोजन प्रदान करने हेतु तैयार होने पर इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार उपभोक्ता को सूचना (नोटिस) जारी करेगा।

4.32 कार्य की प्राक्किलत राशि के भुगतान पश्चात यदि लाईन विस्तार कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है तो कार्य पूर्ण होने के 90 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य में हुए वास्तविक राशि का आकलन कर उपरोक्त निर्धारित समय में अतिरिक्त राशि यदि लिया गया निकलता है तो वापस करेगा। वापसी में देर होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापस होने योग्य राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश पर ब्याज देना होगा। इस कार्य हेतु इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार नोटिस जारी करने की तिथि कार्य पूर्ण होने के तिथि मानी जायेगी ।

यदि किया गया वास्तविक खर्च प्राक्लित व लिए गए राशि से अधिक पाया जाता है तो अंतर की राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य होगी। यदि उपभोक्ता यह राशि जमा नहीं करता तो आवश्यक नोटिस के पश्चात उक्त राशि नियमित मासिक बिल में जोड़ दिया जायेगा व वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

4.33 यदि उपभोक्ता निरीक्षण शुल्क जमा कर लाईन विस्तार कार्य स्वयं करना चाहता है तो उपभोक्ता आवश्यक निरीक्षण हेतु कार्य प्रारम्भ होने की अग्रिम लिखित सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगा। उपभोक्ता कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आवश्यक विधिक अनुमति प्राप्त करेगा। उपभोक्ता भी इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समयावधि में लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करेगा तथा कार्य पूर्ण होने की लिखित सूचना अनुज्ञप्तिधारी को देगा।

निम्नदाब संयोजन प्रदाय करना

4.34 परीक्षण प्रपत्र व अन्य आवश्यक विधिक अनुमति तथा जानकारी प्राप्त होने पर कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापना कार्य व सर्विस लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है, यदि निरीक्षण की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी 3 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को निरीक्षण/जांच दिवस की सूचना देगा। ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी सेन्ट्रल एलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी (मेटर्स रिलेटिंग टु सेप्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम) के विनियम 31 के अनुसार आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और उसके विद्युत ठेकेदार के समक्ष निरीक्षण व परीक्षण कार्य करेगा। निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी यदि कोई त्रुटि (जैसे कि उपभोक्ता का स्थापना कार्य पूर्ण न हुआ हो, तार के खुले सिरे या जोड़ इन्सुलेटिंग टेप से सही ढंके न हो, की गई वायरिंग जीवन/सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो) पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदक को यथासम्भव स्थल पर ही उपयुक्त पावती के साथ देना चाहिए।

4.35 आवेदक इस संहिता की कंडिका 4.34 के अनुसार उल्लेखित त्रुटियों की सूचना प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के भीतर ठीक कर अनुज्ञप्तिधारी को पावती सहित लिखित सूचना देगा। यदि

आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने या उपरोक्त समयावधि में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में विफल रहता है तो आवेदन पत्र शून्य माना जायेगा तथा आवेदक को नये रूप से आवेदन करना होगा। यदि आवेदक त्रुटि की सूचना प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर लिखित निवेदन करता है तो अनुज्ञप्तिधारी कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दे सकता है।

4.36 आवेदक से त्रुटि दूर होने की सूचना प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी आवेदक से स्थल पर ही चर्चा कर पुनर्निरीक्षण की तिथि तय कर लिखित पावती सहित सूचित करेगा। पुनर्निरीक्षण, जानकारी प्राप्त होने व आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात की तिथि से शहरी क्षेत्र में 3 कार्य दिवस व ग्रामीण क्षेत्र में 5 कार्य दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।

4.37 यदि पुनर्निरीक्षण में पूर्व में उल्लेखित त्रुटियां यथावत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी उन्हें पुनः रिकार्ड करेगा और उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को प्रदान करेगा, तब आवेदन पत्र शून्य माना जावेगा और इसकी लिखित सूचना आवेदक को पावती सहित दी जावेगी।
यदि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के इस कार्य से असंतुष्ट हो तो वह संबंधित विद्युत निरीक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

4.38 परीक्षण के परिणाम से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर स्थापित व सील कर इस संहिता में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर संयोजन प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर बाक्स के भीतर मीटर स्थापित किया जावेगा।

4.39 सर्विस कनेक्शन, ट्रांसफार्मर व पावर लोड हेतु अनुशंसित परिमाण (साइज) व रेटिंग संलग्नक 10 में दर्शित है। सर्विस कनेक्शन हेतु एक फेज कनेक्शन के लिए ट्विन कोर (दो कोर) तथा तीन फेज कनेक्शन के लिए 4 कोर केबल का उपयोग करना चाहिए।

4.40 उच्चदाब उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उच्चदाब औद्योगिक संयोजन के परिसर में अलग से एक स्वतंत्र निम्नदाब संयोजन प्रदान कर सकता है ताकि आकस्मिक स्थिति में जब उच्चदाब कनेक्शन में विद्युत उपलब्ध न हो तो उसके अत्यावश्यक भार की मांग की पूर्ति की जा सके जिसकी शर्ते निम्नलिखित होंगी:

(i) अधिकतम अनुमति योग्य भार 20 किलोवाट

(ii) बिलिंग गैर घरेलू दर पर

(iii) प्रचलित नियम के अनुसार उपभोक्ता को लाइन विस्तार कार्य सहित सर्विस कनेक्शन शुल्क व सुरक्षा निधि आदि आवश्यक राशि भुगतान करने होंगे।

(iv) निम्नदाब संयोजन उस स्थापना से जहां से उच्चदाब संयोजन से विद्युत का उपयोग हो रहा है से अलग व दूर होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में उसे उच्चदाब स्थापना से अंतःसंबंधित (इन्टरकनेक्टेड) नहीं होना चाहिए।

(v) उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार इस प्रकार की अचूक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक आपूर्ति से दूसरे में फीड बैक होने की सम्भावना न हो। फीड बैक की सम्भावना की स्थिति में निम्नदाब कनेक्शन विच्छेदित किया जा सकता है।

(vi) इसके लिए अलग से निम्नदाब अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध में कंडिका 4.40 की उपकंडिका (iv) व (v) की शर्ते समाहित होंगी।

(vii) निम्नदाब संयोजन तभी प्रदाय किया जायेगा जबकि उच्चदाब कनेक्शन के विरूद्ध कोई भुगतान बकाया न हो।

उच्च व अति उच्चदाब संयोजन प्रदाय करना

4.41 उच्चदाब/अति उच्चदाब पर विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी 5 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को आवेदित संयोजन के साध्यता को जॉच के लिए स्थल निरीक्षण के दिनांक की लिखित सूचना देगा। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अति उच्चदाब पर आपूर्ति या अति उच्चदाब उपकेन्द्र (सब–स्टेशन) से सीधे संयोजन होने की स्थिति में उपभोक्ता आवेदन पत्र की एक प्रति साथ ही पारेषण कम्पनी को भी प्रेषित कर सकता है। वितरण व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे तथा आपूर्ति की साध्यता की जांच सहित, स्थान जहॉं से लाईन विस्तार कार्य प्रारम्भ करना है, आपूर्तिकर्ता की लाइन के परिसर में प्रवेश का स्थान आपूर्तिकर्ता के मीटर, मीटरिंग व अन्य उपकरण लगाने का स्थान निर्धारित करेंगे। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर संयोजन की साध्यता या अन्यथा के बारे में सूचित करेंगे तथा साध्यता रिपोर्ट जारी करने के 60 दिवस के भीतर प्राक्कलन स्वीकृत कर देय राशि हेतु मांग पत्र जारी करेंगे। उच्चदाब लाइन विस्तार हेतु आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार (लोड) स्वीकृत कर उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा निधि जमा करने व अनुबंध करने हेतु मांग पत्र जारी करेंगे।

4.42 जहां उच्चदाब कनेक्शन वितरण प्रणाली से सम्बद्ध होना है के लिए साध्यता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी होना है। पुनश्च साध्यता प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी प्राक्कलन स्वीकृत कर सुरक्षा निधि तथा अनुबंध आदि शुल्क दर्शित करते हुए मांग पत्र जारी करेगा। परिसर में प्रवेश स्थल पर मीटर इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि वह वर्षा आदि से सुरक्षित रहे तथा बिना परिसर को खोले (ताला सहित) रीडिंग (वाचन) के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध रहे। उच्चदाब संयोजन का अंतिम स्पान एरियल बंच केबल युक्त रहेगा तथा उच्च व अति उच्चदाब दोनों संयोजनों में सीटीपीटी व मीटर का संयोजन आर्मर्ड केबल के माध्यम से होगा।

4.43 उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सामान्यतः ऐसे फीडर (संभरक) से दी जायेगी जो कि विशेष कर उद्योगों के लिए निर्धारित हो। ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं जो सतत प्रक्रिया (कन्टीनुअस प्रोसेस) श्रेणी के अंतर्गत आते है अथवा जिनका भार 3 एम.व्ही.ए. या उससे अधिक हो के प्रकरण में विद्युत आपूर्ति समीपस्थ 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब सब–स्टेशन से पृथक फीड़र के माध्यम से किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी। किसी भी दशा में दो अति उच्चदाब सब–स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रंक लाइन से किसी उपभोक्ता को आपूर्ति नहीं की जायेगी।

4.44 33 के.व्ही. व 11 के.व्ही. दोनों के उच्चदाब उपभोक्ताओं को सामान्यतः विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से नहीं की जायेगी। यदि आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा कि प्रणाली की परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण फीडरों की आपूर्ति को प्रतिबंधित व विनियमित किया जा सकता है। ऐसे उपभोक्ता आपूर्ति में प्रतिबंधों के लिए अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करने का एक बंध पत्र अनुज्ञप्तिधारी को देंगे।

4.45 उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता आपूर्ति बिन्दु पर CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010 के विनियम 35 के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण लगायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी के सुरक्षा प्रणाली से उपभोक्ता के सुरक्षा प्रणाली का समन्वयन (कोआर्डीनेशन) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत किया जायेगा। मीटर व उससे संबंधित उपकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति बिन्दु पर स्थापित किया जायेगा।

4.46 उच्चदाब (33 के.व्ही. व 11 के.व्ही.) उपभोक्ता के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के उच्चदाब के वाइंडिंग डेल्टा व निम्नदाब के वाइंडिग स्टार व्हेक्टर ग्रुप के होंगे तथा न्यूट्रल टरमिनल पूर्णरूपेण भूयोजित होंगे। ट्रांसफार्मर प्रथमतः (प्रिफरेवली) ऊर्जा कुशल हो सकते हैं।

4.47 उपभोक्ता अपने परिसर में स्थापना कार्य पूर्ण कर उसके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत निरीक्षक का अनुमति पत्र तथा जहां आवश्यक हो पर्यावरण संबंधी अनुमति पत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करेंगे। खदानों के प्रकरण में इन्सपेक्टर आफ माइन्स के अनुमति प्रस्तुत करने होंगे।

उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की क्षति

4.48 मीटर तथा अन्य उपकरण किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये (handle) या हटाये नहीं जायेंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि न हो । सीलें, जो कि मीटर/मीटरिंग उपकरण, तथा मीटर बाक्स पर लगी हों, किसी भी कारण से छेड़ी, नष्ट अथवा तोड़ी नहीं जायें । उपभोक्ता के परिसर में लगे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा मीटर/मीटरिंग उपकरणों पर लगी सीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी ।

4.49 यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के किसी कार्य, उपेक्षा अथवा गलती से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लागत, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताई जायेगी, का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग के 30 दिनों के भीतर यदि उपभोक्ता इसका भुगतान नहीं करता है तो इसे आपूर्ति के अनुबंध की शर्तो और निबन्धन का उल्लंघन माना जायेगा तथा समुचित सूचना के बाद आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी । हालांकि, उपभोक्ता इस संहिता की कंडिका 10.19 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्संयोजन के पूर्व संदर्भित टैरिफ आदेश के अनुसार लंबित प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होगा ।

समर्पित फीडर (संभरक) :–

4.50 ऐसे उपभोक्ता जो समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर की सुविधा चाहते हों वे इस सुविधा के लिये अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन कर सकते हैं । समर्पित फीडर को विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक विस्तारित किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को समर्पित फीडर की लागत के अलावा फीडर हेतु पावर उपकेन्द्र में लगने वाले स्ट्रक्चर (बे), सुरक्षा उपकरण (प्रोटेक्शन स्विच गेयर) तथा इसके उपस्करों की लागत वहन करनी होगी । आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, समर्पित फीडर की उपयोगिता के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा। ऐसा समर्पित फीडर अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी और उसका रख–रखाव अनुज्ञप्तिधारी करेगा। फीडर के चालू होने के दिनांक से दो वर्ष की प्रारंम्भिक अवधि में इससे बिना उस उपभोक्ता की लिखित सहमति के जिसने लाइन व बे हेतु राशि जमा की है किसी अन्य उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं किया जावेगा।

निम्नदाब संयोजन के लिए प्रकाश व पंखे का भार आकलन का आधार:-

4.51

(1) किसी भवन/भवनों के समूह या बहुउपभोक्ता परिसर के भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे;

(i) आवासीय परिसरों के लिए भार

प्रत्येक 400 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 किलोवाट

परन्तु राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत आर्थिकरूप से कमजोर वर्गों के लिये निर्मित होने वाले मकानों के लिये भार का आंकलन निम्नानुसार किया जावेगाः—

400 वर्गफीट तक के निर्मित क्षेत्र के लिए यदिः—

(ए) वह नगर निगम क्षेत्र में हो	1 किलोवाट
(बी) वह नगर पालिका क्षेत्र में हो	0.75 किलोवाट
(सी) वह नगर पंचायत / ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो	0.50 किलोवाट

(ii) गैर—आवासीय परिसरों के लिए

(ए) प्रत्येक 200 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए	1 किलोवाट
(बी) स्कूल / गोदाम / शेड के प्रत्येक 1000 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए	1 किलोवाट

(2) हाउसिंग कालोनी एवं उनके गैर—आवासीय भूखण्डों जो हाउसिंग कालोनी में है, के भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे;

(i) आवासीय कालोनियों के लिए

प्रत्येक 500 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्र या उसके भाग के लिए	1 किलोवाट

(ii) गैर—आवासीय भूखण्ड के लिए

प्रत्येक 200 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए	1 किलोवाट

टीपः—

(i) भार आकलन हेतु उपरोक्त मानंदण्ड डिमांड आधारित संयोजन हेतु प्रयुक्त नहीं होंगे।

(ii) भार का आंकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।

(iii) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट,वाटर पम्प,सड़क बत्ती आदि के लिए डेवलपर / बिल्डर / संस्था / उपभोक्ता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भार लिया जाएगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया उपभोक्ता / बहुउपभोक्ता परिसरों / आवासीय कालोनी के भार आकलन में एकरूपता लाने तथा उसके लिए अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार करने के उद्देश्य से है; तथापि सुरक्षानिधि इत्यादि उपभोक्ता द्वारा प्रतिवेदन में बताये गये विद्युत भार के अनुसार परिगणित की जाएगी।

(v) भार की गणना के लिए आवासीय बहुउपभोक्ता परिसरों के प्रकरण में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के निर्मित क्षेत्र लिये जाएगे जबकि गैर—अधिवासीबहुउपभोक्ता परिसरों के लिए परिसर का संपूर्ण निर्मित क्षेत्र लिया जावेगा।

(vi) तथापि आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार आकलित भार से अधिक के लिए आवेदन दे सकता है और ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आवेदित भार के अनुसार होगा।

4.52 बहुउपभोक्ता परिसर एवं हाउसिंग कॉलोनी को आपूर्ति की विशेष शर्ते

(i) नई विद्युत आपूर्ति देने के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक कनेक्शन दिये जाने हों एवं कंडिका 4.51 के अनुसार आंकलित कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को विद्युत प्रदाय हेतु बहुउपभोक्ता' परिसर माना जायेगा। बहु–उपभोक्ता परिसर में आवासीय, गैर–आवासीय और वाणिज्यिक परिसर, हाउसिंग कालोनी, कार्यालय परिसर, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान भी सम्मिलित होंगे।

(ii) बहुउपभोक्ता परिसर को पर्याप्त क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा , जो 100 के. व्ही. ए. से कम नहीं हो, विद्युत आपूर्ति की जावेगी। 11 के. व्ही. की लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर व निम्नदाब लाईन/ केबल के विस्तार कार्य की लागत डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी, जो संयोजन हेतु आवेदन देगा। आवेदक वितरण ट्रांसफार्मर लगाने हेतु बिना किसी मूल्य के स्थल प्रदाय करेगा।

(iii) यदि आवेदक ट्रांसफार्मर सबस्टेशन निर्माण हेतु खुले में स्थान प्रदान नहीं कर सकता या यदि आवेदक भवन के भीतर ट्रांसफार्मर स्थापित करना चाहे, तो वह ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मीटर के लिये आवश्यक स्थान निःशुल्क उपलब्ध करायेगा जिसके लिये कोई किराया या प्रीमियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में ट्रांसफार्मर सूखे (ड्राई) टाइप तथा ऊर्जा दक्षता युक्त होना चाहिए तथा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(iv) यदि ऐसा आवेदक 11 के. व्ही लाईन एवं/अथवा निम्नदाब लाईन भूमिगत केबल के द्वारा लगना चाहे तो उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुसरण की शर्त पर उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।

(v) यदि ऐसा उपभोक्ता 11/0.4 के. व्ही के 315 के. व्ही. ए. से अधिक का ट्रांसफार्मर विशेष प्रकार के सुरक्षा उपकरण (आई. एस. आई. मार्क के साथ) के साथ उपलब्ध कराना चाहे, तो उसे समान क्षमता की एक अतिरिक्त ईकाई स्थापित करनी होगी। आवेदक को 11 के.व्ही. तथा निम्नदाब लाइन/केबल तथा सबस्टेशन बे (यदि कोई हो) वितरण ट्रांसफार्मर आदि के निर्माण कार्य का खर्च वहन करना होगा।

(vi) यदि बहुउपभोक्ता परिसर/हाउसिंग कालोनी का कंडिका 4.51 में यथा–निर्धारित कुल भार, सभी चरणों को सम्मिलित करने पर 1500 किलोवॉट से अधिक हो तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि, जो 40X30 मीटर से कम नहीं होगी, रू. 1 के प्रतीकात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगा। स्थल का चयन आवेदक से परामर्श कर क्षेत्र के प्रभारी यंत्री द्वारा किया जावेगा।

(vii) अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त विद्युत भार आवश्यकता के कारण यदि कोई भवन/भवनों का समूह या आवासीय कॉलोनी बहुउपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आता है और यदि ऐसे भवन/भवनों को आपूर्ति प्रदान करने हेतु पर्याप्त क्षमता का पृथक वितरण ट्रांसफार्मर पूर्व में उपलब्ध न कराया गया हो तो वह आवेदक द्वारा मूल्य वहन करने पर उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु यदि विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की क्षमता का वर्धन आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपभोक्ता द्वारा लागत वहन किये जाने पर, ऐसा किया जा सकेगा। यदि बहुउपभोक्ता परिसर/आवासीय कॉलोनी के सभी फेज का भार [वर्तमान तथा निकटवर्ती प्रस्तावित (adjacent proposed)] 1500 किलोवाट से अधिक होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी

द्वारा 33/11 के.व्ही. के सबस्टेशन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि जो 40x30 मीटर से कम न हो रू. 1 के प्रतीकात्मक प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगा।

4.53 अपूर्ण विकसित कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति – विशेष प्रावधान।

ऐसे कई मामले हैं जहाँ किसी डेव्हलपर/बिल्डर या डेव्हलपरों/बिल्डरों के समूह द्वारा भूखण्डों या भवनों का अंशतः अथवा पूर्णतः विकास और निर्माण किया गया है, परन्तु उसके लिए राज्य शासन/स्थानीय निकायों/सक्षम प्राधिकारियों से समुचित विधियों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमति/सहमति नहीं ली गई है और लाइन विस्तार कार्य नहीं कराया गया है। ऐसे मामलों में सामान्यतः भूखण्डों/भवनों का क्रेता व्यक्ति विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दे सकता है। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता/आवेदक को परिसर/कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के आनुपातिक व्यय के भुगतान के बाद विद्युत संयोजन दिया जा सकता है। एकल फेज और तीन फेज संयोजनों के लिए आनुपातिक लागत की परिगणना अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में हाउसिंग कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के विद्युतीकरण पर पूर्व में हुये व्ययों के औसत के आधार पर की जावेगी। आयोग द्वारा समय–समय पर ऐसे प्रभारों का निर्धारण किया जावेगा। ऐसी कालोनियों के विद्यमान आवेदक (को) को संयोजन जारी करने के लिए आवश्यक सभी विस्तार कार्य, जिसमें 11 के.व्ही लाइन का विस्तार और ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना भी सम्मिलित है के कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत भुगतान किये जाने की शर्त पर किया जावेगा। यदि आवेदक(कों) द्वारा देय राशि विस्तार कार्य की लागत के 25 प्रतिशत से कम हो तो आवेदकगण शेष राशि अपने भूखण्ड के क्षेत्रफल के लोड के अनुपात में वहन करेगें ताकि अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य कर सके। उस कॉलोनी में भविष्य में आने वाले कनेक्शन के लिए आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित निर्माण/विस्तार शुल्क का भुगतान करना होगा, भले ही उसके लिए लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो ताकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में किये गये खर्च की क्षतिपूर्ति किया जा सके। तथापि यदि आगे आने वाले आवेदकों के लिये लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता होती है यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

इस संबंध में एक उदाहरण संलग्नक 13 (ए) में दर्शित है।

4.54 निम्नदाब कृषि/सिंचाई पंप को विद्युत आपूर्ति – विशेष शर्ते

(i) किसी पंजीकृत सहकारी समिति या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्य किसी किसानों के समूह को किसी एक बिन्दु पर कृषि/सिंचाई पम्प सेटों के लिए विद्युत प्रदाय की जावेगी।

(ii) आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर खर्च की वह सीमा निर्धारित की जावेगी, जहाँ तक कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा। आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होने वाले व्यय को उपभोक्ता वहन करेगा।

(iii) यदि लाइन का विस्तार आवश्यक पाया जावे तो निरीक्षण से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को यह सूचना दी जावेगी कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी निधि से कार्य प्रारंभ करेगा अथवा अतिरिक्त लागत की राशि उपभोक्ता द्वारा जमा कराये जाने के बाद कार्य प्रारंभ होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त राशि जमा कराया जाना आवश्यक हो तो उसे पत्र द्वारा वह निश्चित राशि सूचित की जावेगी जो उसके द्वारा जमा की जानी हो।

(iv) यदि राज्य शासन कृषि पम्पों को विद्युत आपूर्ति हेतु लगने वाली अतिरिक्त लागत को पूर्णतः या अंशतः वहन करना चाहे तो ऐसी सबसिडी की राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास अग्रिम में जमा करानी होगी। अनुज्ञप्तिधारी भी सिंचाई पम्पों को विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वितरण

लाइनों का विस्तार और/या वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य राज्य या केन्द्र शासन या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की किसी योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधार पर कार्य करने की सम्भावनायें तलाश करेगा।

4.55 सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति – विशेष शर्ते

(i) सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 1) में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक सड़क बत्तियों के रख–रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन (जिसे सार्वजनिक सड़क बत्तियों के संदर्भ में आगे सामान्यतः " स्थानीय निकाय" कहा जायेगा) के द्वारा दिया जायेगा।

(ii) सड़क बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं वहां के विद्यमान या नवीन खंबों की संख्या जहां सड़क बत्तियों की आवश्यकता है दर्शाते हुये नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानीय निकाय पर विद्युत का बकाया है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी नई सड़क बत्ती कनेक्शन या अतिरिक्त सड़क बत्ती प्रदान नहीं करेगा।

(iii) इस संहिता की कंडिका 4.3 के अनुसार स्थानीय निकाय सार्वजनिक सड़क बत्ती प्रदाय के खर्च वहन करेंगे।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लगने वाले लाइन विस्तार कार्य के खर्च की लिखित जानकारी देंगे। स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक राशि जमा करने व अनुबंध करने के उपरांत लाइन विस्तार कार्य किया जायेगा।

(v) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर लगाने हेतु मौसम से अप्रभावित उपयुक्त डबल कम्पार्टमेंट मीटर बाक्स लगाया जायेगा।

(vi) सड़क बत्ती फिटिंग, बल्ब, टाइमर आदि उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर लगाया जायेगा। सड़क बत्ती को सूर्यास्त समय से 15 मिनट पूर्व चालू करने व सूर्योदय के समय से 15 मिनट बाद बंद करने के अनुसार टाइमर सेट किया जायेगा। सड़क बत्ती उपभोक्ता के निवेदन पर सड़क बत्ती को चालू व बंद करने खंभे पर सड़क बत्ती फिटिंग, बल्ब व टाइमर आदि बदलने का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। ऐसी समस्त सेवाएं भुगतान के आधार पर होंगी। भूमिगत वायरिंग सहित विशेष सड़क बत्ती जैसे कि ट्यूबलर पोल, हाई मास्ट लाईट आदि जिसका विस्तार कार्य स्थानीय निकाय द्वारा किया गया हो का संधारण स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जायेगा।

(vii) शहरी क्षेत्रों में नए सड़क बत्ती का कार्य उपयुक्त टाइमर के साथ करना वांछनीय होगा।

छोटे/गृह उद्योगों को विद्युत आपूर्ति – विशेष प्रावधान

4.56 25 हार्सपावर (अश्व शक्ति) तक के छोटे/गृह उद्योगों द्वारा लाइन विस्तार हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि तर्कसंगत करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विगत वर्षों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–अलग स्वीकृत प्राक्कलन की औसत राशि निकाली जावे तथा आयोग से अनुमोदित कराई जावे। लाईन विस्तार की यह औसत राशि प्रति हार्सपावर की दर से 25 हार्स पावर तक के छोटे व गृह उद्योगों द्वारा देय होगी भले ही उसके लिए कोई लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता हो या न हो। जहां भी आवश्यकता होगी लाइन विस्तार कार्य आयोग द्वारा स्वीकृत प्रति हार्स पावर की दर तथा आवेदित भार के आधार पर प्राप्त राशि के कनेक्शन देने

हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत होने पर किया जा सकेगा। यदि प्राक्कलन की राशि आयोग द्वारा स्वीकृत दर तथा आवेदित भार के आधार पर उपभोक्ता द्वारा देय राशि के दुगुने से अधिक होता है तो आवेदक आयोग द्वारा प्रति हार्स पावर की दर से निर्धारित राशि के साथ ही प्राक्कलन के अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करेगा। इस संबंध में एक उदाहरण संलग्नक 13(बी) में दर्शित है।

यह सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक इस संहिता की कंडिका 4.3 के अनुसार आयोग द्वारा उस श्रेणी के उपभोक्ता के संयोजन के लाइन विस्तार के लिए विविध व सामान्य शुल्क के अंतर्गत कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता।

संयोजनों के समूह के लिए एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय

4.57 आवासीय कॉलोनी एवं वाणिज्यिक संस्थानों में निम्नदाब उपभोक्ताओं के समूह को व्यक्तिगत संयोजनों के स्थान पर उच्चदाब संयोजन को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ऐसे उच्चदाब उपभोक्ताओं को लगने वाले टैरिफ में कुछ प्रतिशत में छूट देने पर विचार कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी 11/0.4 के.व्ही. ट्रांसफार्मर तथा संबंधित उच्च व निम्नदाब सुरक्षा उपकरण स्थापित कर आयोग द्वारा अनुमोदित मासिक शुल्क बिल करते हुए ट्रांसफार्मर का संधारण कार्य कर सकता है। इससे उपभोक्ता को ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन लगाने हेतु प्रारम्भिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ट्रांसफार्मर के नियमित संधारण से भी मुक्ति मिलेगी।

इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी उपयुक्त अध्ययन तथा मूल्यांकन के पश्चात आयोग के समक्ष याचिका के माध्यम से आ सकता है जिसे आयोग द्वारा आवश्यक नियमन प्रक्रिया पश्चात अनुमोदित किया जायेगा।

4.58 **नये संयोजन तथा भार में वृद्धि से संबंधित विभिन्न कार्यो को पूर्ण करने हेतु सारिणी**
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की कार्यवाही निम्नलिखित सारणी में दर्शित नियत अवधि में करेगा। इस संहित के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र का तात्पर्य है, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य का तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्र :–

क्रमसंख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय–सीमा
1. (ए)	**निम्नदाब कनेक्शन** पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना (i) शहरी क्षेत्र (ii) ग्रामीण क्षेत्र	 02 कार्य दिवस 05 कार्य दिवस
(सी)	(i) निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं हो और कनेक्शन विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी)ग्रामीण क्षेत्र	 05 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस
	(ii) निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है) (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	 10 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस *

(डी)	लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर/जहां लाइन विस्तार कार्य आवश्यक न हो पर आवेदक द्वारा आवश्यक प्रभारों के भुगतान करने, अनुबंध करने तथा परीक्षण प्रपत्र जमा करने के उपरांत कनेक्शन प्रदान करना (ए) शहरी क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	 10 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस
(ई)	कार्य पूर्ण करने की अवधि यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है: (ए) कृषि कनेक्शन, को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन (बी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुँच उपलब्ध है। (सी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम मे जब खेत तक पहुंच उपलब्ध नहीं है।	 60 दिन 90 दिन 180 दिन *
2.	**उच्च दाब उपभोक्ता**	
(ए)	आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना	15 कार्य दिवस
(बी)	प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (साध्यता सूचना जारी होने के बाद)	30 दिन
(सी)	भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि	90 दिन
(डी)	विस्तार कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवेदक द्वारा आवश्यक भुगतान करने, अनुबंध करने तथा विद्युत निरीक्षक की अनुमति जमा करने पर कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	30 दिन
3.	**अति उच्चदाब कनेक्शन**	
(ए)	आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना	30 कार्य दिवस
(बी)	साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना	60 दिन
(सी)	भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि	180 दिन
(डी)	लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा आवश्यक भुगतान करने, अनुबंध करने तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति जमा करने पर कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	30 दिन

* आयोग के आदेश क्रमांक 01/Reg/20/2012/190, dated 21.05.2012 के अनुसार यथा संशोधित।

4.59 निम्नदाब और उच्च/अति उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत आपूर्ति

(i) कोई व्यक्ति जिसे एक वर्ष या कम अवधि के लिए अस्थाई स्वरूप के प्रयोजन हेतु विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता हो निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 1 या 2) में इस संहिता की कंडिका 4.16 और 4.17 में दर्शित प्रपत्रों के साथ आवेदन दे सकता है। आवेदक परिसर के

स्वामित्व या परिसर के मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसा भी प्रकरण हो प्रस्तुत करेंगे। यदि विद्युत आपूर्ति स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाले स्थान में लेना हो तो उसके लिये स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अस्थाई आपूर्ति प्रथमतः अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगी जो कि उस समय तकनीकी साध्यता के आधार पर अधिकतम एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है।

(ii) अस्थाई संयोजन का दिया जाना कोई अधिकार का विषय नहीं है। यह तभी दिया जा सकता है जब तकनीकी दृष्टि से साध्य हो तथा सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

(iii) उन मामलों में जहाँ अस्थायी आपूर्ति निर्माण उद्देश्यों के लिए अपेक्षित हो, तथा जहाँ बाद में स्थायी कनेक्शन आवश्यक हो वहां अस्थायी आपूर्ति की स्वीकृति देने पूर्व स्थायी संयोजन की साध्यता परीक्षित की जाएगी। अस्थायी संयोजन प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक को बाद में लगने वाले स्थायी संयोजन की साध्यता के बारे में बताया जावेगा।

(iv) अस्थाई संयोजन की स्वीकृति आवेदक के पक्ष में स्थाई संयोजन के दावे के लिए अधिकार निर्मित नहीं करेगा बल्कि अधिनियम तथा नियमन के प्रावधानों से शासित होगा।

(v) यदि इसमें विस्तार कार्य की आवश्यकता हो और इसे आवेदक के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइन निर्माण व डिस्मेंटल हेतु देय राशि, आकलित मासिक खपत के बिल तथा मीटर, सामान व उपकरण के मासिक किराया आदि की राशि आवेदक को बतलाया जायेगा।

यह कि उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि विद्युत आपूर्ति विच्छेद होने के पश्चात वह अस्थाई संयोजन में उपयोग किये गये सामान रख सकता है या प्रचलित नियम के अनुसार डिस्मेंटल सामान (जो अच्छी स्थिति में स्टोर में वापस होता है) का डेप्रीशिएटेड दर पर समायोजन (क्रेडिट) पा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की कंडिका 6.3 के अनुसार लाइन या उपकरण हेतु सुरक्षा निधि ले सकता है।

(vi) अस्थाई संयोजन प्रदान करने के पूर्व 3 माह या उस अवधि जिसके लिये अस्थाई संयोजन मांगा गया है जो भी कम हो के आकलित बिल की राशि जमा की जायेगी, जो कि समय–समय पर पुनः पूर्ति की जावेगी तथा विद्युत विच्छेदन के पश्चात अंतिम बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि उपरोक्त समय पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता तथा अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध अग्रिम राशि शेष अवधि की आकलित बिल की राशि से कम होता है तो विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है।

(vii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य औपचारिकताओं का पालन करने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रकरणों में जहां लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो 3 कार्य दिवस के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगा। जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है वहां निम्नदाब उपभोक्ता के लिये 30 दिन, उच्चदाब व अति उच्चदाब उपभोक्ता के लिए 60 दिन के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगा।

(viii) उपभोक्ता वितरण मेंस से प्रदाय बिन्दु तक के लाइन को व्यवस्थित रखने हेतु जिम्मेदार होगा।

(ix) अस्थाई कनेक्शन की अवधि में मीटर की नियमित रीडिंग ली जायें ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वास्तविक खपत की राशि अग्रिम प्राप्त राशि से अधिक न हो। अस्थाई आपूर्ति के लिये माह का तात्पर्य संयोजन तिथि से 30 दिवस या उसका भाग है।

(x) अस्थाई आपूर्ति के समय को विस्तारित करने के लिए उपभोक्ता वर्तमान अस्थाई आपूर्ति के समय–सीमा की समाप्ति के 7 दिन पूर्व आवेदन देगा।

(xi) अस्थाई आपूर्ति की अवधि समाप्त होने तथा आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी अंतिम बिल तैयार करेगा तथा आपूर्ति के विच्छेदन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा शेष वापसी योग्य राशि यदि कोई हो तो आपूर्ति विच्छेदन के 90 दिवस या मूल भुगतान रसीद जमा करने या मूल भुगतान रसीद गुम हो जाने की स्थिति में क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र/घोषणा पत्र जमा करने पर 60 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो वापस करेगा। भुगतान के लिये निर्धारित दिवस के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी वापसी योग्य देय राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। उपभोक्ता आवेदन पत्र में राशि की वापसी का माध्यम दर्शित कर सकता है।

अपवाद

4.60 इस अध्याय में उल्लेखित कोई भी बात अनुज्ञप्तिधारी को किसी परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु बाध्य नहीं कर सकती यदि इस संहिता की कंडिका 13.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने से रोक रही हो।

4.61 यह कि यदि अस्थाई आपूर्ति ऐसे परिसर/स्थल में लेना हो जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो तो आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र व विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्रस्तुत करना होगा।

4.62 यह कि संयोजन ऊर्जीकृत करने के पश्चात यदि कोई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वापस लिया जाता हो तो विद्युत आपूर्ति अविलंब विच्छेदित कर दिया जायेगा और तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

4.63 यदि परिसर पर कोई राशि बकाया है तो तब तक अस्थाई आपूर्ति प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक उपभोक्ता द्वारा पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय 5 : विद्युत आपूर्ति के सामान्य नियम

आपूर्ति का बिन्दु

5.1 जब तक कि किसी और पर सहमति न हो, आपूर्ति के प्रारंभ का बिन्दु उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्विच गियर के आने वाले टर्मिनल (इनकमिंग टर्मिनल) पर होगा:

(ए) निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट; एवं

(बी) उच्च अथवा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी आपसी सहमति से स्थापित किया जावेगा ।

5.2 उपभोक्ता परिसर में एकल बिन्दु पर या इस संहिता की कंडिका 4.20 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाएगी। तथापि कोयला खदानों के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक व्यवस्था (ले आउट) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता के परिसर में एक से अधिक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति दे सकता है। यदि किसी औद्योगिक उपभोक्ता के परिसर में उसी कार्य के विद्युत प्रदाय हेतु दो संयोजन हों तो कोई एक कनेक्शन अनुबंध अवधि के समाप्त होने पर 15 दिवस की सूचना जारी कर विच्छेदित कर दिया जायेगा।

उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी का उपकरण

5.3 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा स्वयं के एवम् अन्य उपभोक्ताओं की सेवा हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सीधे (डायरेक्ट) केबल या शिरोपरि लाइनों को लाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायेगा । इसके अलावा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक स्विचगियर एवं उनके संयोजनों को लगाने हेतु तथा अपने परिसर में लगे केबल और टर्मिनल से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्वीकृति देगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मतानुसार इससे उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा ।

5.4 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा उपकरणों के रख–रखाव के लिये जिम्मेदार होगा जिन से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है ।

आपूर्ति में अवरोध/फ्यूज उड़ना

5.5 यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस लाइन का फ्यूज गलकर टूट जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। केवल अधिकृत कर्मचारी, जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया गया फोटो परिचय पत्र हो, को अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट फ्यूज बदलने के लिये अनुमति होगी । उपभोक्ताओं को इन फ्यूजों को बदलने की अनुमति नहीं होगी । अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की आंतरिक स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहिए ।

5.6 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सतत् विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा लेकिन कण्डिका 13.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुये विद्युत प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके संयंत्र व मशीनरी को पहुंचे नुकसान या हानि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

5.7 अनुज्ञप्तिधारी, अपनी आपूर्ति प्रणाली के संचालन से संबद्ध उद्देश्यों के लिये विद्युत आपूर्ति में ऐसी अवधि, जो कि आवश्यक हो और उपभोक्ता को कम से कम असुविधा हो के अस्थायी

विच्छेदन का हकदार होगा बशर्ते इस संबंध में उपभोक्ता को उचित अग्रिम सूचना दिया गया हो।

प्रदाय बिन्दु के पश्चात सुरक्षा प्रणाली:

5.8 सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति बिन्दु के बाद निम्नलिखित नियंत्रक स्थापित करना चाहिए ताकि वह सहज रूप से उपलब्ध रहे तथा उपभोक्ता की स्थापना के विद्युत प्रवाह को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने हेतु शीघ्र क्रियान्वित हो सके। ऐसे उपकरण किसी पृथक सर्किट या यंत्र के नियंत्रण हेतु लगाए गये उपकरण के अतिरिक्त होंगे।

(i) ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो – फ्यूज सहित लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर

(ii) ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिनके ट्रांसफर्मर / यंत्रों की एकीकृत क्षमता 11 के.व्ही. आपूर्ति पर 1000 के.व्ही.ए. तक तथा 33 के.व्ही. आपूर्ति होने पर 2500 के.व्ही.ए. तक हो – फ्यूज सहित लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर

(iii) ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिनके ट्रांसफर्मर/यंत्रों की एकीकृत क्षमता 11 के.व्ही. आपूर्ति की स्थिति में 1000 के.व्ही.ए. से अधिक व 33 के.व्ही. आपूर्ति में 2500 के.व्ही.ए. से अधिक हो – लिंक स्विच के साथ सर्किट ब्रेकर

(iv) उपभोक्ता को 33 के.व्ही. से अधिक के वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति में – उपयुक्त क्षमता का सर्किट ब्रेकर

पृथक ट्रांसफर्मर हेतु सुरक्षा प्रणाली

5.9 प्रत्येक पृथक ट्रांसफर्मर हेतु निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण होना चाहिए।

(i) 1000 के.व्ही.ए. व अधिक क्षमता के ट्रांसफर्मर हेतु प्रायमरी व सेकेंडरी दोनों ओर उपयुक्त क्षमता के सर्किट ब्रेकर।

(ii) 1000 से कम क्षमता के ट्रांसफर्मर हेतु प्रायमरी व सेकेंडरी दोनों ओर फ्यूज सहित लिंक स्विच या उपयुक्त क्षमता का सर्किट ब्रेकर

यह कि ट्रांसफर्मर के प्रायमरी ओर का लिंक स्विच इतनी क्षमता का हो कि बंद (क्लोज) स्थिति में पूरा लोड करेंट ले सके तथा नो लोड स्थिति में खोलते समय ट्रांसफर्मर का मेग्नेटाइजिंग करेंट ले सके।

वितरण ट्रांसफर्मर सब–स्टेशन

5.10 सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी (टेक्नीकल स्टैंण्डर्ड फार कन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रिकल प्लांटस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स) रेग्युलेशन 2010 (आगे सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम 2010) के अनुसार वितरण ट्रांसफर्मर सब–स्टेशन के विवरण/पैरामीटर निम्नानुसार होंगे–

पैरामीटर	33 के.व्ही.	11 के.व्ही.	0.415 के.व्ही.
सामान्य प्रणाली वोल्टेज (के.व्ही.)	33	11	0.415
अधिकतम प्रणाली वोल्टेज (के.व्ही.)	36	12	0.450
प्रणाली भूयोजन (अर्थिंग)	पूर्णरूपेण भूयोजित	पूर्णरूपेण भूयोजित	पूर्णरूपेण भूयोजित
फ्रिक्वेंसी	50	50	50

लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंण्ड वोल्टेज (के.व्ही.आर.एम.एस)	170	75	—
पावर फ्रिक्वेंसी विथस्टैंण्ड वोल्टेज (के.व्ही. आर.एम.एस)	70	28	3

5.11 वितरण ट्रांसफर्मर इंडोर या आउटडोर प्रकार का हो सकता है। जहां जगह की कमी हो या भूमिगत (अंडरग्राउंड) स्थापना को विद्युत प्रदाय करना हो, सब–स्टेशन भूमिगत हो सकता है। आवासीय या वाणिज्यिक भवन के भीतर शुष्क (ड्राई) प्रकार का ट्रांसफर्मर ही लगाना चाहिए। बाढ़ प्रभावी क्षेत्र में ट्रांसफर्मर बाढ़ के समय संभावित जल स्तर के ऊपर स्थापित करना चाहिए।

5.12 तेल भरे ट्रांसफर्मर में अधिकतम ऊर्जा हानि (लास) ब्यूरो आफ इनर्जी एफीशियन्सी (बी.ई.ई.) द्वारा कम से कम तीन स्टार श्रेणी (रेटिंग) के ट्रांसफर्मर हेतु निर्धारित हानि से अधिक नहीं होने चाहिए।

ट्रांसफर्मर लगाने हेतु ढांचा (स्ट्रक्चर)

5.13 ट्रांसफर्मर लगाने हेतु निम्नलिखित माउंटिंग व्यवस्था की जा सकती है–

(i) ट्रांसफर्मर के आकार, वजन तथा स्थल के अनुसार उसे एक पोल या दो पोल ढांचे पर या चबूतरा (प्लिंथ) पर लगाया जाना चाहिए।

(ii) एक पोल पर माउंटिग सिर्फ 25 के.व्ही.ए. तक के ट्रांसफर्मर हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए।

(iii) 25 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 250 के.व्ही.ए. तक के ट्रांसफर्मर दो पोल ढांचे पर या चबूतरा पर लगाया जा सकता है। 250 के.व्ही.ए. से अधिक का ट्रांसफर्मर सिर्फ चबूतरा पर स्थापित करना चाहिए।

ट्रांसफर्मर की सुरक्षा

5.14 33/0.4 के.व्ही. के ट्रांसफर्मर के निम्नदाब की ओर हाई रप्चरिंग केपेसिटी कार्टरीज फ्यूज या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीसीबी) या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) या एयर ब्रेक स्विच लगाया जाना चाहिए। ऐसे ट्रांसफर्मर के उच्चदाब की ओर ड्राप आउट एक्सपल्शन टाईप फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से सुरक्षित करना चाहिए।

5.15 100 के.व्ही.ए. व अधिक के 11/0.4 ट्रांसफर्मर के निम्नदाब की ओर उपयुक्त हाई रप्चरिंग केपासिटी कार्टरीज फ्यूज या एमसीसीबी या एमसीबी या एयर ब्रेक स्विच लगाया जाना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर ड्राप आउट एक्सपल्शन फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से सुरक्षित करना चाहिए।

5.16 लाइटनिंग सर्ज (तड़ित विद्युत) को धरती की ओर जाने देने के लिए बाह्य प्रकार के सर्ज अरेस्टर 11 के.व्ही. के लिए 9 के.व्ही. क्षमता के, 22 के.व्ही.के लिए 20 के.व्ही. क्षमता तथा 33 के.व्ही. के लिए 30 के.व्ही. क्षमता के लगाने चाहिए।

ट्रांसफर्मर की अर्थिंग (भूयोजन)

5.17 ट्रांसफार्मर का भूयोजन निम्नानुसार होना चाहिए –

(1) संबंधित भारतीय मानक (इंडियन स्टैंडर्ड) के अनुसरण में वितरण सब–स्टेशन में पाइप या छड़ से अर्थिंग करना चाहिए। 3 ग्राउडिंग इलेक्ट्रोड, 3 अर्थिंग गडढे में लगाने चाहिए। जहां

कहीं भी आवश्यक हो अर्थ रजिस्टेंस (भूमि प्रतिरोध) कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रोड की व्यवस्था करनी चाहिए (आयोग के आदेश क्रमांक 01/Reg/20/2012/ 190, dated 21.05.2012 के अनुसार यथा संशोधित)।

(2) भूयोजन निम्नानुसार करना चाहिए–

(ए) एक अर्थ इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर (लाइटनिंग अरेस्टर) से एक सीधे संयोजन से तथा यदि निम्न दाब सर्ज अरेस्टर लगाया गया हो तो एकअन्य सीधे संयोजन निम्नदाब सर्ज अरेस्टर से

(बी) अन्य बचे दो इलेक्ट्रोड में से प्रत्येक को–

(i) ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से अलग कनेक्शन

(ii) ट्रांसफार्मर वाडी अर्थिंग से एक संयोजन तथा 33 के.व्ही. या 11 के.व्ही. एयर ब्रेक स्विच के हेंडल से तथा चेनल अर्थिंग से दूसरा संयोजन

(iii) पोल के अर्थिंग टरमिनल से एक अलग संयोजन

(3) ट्रांसफार्मर न्यूट्रल का भूयोजन गढडा सर्ज अरेस्टर के गडढे के सामने व अलग होना चाहिए।

ट्रांसफार्मर के लिए रिएक्टिव कम्पनसेशन

5.18 रिएक्टिव कम्पनसेशन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

(1) जहां पावर फेक्टर कम हो वितरण ट्रांसफार्मर में उपयुक्त क्षमता का स्थिर या स्वचालित स्विच टाइप केपेसिटर लगाना चाहिए।

(2) स्थिर केपेसिटर के प्रकरण में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केपेसिटर की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि आफ पीक समय में अधिक (ओवर) कम्पनसेशन न हो सके।

(3) जहां लोड बहुत जल्दी–जल्दी परिवर्तित होता है उपयुक्त डायनमिक (चलित) कम्पनसेशन स्विच केपेसिटर पर विचार करना चाहिए।

उच्चदाब उपभोक्ता के सुरक्षा उपकरण की सेटिंग

5.19 उपभोक्ता के संस्थान के सभी ट्रांसफार्मर, स्विचगियर विद्युत उपकरण तथा अन्य उपकरण जो सीधे अनुज्ञप्तिधारी के लाइन या फीडर से जुड़े हों अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टि अनुसार उपयुक्त विन्यास (डिजाइन) के होने चाहिए तदनुसार उपभोक्ता द्वारा संधारित होना चाहिए। उपभोक्ता के कंट्रोल गियर के फ्यूज, रिले सेटिंग तथा उसके सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कपासिटी अनुज्ञप्तिधारी से अनुमोदित होने चाहिए। सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग केपेसिटी जहां सर्किट ब्रेकर लगाया जाना है के फाल्ट स्तर (लेवल) से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक होने चाहिए ताकि भविष्य में बढ़ने वाले फाल्ट स्तर (लेवल) की आवश्यकता पूरी की जा सके।

उपकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली को बाधित करना

5.20 यदि उपभोक्ता ऐसे उपकरण स्थापित करता है जो अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर बुरा प्रभाव डाल सकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 24 घंटे की कारण बताते हुए नोटिस जारी कर विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टि अनुसार उपयुक्त सुधार कार्य करने पर विद्युत प्रदाय पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति

5.21 इस संहिता की कंडिका 5.8 तथा 5.9 के प्रावधानों से प्रभावित हुए बिना उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि वे सामयिक कानून, नियम व विनियम के अनुसार सुरक्षा उपकरण या सर्किट ब्रेकर के उपयुक्तता तथा उसके ऊर्जीकरण हेतु विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करे तथा संयोजन प्राप्त करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करें। आवश्यकता होने पर सभी उच्चदाब उपकरणों के निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।

अन्य सर्किट का स्पष्ट अंतर दर्शित करना

5.22 प्रत्येक जनरेटिंग स्टेशन, सबस्टेशन, जंक्शन बाक्स या पिलर जिसमें कई सर्किट या उपकरण जो एक ही वोल्टेज या कई वोल्टेज पर क्रियान्वित किये जाने हो के मालिक स्थाई संकेतक व्यवस्था कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित सर्किट का एक दूसरे से स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर हो।

खतरा सूचना

5.23 250 वोल्टेज से अधिक के प्रत्येक संस्थान के मालिक स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले उपयुक्त स्थान पर स्थाई रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में खतरा सूचना पट प्रदर्शित करेंगे।

उपभोक्ता संस्थान के निरीक्षण व परीक्षण

5.24 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वायरिंग या उपकरण को प्रणाली में जोड़ने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निरीक्षण कर अनुमति दिया जाना है तथा बिना अनुज्ञप्तिधारी की अनुमति के संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।

5.25 यदि उपभोक्ता की स्थापना संयोजन के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन त्रुटियों/कमियों को दर्शाते हुए जिन्हें सुधारना है उपभोक्ता को लिखित में सलाह देगा। उन त्रुटियों को सुधार दिये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का पुनर्परीक्षण करेगा।

5.26 प्रथम परीक्षण के लिए अनुज्ञप्तिधारी कोई शुल्क नहीं लेगा। प्रथम परीक्षण में त्रुटि पाये जाने के कारण पुनर्परीक्षण हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित दर से परीक्षण शुल्क लिया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग या उपकरण के संधारण या परीक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

कनेक्शन के पूर्व विद्युत लीकेज के विरूद्ध सावधानियॉ

5.27 किसी आवेदक के परिसर में स्थित उपकरण या स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी तब तक अपने प्रणाली से नहीं जोड़ेगा जब तक वह यथोचित रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता कि संयोजन के समय उस उपकरण या स्थापना से विद्युत की उस मात्रा की लीकेज नहीं होगा जो कि सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा जो कि सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियमन के विनियमन 35 के प्रावधान के अनुसार स्थापना के इन्सुलेशन रजिस्टेन्स की निम्नानुसार जांच करते हुए मापी जायेगी–

(i) सभी उपकरणों की इन्सुलशन रजिस्टेंस संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होने चाहिए।

(ii) प्रत्येक चालू (लाइव) तार व भूयोजन के मध्य एक मिनट तक 500 वोल्ट डायरेक्ट करेंट (डी.सी.) लगाने पर ऐसे स्थापना व उपकरण जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो का इन्सुलेशन रजिस्टेन्स कम से कम एक मेगाओम या जैसा कि भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो, होना चाहिए।

(iii) प्रत्येक लाइव तार व भूयोजन के मध्य एक मिनट तक 2.5 के.व्ही. डी सी लगाने पर 650 वोल्ट से अधिक परन्तु 33 के.व्ही. तक के स्थापना व उपकरण के इन्सुलेशन रजिस्टेन्स कम से कम 5 मेगाओम या संबंधित भारतीय मानक में जो विनिर्दिष्ट हो, होना चाहिए।

5.28 यदि विद्युत आपूर्तिकर्ता इस संहिता की कंडिका 5.27 के तहत संयोजन प्रदान करने में इंकार करता है तो उसे आवेदक को इसका लिखित कारण सूचित करना चाहिए।

विस्तार व परिवर्तन

5.29 उपभोक्ता के परिसर में विद्युत स्थापना का कोई कार्य, जिसमें फेर–बदल, समायोजन, परिवर्धन अथवा सुधार कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, फ्यूज, स्विचेज, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से कनेक्शन की क्षमता या चरित्र में बदलाव न करती हों, उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जावेगा । इस प्रकार के कार्य केवल अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार एवं ऐसे व्यक्ति, जिसके पास इस प्रकार के कार्य करने का सक्षमता प्रमाण–पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जावेगा । उच्च दाब/अति उच्च दाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना होगा । इसी प्रकार खदानों के प्रकरणों में विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के लिये खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

5.30 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं फेर–बदल के कारण उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में बढ़ोत्तरी (वृद्धि) की संभावना है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । संविदा मांग या संयोजित भार में बढ़ोत्री का नियमितीकरण न कराने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल उच्च दर पर बिलिंग की जायगी, बल्कि उचित सूचना देने के उपरांत विद्युत आपूर्ति विच्छेदित भी की जा सकती है ।

उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के लिये उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश/पहुंच

5.31 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर परिसर के अधिवासी को अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी देकर किसी भी परिसर में जिसमें उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई हो या की गई थी या कोई स्थान, भूमि जिसके नीचे की ओर, ऊपर से होकर नियमानुसार विद्युत आपूर्ति लाइन का या अन्य कार्य किये गये हों निम्नलिखित कारणों से प्रवेश कर सकता है–

(1) विद्युत लाइन, मीटर, फिटिंग उपकरण या अन्य कार्य जो विद्युत आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये हैं के निरीक्षण, परीक्षण सुधार तथा परिवर्तन हेतु

(2) विद्युत की मात्रा या आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा ज्ञात करने हेतु

(3) जहां भविष्य में विद्युत आपूर्ति चालू रखने की आवश्यकता न हो तथा जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने तथा अपने विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर फिटिंग उपकरण हटाने या अन्य कार्य हेतु अधिकृत हो।

5.32 अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अधिकृत हो भी जिला मजिस्ट्रेट के इस संबंध में विशेष आदेश पर तथा अधिवासी को कम से कम 24 घंटे की पूर्व लिखित सूचना देकर –

(1) इस संहिता की कंडिका 5.31 में दर्शित कार्य हेतु संबंधित परिसर या भूमि में प्रवेश कर सकता है।

(2) परिसर जहां उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति किया जाना हो तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपयोग किया जाना हो में विद्युत तार फिटिंग उपकरण या अन्य कार्यों की जॉच तथा परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है।

5.33 यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा उपरोक्त कंडिका के अनुसार उपभोक्ता के परिसर या भूमि में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति को प्रवेश देने में इंकार करता है या जब अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा कार्य करने से मना करता है जिसके लिये वह उपरोक्त कंडिका के अनुसार अधिकृत है, या परिसर में प्रवेश या कार्य हेतु उचित सुविधा प्रदान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी 24 घंटे की लिखित नोटिस देकर उक्त अवधि समाप्त होने पर उपभोक्ता का विद्युत प्रवाह विच्छेदित कर सकता है और तब तक विच्छेदन जारी रख सकता है जब तक यह इंकार या एतराज लागू रहता है।

5.34 उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता आयोग द्वारा समय–समय पर टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पॉवर फेक्टर बनाए रखेंगे। उपभोक्ता का पावर फैक्टर आयोग द्वारा निर्धारित पावर फेक्टर से भिन्न होने की स्थिति में उपभोक्ता दंड राशि का भुगतान करने या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। किसी स्थापना की औसत मासिक पावर फेक्टर 70 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी 15 दिन की सूचना देकर विच्छेदन के कार्यकाल में डिमांड/न्यूनतम शुल्क वसूल करने के अपने अधिकार को प्रभावित किये बिना विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है।

निम्नदाब उपभोक्ता परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तथा अर्थिंग (भूयोजन)

निम्नदाब उपभोक्ता परिसर में वायरिंग तथा उपकरण व यंत्र की स्थापना

5.35 उपभोक्ता तथा जनसामान्य की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के अनुसार होनी चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए। वायरिंग के लिये उपयोग किया गया सामान संबंधित ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी.आई.एस.) मानकों या उसके तुल्य होने चाहिए। जहां लागू हो उपयोग किया गया सामान आई.एस.आई. चिन्हित होने चाहिए। जैसे ही निम्नदाब उपभोक्ता का स्थापना कार्य सम्पूर्ण रूप से पूर्ण होता है तथा ठेकेदार द्वारा परीक्षण किया जाता है, उपभोक्ता को ठेकेदार का परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना चाहिए। इस कार्य के लिये परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में संयोजन प्रदान करने के पूर्व जमा करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उपरोक्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हो अन्यथा संयोजन प्रदान करने में विलंब हो सकता है।

5.36 उपभोक्ता के स्थापना में सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के विनियम 15 के प्रावधान का पालन होना चाहिए। उपभोक्ता की स्थापना में लाइन व भूयोजित तार को एक साथ क्रियान्वित करने हेतु लिंक स्विच ही उपयोग में लानी चाहिए।

5.37 सभी प्रकरण में उपभोक्ता के मेंस अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय बिन्दु तक लाये जाने चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी के यंत्र से जोड़ने हेतु पर्याप्त केबल उपलब्ध कराना चाहिए।

स्विच तथा फ्यूज

5.38 विद्युत आपूर्ति बिन्दु के निकट उपभोक्ता द्वारा समुचित क्षमता के लिंक्ड क्विक मेक और ब्रेक मेन स्विच की व्यवस्था प्रत्येक कन्डक्टर में विद्युत धारा के चालू तथा बंद होने के प्रबंध हेतु की जायेगी। उपभोक्ता के परिसर के स्विच चालू तार (लाइव वायर) पर होंगे तथा न्यूट्रल तार को वहाँ पर चिन्हित किया जायेगा, जहाँ वह उपभोक्ता के मैन स्विच से मीटर में जुड़ने के लिये जाता है। किसी भी न्यूट्रल कन्डक्टर में सिंगल पोल स्विच या कट आउट अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा।

घरेलू उपकरण

5.39 उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग की सुरक्षा के लिए हीटर, गीजर, एयर कंडीशनर तथा खाना पकाने के उपकरण जैसे ओवन, माइक्रोवेव ओवन के लिए उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से समुचित माप के तारों का अलग सर्किट होगा। घरेलू उपकरणों की सर्किट के लिए उपयोग किये जाने वाले दीवार प्लग 3 पिन टाइप होंगे, तथा तीसरा पिन भूयोजित होगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमति नहीं है। स्नानघर में पानी गरम करने अथवा कपड़े धोने वाले अथवा गीली जगह में लगे हुए सभी उपकरणों को प्रभावी रूप से भूयोजित (अर्थ) किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता परिसर में भूयोजित टरमिनल

5.40 विद्युत आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के उपयोग के लिये उसके परिसर में पहुंच स्थल पर या प्रदाय बिन्दु के पास एक उपयुक्त भूयोजित टरमिनल प्रदान करना चाहिए तथा संधारण करना चाहिए। यह कि उपभोक्ता उपरोक्त भूयोजित व्यवस्था के अतिरिक्त एक स्वतंत्र इलेक्ट्रोड सहित स्वयं की भूयोजित प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

5.41 विद्युत आपूर्तिकर्ता के भूयोजित टरमिनल तथा लीड तार को यांत्रिक (मेकेनिकल) नुकसान से बचाने हेतु उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त सावधानियां बरतनी चाहिए।

उपभोक्ता परिसर में भूयोजन

5.42 650 वोल्ट तक के विद्युत स्थापना में सुरक्षा प्रावधानों के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए--

(1) तीन फेज चार तार प्रणाली के न्यूट्रल तार को कम से कम दो अलग--अलग स्पष्ट दर्शित न्यूट्रल तारों के माध्यम से कम से कम दो या अधिक अलग भूयोजित इलेक्ट्रोड जैसा कि भूप्रतिरोध को संतोषप्रद स्तर तक लाने के लिए आवश्यक हो से भूयोजित करनी चाहिए।

(2) भूप्रतिरोध कम करने के लिये लगाये गये भूयोजन इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए।

(3) उपभोक्त. परिसर में किसी संयोजन को भूयोजित करने के अतिरिक्त वितरण प्रणाली में न्यूट्रल तार को भी एक या अधिक बिन्दुओं पर भूयोजित करना चाहिए।

(4) प्रणाली में सकेन्द्रीय (कान्सेक्ट्रिक) केबल से विद्युत आपूर्ति होने की स्थिति में केबल के बाहरी तार को दो स्वतंत्र तथा स्पष्ट दर्शित तारों के माध्यम से भूयोजित करनी चाहिए।

(5) प्रत्येक जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर तथा कोई भी यंत्र जो कि 250 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट तक के वोल्टेज के नियमन व नियंत्रण करने के उपयोग में आते हो के फ्रेम को दो अलग तथा स्पष्ट दर्शित तारों से भूयोजित करनी चाहिए।

(6) प्रत्येक जनरेटर व ट्रांसफर्मर का न्यूट्रल बिन्दु को कम से कम दो अलग तथा स्पष्ट दर्शित तारों के माध्यम से भूयोजन प्रणाली से जोड़नी चाहिए।

5.43 भूयोजन प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा पानी के पाइपों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी वायरिंग को जितना सम्भव हो सके गैस तथा पानी के पाइपों से दूर होना चाहिए। वैकल्पिक विद्युत प्रदाय प्रणाली जैसे कि डीजल जनरेटिंग सेट आदि के लिए अलग--अलग न्यूट्रल तथा भूयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रणाली में विद्युत की वापसी (फीडबैक) होने की सम्भावना न हो।

निम्नदाब उपभोक्ता के स्थापना का परीक्षण

5.44 सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियम के विनियम 31 के प्रावधान के अनुसार नये संयोजन या अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर तथा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने या 6 माह पश्चात पुनर्प्रारम्भ करने के पूर्व विद्युत प्रदायदाता या तो स्वयं स्थापना का परीक्षण करेंगे या उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित हो स्वीकार करेंगे।

5.45 स्थापना के इन्सुलेशन परीक्षण करने के पूर्व स्थापना की वायरिंग समग्र रूप से पूर्ण होनी चाहिए। परीक्षण करने के पूर्व सभी फिटिंग तार से जुड़े हों, सभी फ्यूज लगे हो तथा सारे स्विच चालू (आन) स्थिति में हों। मेगर से स्थापना व भूयोजन के मध्य 500 वोल्ट का दबाव 1 मिनट तक लगाने पर इन्सुलेशन रजिस्टेंस ऐसा हो कि लीकेज करेंट स्थापना के अधिकतम मांग करेंट के पांच हजारवें भाग से अधिक न हो। दो तारों के मध्य का परीक्षण फल (इन्सुलेशन रजिस्टेंस) भूयोजन से प्राप्त परीक्षण फल का कम से कम आधा हो।

5.46 ऐसे निरीक्षण और परीक्षण से यदि आपूर्तिकर्ता इस बात से संतुष्ट होता है कि स्थापना खतरनाक हो सकता है तो वह आवेदनकर्ता को लिखित में स्थापना को सुरक्षित बनाने आवश्यक सुधार करने हेतु नोटिस जारी करेगा तथा जब तक आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया जाता तब तक संयोजन प्रारम्भ या पुनर्प्रारंभ करने से मना कर सकता है।

5.47 यदि निरीक्षण के समय उपभोक्ता के स्थापना का इन्सुलेशन रजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियम की विनियम 34 के अनुसार सुरक्षात्मक विद्युत आपूर्ति की सम्भावना न हो तो अनुज्ञप्तिधारी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपभोक्ता को 48 घंटे की लिखित सूचना देकर नियम के अनुसार अन्य कार्यवाही करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए परिसर का विद्युत प्रवाह तब तक विच्छेदित रखेगा जब तक कि उन त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता।

निम्नदाब स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण (रेटिंग)

5.48 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के स्थापना, अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, रेटिंग/पुनः –रेटिंग के पात्र होंगे, यदि नेमप्लेट रेटिंग स्पष्ट दर्शित न हो या संदेहास्पद हो। यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निर्धारित की गई रेटिंग से संतुष्ट नहीं होता है तो वह शासकीय इन्जीनियरिंग संस्थाओं में से किसी एक से अपने उपकरण की क्षमता (रेटिंग) का निर्धारण करा सकता है । संस्था में भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के समय, उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिये नियुक्त कर सकते हैं। संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षणों का विवरण संलग्न किया जाना होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी, दोनों को स्वीकार्य होगी।

ए.सी. मोटर की स्थापना

5.49 कोई भी ए.सी. मोटर अनुज्ञप्तिधारी के निम्नदाब प्रणाली से तब तक नहीं जोड़ा जायेगा जब तक कि मोटर तथा स्थापना के प्रारम्भिक धारा (स्टार्टिंग करेंट) को निम्नलिखित तक सीमित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था न की गई हो।

5.50 निम्न दाब मोटर, कन्ट्रोल गेयर के साथ लगाई जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारम्भिक करेन्ट किसी भी स्थिति में निम्न अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो।

आपूर्ति का प्रकार	स्थापना का आकार	प्रारंम्भिक करेंट की सीमा
एकल फेज	1 बी.एच.पी. या उससे कम	कुल भार के अनुरूप करेंट का 6 गुना
तीन फेज	1 बी.एच.पी. से अधिक एवं 10 बी. एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 3 गुना
	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा 15 बी. एच. पी. तक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 2 गुना
	15 बी.एच.पी. से अधिक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 1.5 गुना

इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर उपभोक्ता का संयोजन 15 दिवस का परिपालन हेतु नोटिस देकर विच्छेदन योग्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थल कार्यपरिस्थिति तथा तकनीकी आधार पर प्रारम्भिक धारा की सीमा शिथिल कर सकता है।

5.51 मोटर सर्किट का नियंत्रण नो वोल्ट रिलीज तथा ट्रिपल पोल फ्यूज (ओवर लोड रिलीज) से रक्षित ट्रिपल पोल लिंक स्विच से होना चाहिए। यह आवश्यक है कि रिलीज प्रणाली को अच्छी तरह कार्यान्वित स्थिति में रखा जावे। मोटर की सभी तीन फेज वायरिंग धातु के खोल के भीतर हो जो प्रभावी रूप से भूयोजित हो तथा मोटर के फ्रेम से भी जुड़ा हो, जहां से दो पृथक भूयोजन तार भी जुड़े होने चाहिए। भूयोजन तार हेतु न्यूनतम स्वीकार्य साइज 14 स्टैण्डर्ड गेज (एस.डब्ल्यू.जी.) है। सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 व समय–समय पर संशोधित प्रावधानों का पूर्णरूप से परिपालन होना चाहिये।

यंत्र का पावर फेक्टर – निम्नदाब शंट केपेसिटर

5.52 कृषि/सिंचाई पंप को छोड़कर प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संयोजित भार में 3 अश्वशक्ति या अधिक के इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब शंट केपेसिटर मोटर के टरमिनलों के बीच लगाने की व्यवस्था करेंगे। 3 अश्वशक्ति से अधिक संयोजित भार के कृषि पंप उपभोक्ता उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब केपेसिटर लगाने की व्यवस्था करेंगे। 1500 चक्कर प्रति मिनट (आर.पी.एम.) के इन्डक्शन मोटर के टरमिनल पर सीधे लगाये जाने वाले केपेसिटर का अनुशंसित मान सामान्य मार्गदर्शन हेतु संलग्नक 11 में दर्शित है। तथापि उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाये गये केपेसिटर मोटर की आवश्यकता के अनुरूप है, ताकि औसत मासिक पावर फेक्टर आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित टैरिफ आदेश के अनुसार सुनिश्चित हो। जहां ऐसे मीटर लगे है जो पावर फेक्टर अंकित करते हैं, मीटर द्वारा अंकित पावर फेक्टर ही मासिक पावर फेक्टर होगा, भले ही किसी भी क्षमता का केपेसिटर लगा हो।

तथापि जहां लगाये गये मीटर, भार के औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित नहीं कर सकते वहाँ संलग्नक 11 में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित कार्यरत केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेंगी।

5.53 जब तक पावर फेक्टर सुधार हेतु 3 अश्वशक्ति और अधिक की क्षमता के मोटर में उपयुक्त क्षमता के केपेसिटर न लगाया जाये तब तक विद्युत आपूर्ति प्रदान नहीं किया जायेगा।

5.54 कंडिका 5.52 में दर्शित 15 किलोवाट या अधिक के निम्नदाब उपभोक्ता (सिंचाई पंप व मोटिव लोड को छोड़ कर) उपयुक्त क्षमता का कैपासिटर लगायेंगे ताकि आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। पावर फेक्टर में भिन्नता होने की दशा में

उपभोक्ताओं द्वारा आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित अधिभार देय होगा या वे छूट (इन्सेन्टिव) प्राप्त करेंगे। तथापि 15 किलोवाट या अधिक के घरेलू तथा गैर घरेलू प्रकाश व पंखों के संयोजन में केपेसिटर लगाने की शर्तों पर उत्तरवर्ती (**subsequent**) टैरिफ आदेश में विचार किया जायेगा।

5.55 ऐसी किसी स्थापना जहां औसत मासिक पावर फैक्टर यदि 70 प्रतिशत से कम हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिवस की नोटिस के उपरांत, विच्छेदन अवधि में प्रयुक्त न्यूनतम शुल्क वसूल करने के अपने अधिकार को बिना प्रभावित किये संयोजन विच्छेदित कर सकता है।

अध्याय 6 : सुरक्षा निधि

6.1 अनुज्ञप्तिधारी उन व्यक्तियों से सुरक्षा निधि ले सकता है जो अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) की कंडिका (ए) के अनुसार विद्युत आपूर्ति लेना चाहते हैं।

6.2 सुरक्षा निधि नगद, ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। चेक के प्रकरण में विद्युत आपूर्ति चेक के भुगतान के पश्चात ही प्रारम्भ की जायेगी।

नये संयोजन हेतु यंत्र/लाइन संबंधी सुरक्षा निधि

6.3 अनुज्ञप्तिधारी उन उपभोक्ताओं से यंत्र या लाइन हेतु सुरक्षा निधि प्राप्त कर सकता है जहां ऐसे विद्युत यंत्र या लाइन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु किराये पर प्रदान किये जायेंगे।

ऊर्जा संबंधी सुरक्षा निधि

6.4 किसी नये विद्युत संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी अनुबंध में दर्शित हार्सपावर, किलोवाट या के.व्ही.ए. में संविदा भार/संविदा मांग जैसा प्रयुक्त हो पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से निम्न आधार पर गणना कर सुरक्षा निधि ले सकता है:-

क्र.	श्रेणी	सुरक्षा निधि की गणना हेतु (30 दिवस) हेतु अनुमानित खपत
1	घरेलू	(i) 140 यूनिट प्रति किलोवाट (ii) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसके भाग
2	गैर घरेलू	(i) 140 यूनिट प्रति किलोवाट (ii) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसके भाग
3	पेयजल	150 यूनिट प्रति किलोवाट या 110 यूनिट प्रति हार्सपावर
4	उद्योग	270 यूनिट प्रति किलोवाट या 200 यूनिट प्रति हार्सपावर
5	कृषि/सिंचाई	120 यूनिट प्रति हार्सपावर
6	सड़क बत्ती	180 यूनिट प्रति किलोवाट
7	उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता	420 यूनिट प्रति किलोवाट या 380 यूनिट प्रति के.व्ही.ए.

6.5 सुरक्षा निधि इस संहिता की कंडिका 6.4 में दर्शित अनुमानित खपत तथा निम्नलिखित सारणी में दर्शित दिनों में उपयोग के खपत पर प्रचलित टैरिफ लगाकर आकलित राशि व अन्य शुल्क की राशि के योग आधार पर निकाली जायेगी –

स. क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	अवधि (दिवसों में)
1.	कृषि (i) स्थाई (ii) अस्थाई	90 अस्थाई कनेक्शन की अवधि के लिये जो कि 90 दिनों से अधिक न हो।
2.	स्टोन क्रेशर, हाट मिक्स प्लाण्ट	90
3.	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के कानूनी अधिवासी होने का प्रमाण देने में असमर्थ हों ।	90
4.	अन्य उपभोक्ता	45

6.6 उपरोक्त आधार पर गणना की गई सुरक्षा निधि रू. 10 के आगामी गुणांकों में होगी।

6.7 यदि नये संयोजन का आवेदनकर्ता ऐसी सुरक्षा निधि जमा नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी यदि उपयुक्त समझता हो, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु तब तक इंकार कर सकता है जब तक कि राशि जमा नहीं की जाती।

6.8 यदि विद्युत आपूर्ति इच्छुक व्यक्ति प्रीपेड मीटर (पूर्व भुगतानयुक्त मीटर) के माध्यम से विद्युत आपूर्ति लेने हेतु तैयार होता है तो अनुज्ञप्तिधारी उससे सुरक्षा निधि लेने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

ऊर्जा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा निधि / सुरक्षा निधि की वापसी

6.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में, उपभोक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि की पिछले वर्ष की खपत के आधार पर समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की कंडिका 6.5 में दर्शित अवधि के लिये औसत खपत पर प्रचलित टैरिफ के आधार पर आकलित की गई राशि के तुल्य सुरक्षा निधि निर्धारित करेगा।

बशर्ते कि यदि समीक्षा पर उपभोक्ता के पास उपलब्ध सुरक्षा निधि में भिन्नता (वृद्धि/कमी) परिलक्षित हो तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में यह उपलब्ध सुरक्षा निधि से 20 प्रतिशत या अधिक हो तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में रू.10000 (रूपये दस हजार) या अधिक हो।

6.10 अतिरिक्ति सुरक्षा निधि (यदि आवश्यक हो) नियमित विद्युत बिल में जोड़ा जाये तथा उसका भुगतान नियमित बिल के साथ निर्धारित तिथि के भीतर देय होगा। यदि उपभोक्ता बिल के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति रोकने हेतु अधिकृत होगा जब तक कि उभोक्ता भुगतान नहीं हो जाता।

यह कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि वापसी के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के आगामी बिल में समायोजन के माध्यम से भुगतान करेगा। यदि समायोजन पश्चात् भी कोई राशि शेष रह जाती है तो उपभोक्ता को 7 दिवस के भीतर वापस किया जायेगा।

6.11 ऐसे उपभोक्ता के प्रकरण में जिसके लिए अतिरिक्त भार की स्वीकृति हो गई है, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना अतिरिक्त भार के लिये उसी प्रकार की जायेगी जैसा कि नये संयोजन के लिए की जाती है। इसी प्रकार यदि संविदा मांग कम की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुनर्गणना कर अतिरिक्त सुरक्षा निधि यदि कोई निकलता हो का आगामी विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से भुगतान कर सकेगा।

6.12 उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि भुगतान हेतु उपयुक्त मासिक किश्त की सुविधा दे सकता है।

सुरक्षा निधि पर ब्याज

6.13 अनुज्ञप्तिधारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश के आधार पर सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा। यह अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से दर पता लगा कर उपभोक्ताओं को बिल के माध्यम से सूचित करे।

6.14 ब्याज की गणना प्रति वर्ष अप्रैल माह में पूर्ववर्ती वर्ष के लिये की जायेगी। इस प्रकार गणना किये पूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान माह मई के विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर आगामी माह के बिद्युत बिलों में समायोजित किया जावेगा।

6.15 सुरक्षा निधि के ब्याज भुगतान में देर होने पर अनुज्ञप्तिधारी ब्याज पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर सरल ब्याज का देनदार होगा।

6.16 सुरक्षा निधि के ब्याज के समायोजन में देर/3 माह से अधिक अवधि बीतने पर उपभोक्ता अधिनियम की धारा 42 उपधारा (5) के अंतर्गत निर्मित संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है।

सुरक्षा निधि का समायोजन

6.17 यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विद्युत बिल की राशि जमा न करने के कारण विच्छेदित कर दी गई हो जो अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध सुरक्षा निधि आवश्यक सूचना के पश्चात देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है।

6.18 यदि इसके पश्चात उपभोक्ता पुनर्संयोजन हेतु आता है तो पुनर्संयोजन के पहले उसे सुरक्षा निधि के समायोजित राशि के तुल्य राशि जमा करनी होगी।

सुरक्षा निधि की वापसी

6.19 स्थाई संयोजन के विच्छेदन या अस्थाई संयोजन की अवधि बीतने पर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन पश्चात अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध सुरक्षा निधि का समायोजन करते हुए अंतिम बिल (देयक) बना कर उपभोक्ता को स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन/अस्थाई कनेक्शन का विच्छेदन जैसा प्रकरण हो के 30 दिवस के भीतर प्रेषित करेगा तथा आगामी 60 दिवस के अंदर शेष राशि का भुगतान करेगा। तथापि इस संहिता की कंडिका 4.59 के अनुसार अस्थाई संयोजन (कनेक्शन) की स्थिति में राशि की वापसी आपूर्ति विच्छेदन के 90 दिन या जमा राशि की मूल रसीद/मूल रसीद गुमने की स्थिति में इन्डेम्निटी वांड या घोषणा पत्र जमा करने के 60 दिवस जो भी बाद में हो के भीतर करेगा।

6.20 अनुज्ञप्तिधारी भुगतान हेतु निर्धारित समय पश्चात वापसी योग्य राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर सामान्य दर से ब्याज का देनदार होगा।

सुरक्षा निधि वापसी का माध्यम

6.21 उपभोक्ता सुरक्षा निधि वापसी का माध्यम यथा नगद, चेक आदि चुन सकता है। यदि उपभोक्ता राशि वापसी का माध्यम डिमांड ड्राफ्ट / मनी आर्डर चुनता है तो राशि की वापसी डिमांड ड्राफ्ट / मनी आर्डर के शुल्क काटकर वापस किया जायेगा।

अध्याय 7 : संविदा माँग, अनुबन्ध

संविदा माँग

उच्चतम मांग आधारित (टू–पार्ट) टैरिफ के अलावा निम्न दाब उपभोक्ता ।

7.1 उच्चतम मांग आधारित (टू–पार्ट) टैरिफ के अलावा अन्य निम्नदाब उपभोक्ता की परिसर के लिये संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध में दर्शित भार होगी।

उच्चतम मांग (एम.डी.) आधारित निम्न दाब व सभी उच्च दाब व अति उच्च दाब उपभोक्ता

7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग, उपभोक्ता के स्थापना के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार होगी तथा संयोजित भार से स्वतंत्र होगी।

संविदा मांग/संविदा भार में वृद्धि हेतु प्रक्रिया

7.3 संविदा मांग/संविदा भार में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र में (संलग्नक क्रमांक 5) में प्रस्तुत किया जायेगा।

7.4 30 दिनों के अन्दर, अनुज्ञप्तिधारी, बढ़े हुए भार के लिये आपूर्ति की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् डिमांड नोट (मांग पत्र) के साथ उपभोक्ता को सूचित करेगा कि –

(ए) क्या अतिरिक्त मांग विद्यमान वोल्टेज स्तर पर दी जा सकती है अथवा इससे ज्यादा वोल्टेज स्तर पर;

(बी) क्या प्रणाली में कोई परिवर्तन, विस्तार या फेर–बदल करना आवश्यक है और यदि है तो उसके लिये उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली राशि की जानकारी;

(सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, जो जमा करना है; और

(डी) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो ।

7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । तथापि यदि उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर किसी न्यायालय या छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा रोक लगाई गई हो, या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि का किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई हो तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।

7.6 अनुज्ञप्तिधारी से मांग पत्र प्राप्त होने पर उपभोक्ता :–

(ए) निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में जहाँ स्थापना में फेर–बदल निहित है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।

(बी) उच्च व अति उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन पत्र और जहां आवश्यक हो किसी अन्य लागू विनियमों के अधीन चाहे गये वैधानिक अनुमति पत्र प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि तथा यदि प्रणाली में परिवर्तन या विस्तार की आवश्यकता हो तो उसकी लागत का भुगतान करेगा ।

(डी) पूरक अनुबंध का निष्पादन करेगा ।

7.7 मीटरिंग व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार उपभोक्ता द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के बाद या अनुबन्ध में अंकित की गई तिथि जो भी बाद में हो से दिया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के 15 दिवस के भीतर मीटरिंग व्यवस्था में परिवर्तन किया जावेगा।

यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा ।

अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धि की सूचना – जब लाइन विस्तार की आवश्यकता हो

7.8 जब अनुज्ञप्तिधारी लाईन विस्तार कार्य पूर्ण करने तथा जहां आवश्यक हो मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने के पश्चात, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय करने की स्थिति में हो तो निम्नदाब, उच्चदाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धि की एक माह की लिखित नोटिस जारी करेगा। अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को जारी किये गये एक माह की नोटिस पश्चात या उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व कोई भी दिन यदि उपभोक्ता अतिरिक्त विद्युत लेना प्रारम्भ किये जाने की तिथि सूचित करता है, परन्तु सूचना जारी होने के दिन से पूर्व नहीं, से प्रभावी माना जायेगा।

संविदा भार/संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रिया

7.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि जो अनुबंध प्रारम्भ होने से 2 वर्ष की होगी में 50 प्रतिशत से अधिक संविदा मांग/संविदा भार में कमी हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। तथापि अनुबंध की 2 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के भीतर संविदा मांग/संविदा भार में 50 प्रतिशत तक की कमी जो कि इस संहिता के कंडिका 3.4 में दर्शित संबंधित वोल्टेज हेतु निर्धारित न्यूनतम मांग/भार से कम न हो एक बार स्वीकृत किया जा सकता है।

यह कि ऐसे उपभोक्ता जो कि किसी केप्टिव पावर प्लांट के केप्टिव या नान–केप्टिव लोड हो, के प्रकरण में संविदा मांग में कमी इस संहिता की कंडिका 12.14 के अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

7.10 संविदा भार में कमी हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 5) में अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा :–

(ए) विद्युत स्थापना में परिवर्तन, सुधार सहित कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तथा निम्नदाब संस्थान में परिवर्तन के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र ।

(बी) संविदा भार में कमी करने या कोई और कारण ।

(सी) उपभोक्ता द्वारा जनरेटर लगाने की स्थिति में जनरेटर का विवरण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जनरेटर लगाने में सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति ।

7.11 संविदा मांग/भार में कमी के आवेदन की प्राप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:–

(ए) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में दिये गये आधारों पर विचार करेगा, उनका सत्यापन करेगा तथा 30 दिनों की अवधि के अन्दर आवेदन पर निर्णय करेगा। यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 45(5) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित विद्युत शिकायत निवारण फोरम में आवेदन कर सकता है,

और इसके बाद अधिनियम की धारा 46(6) के अंतर्गत आयोग द्वारा नियुक्त या नामांकित विद्युत लोकपाल को अपील की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु, अन्य विधि के अधीन उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार से वह वंचित नहीं होगा।

(बी) यदि आवेदन पर 30 दिनों की अवधि के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक लिखित सूचना के माध्यम से लंबित प्रकरण पर अनुज्ञप्तिधारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि तत्पश्चात् 30 दिनों की अवधि के अन्दर उसे कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जावेगा कि उसे संविदा मांग/भार में आवेदन के अनुरूप कमी करने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन समाप्त होने के तुरन्त पश्चात दे दी गई है तथा उपभोक्ता संविदा भार/मांग में कमी हेतु अनुज्ञप्तिधारी को पूरक अनुबंध प्रस्तुत कर सकता है।

(सी) निम्नदाब उपभोक्ता पूरक (सप्लीमेंट्री) अनुबंध करने तथा भार में कमी करने के पश्चात अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र जमा करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के प्रकरण में 2 दिन व ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण में 5 दिनों के भीतर निरीक्षण की व्यवस्था करेगा। निरीक्षण तथा भार के सत्यापन पश्चात आवश्यकता होने पर 15 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी मीटर बदलेगा। भार में कमी उसके पश्चात के आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगा।

(डी) उच्चदाब व अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में स्वीकृति करने तथा पूरक अनुबंध होने के पश्चात आवश्यकता होने पर अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस के भीतर मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने की व्यवस्था करेगा एवं संविदा मांग में कमी को प्रभावशील करेगा। संविदा मांग में कमी उसके पश्चात के बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगी। यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण के बदलने की आवश्यकता नहीं होगी तो संविदा मांग में कमी पूरक अनुबंध करने के बाद के आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस या बाद का दिन जैसा कि पूरक अनुबंध में दर्शित हो से प्रभावशील होगा।

7.12 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में किसी भी सीमा तक कमी करने हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, उपरोक्त मांग में कमी खण्ड 3.4 में विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं की जावेगी। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से कम कर किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से (परन्तु केप्टिव उपभोक्ता जैसा नहीं) विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 42 (4) के अनुसार उसे अतिरिक्त सरचार्ज (आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित क्रास सब्सिडी सरचार्ज) का भुगतान करना होगा ।

7.13 जब संविदा मांग में कमी की सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक पूरक अनुबन्ध निष्पादित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुर्नगणना करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के पास अधिक सुरक्षा निधि होने की स्थिति में उसे अगले बिल में समायोजित की जायेगी । समायोजन के पश्चात भी यदि कोई राशि बच जाती है तो उसे बिल जारी करने के 7 दिवस के भीतर वापस करेगा।

7.14 यदि कोई उपभोक्ता जिसने अपना संविदा भार/संविदा मांग में किसी भी कारण से कमी किया हो, तथा कम करने के एक वर्ष के भीतर, भार/मांग को पुरानी स्थिति में लाना चाहता है तो उसे अनुमति दिया जाये परन्तु यह तकनीकी आधार पर तथा इस शर्त पर होगा कि अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के भीतर पुनः मांग/भार को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

निम्नदाब संयोजन का उच्चदाब संयोजन में अंतरण

7.15 जब निम्नदाब संयोजन में भार वृद्धि के कारण उपभोक्ता को उच्चदाब कनेक्शन लेने की आवश्यकता हो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:–

(i) उपभोक्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा तथा भविष्य में निम्नदाब संयोजन के विरूद्ध बकाया यदि कोई होता है का भुगतान करने का वचन देगा।

(ii) उच्चदाब संयोजन होने की तिथि से निम्नदाब अनुबंध निष्प्रभावी हो जायेगा।

(iii) परिसर में उच्चदाब संयोजन करने की तिथि पर निम्नदाब संयोजन विच्छेदित कर दिया जायेगा।

(iv) यदि उपभोक्ता द्वारा कोई दायित्व पूरा नहीं करने के कारण परिसर में उच्चदाब संयोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सके तथा निम्नदाब आपूर्ति उपभोक्ता के परिसर में उपलब्ध रहता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वास्तविक मांग के स्थान पर इस संहिता की कंडिका 10.23 के अनुसार उच्चदाब के कम मांग सहित निम्नदाब संयोजन हेतु बिल किया जायेगा एवं तदनुसार उच्चदाब संयोजन की अनुबंध अवधि में वृद्धि की जायेगी।

(v) निम्नदाब संयोजन हेतु उपलब्ध सुरक्षा निधि को उच्चदाब संयोजन के विरूद्ध स्थानांतरित किया जायेगा।

(vi) उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता उच्चदाब संयोजन हेतु अनुबंध करेगा।

उच्चदाब संयोजन (11 के.व्ही.) का निम्नदाब संयोजन में अंतरण

7.16 संविदा मांग में कमी होने के कारण यदि उच्चदाब उपभोक्ता निम्नदाब संयोजन हेतु निवेदन करता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:–

(i) उपभोक्ता को अधिकतम 100 हार्सपावर के संयोजन भार के निम्नदाब में अंतरण हेतु अनुमति दी जायेगी।

(ii) उच्चदाब मीटरिंग व्यवस्था यथावत रहेगी तथा विद्युत आपूर्ति की बिलिंग 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन हानि कम करने के पश्चात निम्नदाब टैरिफ पर की जायेगी। मीटर किराया उच्चदाब मीटरिंग के आधार पर होगा।

(iii) उपभोक्ता को उच्चदाब संयोजन की बकाया राशि का भुगतान करना होगा तथा उच्चदाब संयोजन के विरूद्ध भविष्य में बकाया राशि यदि कोई होता है का भुगतान करने वचन देना होगा।

(iv) निम्नदाब संयोजन प्रारम्भ होने की तिथि से उच्चदाब अनुबंध निष्प्रभावी हो जायेगा।

(v) उच्चदाब संयोजन के ट्रांसफार्मर का स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में बिना मूल्य स्थानांतरित करना होगा तथा ट्रांसफार्मर का संधारण व उसके खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी पर होगा।

(vi) उच्चदाब संयोजन हेतु उपलब्ध सुरक्षा निधि निम्नदाब संयोजन हेतु स्थानांतरित की जायेगी।

(vii) उपभोक्ता को उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए निम्नदाब अनुबंध करना होगा।

अनुबंध

7.17 विद्युत आपूर्ति के पूर्व उपभोक्ता को नया संयोजन प्राप्त करने हेतु अनुबंध करना होगा। नाम तथा प्रयोजन में परिवर्तन करने तथा स्वीकृत संविदा भार/ मांग में वृद्धि या कमी हेतु उपभोक्ता को पूरक अनुबंध करने की आवश्यकता होगी जो कि अनुबंध का भाग होगा। उपभोक्ता को अनुबंध पत्र के सभी पृष्ठ के निचले भाग पर हस्ताक्षर करने होंगे।

7.18 अनुबंध में निम्न समाहित होंगे:–

(1) उपभोक्ता का नाम व पता

(2) परिसर का पोस्टल पता जहां के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है व जिसके लिये अनुबंध किया जा रहा है

(3) संविदा भार/संविदा मांग

(4) विद्युत उपयोग का प्रयोजन

(5) उपभोक्ता द्वारा घोषणा–

(i) अधिनियम तथा इस संहिता का पालन करना

(ii) प्रचलित टैरिफ के आधार पर विद्युत आपूर्ति का भुगतान करना

(iii) इस संहिता तथा आयोग द्वारा समय–समय पर अनुज्ञप्तिधारी हेतु सामान्य तथा विविध शुल्क के अंतर्गत अनुमोदित सभी शुल्क का भुगतान करना।

(iv) अधिनियम तथा इस संहिता के प्रावधान के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त सुरक्षा निधि जमा करना।

7.19 किये गये अनुबंध की एक प्रति उपभोक्ता को दिया जाये। जहां अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य कोई लिखित अनुबंध न हो, यथा अस्थाई संयोजन, जनरेटर जिन्होंने स्टार्ट अप पावर संयोजन नहीं लिया हो तथा केप्टिव उपभोक्ता जो ओपन एक्सेस के माध्यम से प्रणाली से विद्युत प्राप्त करते हैं, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ होने पर वे इस संहिता के नियम व शर्तों से शासित होंगे तथा संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के तहत बिल किये जायेंगे।

7.20 यदि स्वामित्व/अधिवासी बदलने पर भी यदि उपभोक्ता का नाम नहीं बदला जाता तो भी इस संहिता की नियम व शर्ते उस व्यक्ति पर लागू रहेंगी जो उस संयोजन से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करता है।

7.21 ऐसे उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ हुए अनुबंध के किसी विशेष प्रावधान से शासित हैं, वे अनुबंध के उस विशेष प्रावधान के तहत शासित रहेंगे।

7.22 आवेदक द्वारा, निर्धारित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नया कनेक्शन लेने के लिये मानक प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । विशेष परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबन्ध में कुछ विशिष्ट खण्डों को जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि यदि ऐसे खण्ड विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता एवं प्रभावशील अन्य नियमों तथा विनियमों के विपरीत नहीं हों । ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का हिस्सा होंगे।

7.23 घरेलू तथा एक फेज गैर घरेलू के सिवाय अन्य उपभोक्ता कम से कम 1 से.मी. = 12 मीटर (1 इंच = 100 फुट) स्केल का परिसर का प्लान नक्शा जिसमें परिसर जहां विद्युत आपूर्ति की

आवश्यकता है की स्पष्ट रंग से सीमा, प्रस्तावित लाइन विस्तार व आपूर्ति बिन्दु दर्शित हो, अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेंगे। जमा किया गया नक्शा जो कि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों द्वारा स्वीकृत व हस्ताक्षरित हो अनुबंध का भाग होगा।

नये अधिवासी के नाम से संयोजन स्थानांतरित करना

7.24 उपभोक्ता के निधन होने या परिसर के स्वामित्व या अधिवासी में परिवर्तन होने पर इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन करने पर संयोजित नये मालिक या अधिवासी के नाम पर स्थानांतरित किया जायेगा ।

7.25 सम्पत्ति के स्वामित्व/अधिवासी में परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के नाम परिवर्तन के आवेदन पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी–

(1) उपभोक्ता के नाम परिवर्तन हेतु आवेदक इस संहिता के संलग्नक 4 में हाल में भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा। जब तक संबंधित संयोजन के सभी भुगतान योग्य बकाया राशि पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक संयोजन स्थानांतरण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र स्वामित्व/अधिवासी होने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक के नाम पर सुरक्षा निधि के स्थानांतरण के प्रकरण में परिसर के पंजीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्ववर्ती अधिवासी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ।

(2) यदि पंजीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्ववर्ती अधिवासी से आवेदक के नाम पर सुरक्षा निधि स्थानांतरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता जो ऐसी स्थिति में नाम स्थानांतरण का आवेदन फार्म तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि इस संहिता में दिये गये प्रावधान के अनुसार नया सुरक्षा निधि जमा की जायेगी। तथापि मूल सुरक्षा निधि संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर वापस किया जायेगा।

(3) उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन आवेदन पत्र स्वीकार करने तथा पूरक अनुबंध निष्पादन पश्चात दो बिलिंग चक्र (साइकिल) के भीतर किया जायेगा।

विधिक उत्तराधिकारी के नाम पर संयोजन का स्थानांतरण

7.26 विधि मान्य उत्तराधिकारी के नाम पर संयोजन के स्थानांतरण संबंधी आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी –

(1) उपभोक्ता के नाम परिवर्तन हेतु आवेदक इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में हाल में भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकृत वसीयतनामा/अनुबंध, उत्तराधिकार पत्र/ विधि मान्य उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, म्यूनिसिपल का म्यूटेशन/भूमि रिकार्ड या अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकार किये जायेंगे।

(2) सुरक्षा निधि सहित उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, आवेदन स्वीकार करने तथा पूरक अनुबंध निष्पादन पश्चात दो बिलिंग चक्र (साइकिल) के भीतर किया जायेगा।

(3) कोई विद्युत शुल्क या विद्युत संबंधी अन्य राशि जो बकाया है तथा अनुज्ञप्तिधारी को देय है, भूमि या परिसर के दिवंगत उपभोक्ता या भूतपूर्व मालिक/अधिवासी जैसा कि प्रकरण हो, के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, की देनदारी उत्तराधिकारी या नये मालिक/अधिवासी पर लागू होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर के ऐसे विधि मान्य प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी या नये मालिक/अधिवासी जैसा कि प्रकरण हो से वसूली योग्य होगा।

वर्तमान संयोजन/मीटर के स्थान परिवर्तन

7.27 आवेदक वर्तमान परिसर के संयोजन के स्थान परिवर्तन या वर्तमान लाइन हटाने हेतु इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन पत्र पर इस संहिता की कंडिका 4.22 से 4.30 के प्रावधान के अनुसार स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्राक्कलित राशि हेतु मांग पत्र जारी करने तथा भुगतान प्राप्त हेतु कार्यवाही करेंगे।

7.28 राशि के भुगतान पश्चात कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित समय सारिणी का पालन किया जायेगा –

(1) मीटर तथा सर्विस तार का स्थान परिवर्तन – 7 दिन

(2) उच्च व निम्न दाब लाइन का स्थान परिवर्तन – 20 दिन

(3) ट्रांसफर्मर का स्थान परिवर्तन – 30 दिन

प्रयोजन /उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन

7.29 यदि यह पाया जाता है कि कोई उपभोक्ता टैरिफ में गलत श्रेणी में रखा गया है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उपयुक्त श्रेणी में रखने हेतु कार्यवाही कर सकता है। उपभोक्ता को प्रस्तावित श्रेणी में रखने हेतु तथा सहमत न होने पर एतराज करने हेतु 30 दिवस की नोटिस जारी करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के जबाव पर यदि कोई हो, उपयुक्त विचार कर उपभोक्ता का श्रेणी परिवर्तन कर सकता है। मतभेद होने की स्थिति में प्रकरण उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को सौंपा जा सकता है ।

7.30 यदि कोई उपभोक्ता अपने उपभोक्ता श्रेणी (केटेगिरी) में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षण में यदि आवेदक का श्रेणी परिवर्तन का आवेदन उपयुक्त पाया जाता है तो निरीक्षण के बाद के बिलिंग माह के प्रारम्भ से श्रेणी परिवर्तन प्रभावशील किया जायेगा तथा इसकी लिखित पुष्टिकरण उपभोक्ता को भेजी जायेगी।

7.31 उपभोक्ता अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि (2 वर्ष) में एक बार टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकता है। टैरिफ परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण/सत्यापन के बाद के बिलिंग माह के प्रथम दिवस या आगामी माह जैसा कि उपभोक्ता द्वारा निवेदित हो से स्वीकृत किया जा सकता है। टैरिफ परिवर्तन का बिलिंग पर वास्तविक प्रभाव पूरक अनुबंध के स्वीकृत होने के पश्चात ही इस संहिता की कंडिका 7.5 के प्रावधानों के भीतर होगा।

7.32 यदि उपभोक्ता श्रेणी परिवर्तन के आवेदन को उपयुक्त नहीं पाता तो वह उपभोक्ता को निरीक्षण के 10 दिवस के भीतर इसका कारण बतलाते हुए लिखित सूचना देगा।

7.33 उस अवधि में जब उपभोक्ता के श्रेणी परिवर्तन का आवेदन लंबित हो उपभोक्ता के विरूद्ध इस आधार पर विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

अनुबंध का प्रारम्भ

7.34 उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्ध होने की सूचना जारी करने के निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 3 माह की अवधि समाप्ति के दिन के तुरंत पश्चात अथवा संयोजन की तिथि जो भी पहले हो अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि मानी जायेगी।

अनुबंध की निरंतरता

7.35 अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के प्रारम्भिक अवधि बीतने के पश्चात अनुबंध उसी नियम व शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष अपने आप प्रभावशील रहेगा।

अनुबंध की समाप्ति

7.36 यदि दो वर्ष की अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि (भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई पूरक अनुबंध किंया गया हो) पश्चात किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के अनुसार जारी किये गये किसी निर्देश का पालन न करने के कारण दो माह तक विच्छेदित रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में अनुबंध की समाप्ति हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करेगा जिसके उत्तर देने की समय सीमा 15 दिवस होगी। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने या विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो 15 दिवस की अवधि बीत जाने पर बिलिंग माह के अंतिम दिवस पर अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य विद्युत आपूर्ति के अनुबंध समाप्त किये जायेंगे। अस्थाई विच्छेदन की अवधि में उपभोक्ता प्रचलित टैरिफ के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

7.37 यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि में विच्छेदित होती है तो प्रचलित टैरिफ के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभाव बिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बिना भुगतान किये दो माह तक कटी रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में बकाया राशि जमा करने तथा विद्युत आपूर्ति चालू करवाने, अन्यथा मीटर व मीटरिंग उपकरण हटा लिये जाने हेतु 15 दिवस की नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो 15 दिवस की पुनः नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के बिलिंग माह के 6 माह पश्चात या उस माह की अंतिम तिथि जब अनुबंध की आरम्भिक अवधि समाप्त होती है जो भी पहले हो, को मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिये जायेंगे।

7.38 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि में पुनः विद्युत आपूर्ति लेने हेतु आता है तो परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने/ विद्युत निरीक्षक के स्वीकृति पश्चात यदि मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिये गये हैं तो पुनः स्थापित कर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ किया जायेगा।

7.39 घरेलू, एकल (सिंगल) फेज गैर घरेलू, तथा सड़क बत्ती श्रेणी के उपभोक्ता दो वर्ष की अनुबंध की अवधि में भी संलग्नक 7 मे दर्शित प्रपत्र में एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं।

7.40 घरेलू, सिंगल फेज गैर घरेलू, तथा सड़क बत्ती श्रेणी के सिवाय अन्य उपभोक्ता अनुबंध के दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि समाप्त होने के पश्चात संलग्नक 7 में दर्शित प्रपत्र में एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई पूरक अनुबंध किया गया हो। एक माह का समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नोटिस प्राप्ति से माना जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के लिए अंतिम बिल तैयार करने हेतु आपसी सहमति से तय तिथि पर विशेष मीटर रीडिंग की व्यवस्था करेगा। बिलिंग माह की अंतिम तिथि पर अनुबंध समाप्त कर अनुज्ञप्तिधारी अंतिम बिल जारी करेगा।

उदाहरण : यदि एक माह की नोटिस 3 सितम्बर को जारी किया गया हो तथा 5 सितम्बर को अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किया गया हो, तथा बिलिंग चक्र (साइकिल) 15 सितम्बर को पूर्ण होता हो, तब अनुबंध 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। यदि एक माह की नोटिस अनुज्ञप्तिधारी को 15 सितम्बर को प्रस्तुत किया गया हो तब भी अनुबंध समाप्ति की तिथि 15 अक्टूबर होगी अर्थात

अनुबंध समाप्ति की तिथि एक माह की नोटिस समाप्ति के पश्चात बिलिंग माह की अंतिम तिथि को होगी।

7.41 घरेलू, सिंगल फेज गैर घरेलू, तथा सड़क बत्ती के सिवाय अन्य उपभोक्ता के संयोजन किसी भी कारण से, अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के पूर्व समाप्त करने हो तो उपभोक्ता को अनुबंध की दो वर्ष की शेष अवधि के लिए इस संहिता की कंडिका 7.37 के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभार बिल किया जायेगा।

7.42 अनुबंध की समाप्ति की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन के स्थाई विच्छेदन के पश्चात उपभोक्ता को संलग्नक 8 में दर्शित प्रपत्र में दी जायेगी।

7.43 अनुबंध समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये मीटर/सर्विस तार तथा अन्य उपकरण हटा सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में ताला लगे होने तथा नोटिस जारी होने के पश्चात् भी नहीं खोलने के कारण मीटर, मीटरिंग उपकरण नहीं हटा सके तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर तथा मीटरिंग उपकरण हेतु राशि बिल कर सकता है। स्थाई विच्छेदन के पश्चात यदि उपभोक्ता संयोजन पुनर्जीवित करना चाहता है तो उनका आवेदन नये संयोजन हेतु माना जायेगा तथा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात ही उस पर विचार किया जायेगा।

विविध

7.44 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों के आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कम की जा सकती है, रूक–रूक कर की जा सकती है या बंद की जा सकती है । अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के नियमित रख–रखाव हेतु भी, उचित सूचना देने के पश्चात्, उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय की पूर्ति कम की जा सकती है, रोक–रोक कर दी जा सकती है या उसे पूरी तरह से बन्द की जा सकती है ।

7.45 आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं की आपूर्ति को, उचित सूचना के उपरान्त, विनियमित (योजनाबद्ध विद्युत कटौती) कर सकता है ।

7.46 उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विरूद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा तथा सभी उपयोग लागू अधिनियम तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किये जावेगें ।

7.47 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनुबन्ध में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा अथवा लाईन का विस्तार परिसर के बाहर नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विस्तार/विचलन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति न ली गई हो ।

7.48 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो आपूर्ति का पुर्नसंयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन, के उपरांत तथा पूर्नःसंयोजन शुल्क के भुगतान के बाद किया जायेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार के भुगतान के लिये बाध्य होगा।

यदि विद्युत विच्छेदन उपभोक्ता द्वारा अधिनियम, नियम अथवा विनियम के उल्लंघन के कारण न होकर जिला दंडाधिकारी के आदेश पर विधि तथा आदेश (लॉ एंड आर्डर) के कारण किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से मांग / न्यूनतम प्रभार तथा विच्छेदन व पुनर्संयोजन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7.49 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति किये गये किसी ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य परिसर में तब तक प्रदाय नहीं करेगा, जब तक कि उसे आयोग/राज्य शासन से ऊर्जा विक्रय हेतु उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त न हो, या अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्ति हो, या उसे फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्त किया गया हो।

अध्याय 8 : मीटरिंग

मीटरों की आवश्यकता

8.1 बिना समुचित मापदंड व क्षमता के मीटर के कोई भी नया संयोजन नहीं दिया जायेगा।

8.2 सभी उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर में उपयुक्त मीटरिंग उपकरण, लोड लिमिटर, छेड़–छाड़ रोधी बॉक्स या अन्य उपकरण स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवम् उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए इस संहिता की कंडिका 11.64 व 4.24 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थल व जगह प्रदान करना होगा ।

8.3 उच्चदाब विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में यदि उच्चदाब मीटरिंग तुरंत स्थापित नहीं की जा सकती है तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर निम्नदाब (एल.टी.) मीटरिंग लगाई जा सकती है । ऐसे प्रकरणों में बिलिंग हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, ट्रांसफार्मेशन क्षति हेतु, एल. टी. मीटरिंग में दर्ज मात्रा में 3 प्रतिशत् जोड़कर की जावेगी । यह व्यवस्था तीन माहों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रखी जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी इन तीन माहों के भीतर ट्राँसफार्मर के उच्चदाब की ओर मीटरिंग प्रणाली स्थापित करने का प्रबंध करेगा।

8.4 यदि उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता को केवल उसके उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती तो मीटरिंग की व्यवस्था या तो उपभोक्ता के परिसर में या, यदि आपसी सहमति हो तो, अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर की जा सकती है ।

8.5 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान में लगाए गए मीटरों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु अधिकृत है। तकनीक में विकास के कारण यदि बेहतर गुणवत्तायुक्त मीटर उपलब्ध होते है तो उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा करते हुए इन्हें लगाया जावे। अनुज्ञप्तिधारी, रिमोट मीटरिंग प्रणाली भी तकनीकी आवश्यकताओं अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मीटर, जिसमें उच्चतम मांग एवं टाईम आफ डे रिकार्ड करने संबंधी विशेषताऐं या अन्य अतिरिक्त विशेषताऐं उपलब्ध हो भी लगा सकता है । अनुज्ञप्तिधारी किसी एक उपभोक्ता के कनेक्शन अथवा उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के समूह के लिये चेक मीटर स्थापित कर सकता है।

8.6 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में यदि बिलिंग मीटर तथा चेक मीटर द्वारा अंकित खपत का अंतर यदि लगातार स्वीकृत सीमा से अधिक आता है तो उपभोक्ता को आवश्यक लिखित सूचना देकर अनुज्ञप्तिधारी बिलिंग मीटर पोल या पिलर बाक्स पर लगाने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसे प्रकरण में जहां ट्रांसफार्मर से सिर्फ एक ही उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय होता है, अनुज्ञप्तिधारी मीटरिंग को उच्चदाब की ओर स्थानांतरित कर सकता है तथा उच्चदाब मीटरिंग से 3 प्रतिशत ट्रांसफारमेशन हानि घटा कर उपभोक्ता को बिल कर सकता है। ऐसे प्रकरण में मीटर किराया निम्नदाब मीटर का लगेगा।

मीटर का प्रदाय व स्थापना

8.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नया संयोजन देते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी समय मीटर तथा मीटरिंग उपकरण स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही कार्य स्थिति में रखेगा और उपभोक्ता जहां प्रयुक्त हो उसका मासिक किराया आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित विविध शुल्क की दर से भुगतान करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर या मीटरिंग उपकरण को सही कार्य स्थिति में नहीं रख पाता है तो मीटर खराब रहने की अवधि का किराया उपभोक्ता द्वारा देय नहीं होगा।

8.8 सामान्यतः उपभोक्ता मीटर अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व का रहेगा। यदि कोई उपभोक्ता चाहे तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत वेंडर सूची से अनुमोदित मापदंडों का मीटर व मीटरिंग उपकरण खरीद कर अनुज्ञप्तिधारी को लगाने हेतु प्रदाय कर सकता है। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को मीटर को सही परिशुद्वक (एक्यूरेट) व चालू हालत में रखना होगा। अनुमोदित परीक्षण शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर तथा मीटरिंग उपकरण का मियादी (शेडूल्ड) परीक्षण किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मासिक मीटर किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8.9 मीटर सामान्यतः इस तरह से स्थापित किया जावेगा ताकि यह पानी इत्यादि से सुरक्षित रहे और मीटर रीडर द्वारा इसकी रीडिंग बाहर से ही बिना परिसर को खोले या बिना ताला खोले ली जा सके। विशेष अवस्था में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री स्तर या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा दी जावेगी। मीटर बाक्स सामान्यतः जमीन से 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जावेगा ताकि मीटर रीडिंग काऊण्टर/डिस्प्ले विण्डो ऑख की ऊँचाई पर रहे। मीटर की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इस संहिता की कंडिका 11.64 के अनुसार उपभोक्ता के संरक्षित परिसर में मुख्य द्वार के समीप, लगाई जानी चाहिए। इस प्रदाय बिन्दु से उपभोक्ता अपनी वायरिंग ले जायेगा।

8.10 बहुमंजिला भवन के प्रकरण में मीटर एक जगह सामान्यतः मुख्य प्रवेश द्वार के पास पिलर बाक्स में, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तय किया जायेगा, प्रथमतः (प्रिफरेवली) भूमि तल पर जहां उपयुक्त प्रकाश व हवा का आवागमन हो लगाया जायेगा।

8.11 निम्नदाब अस्थाई संयोजन में मीटर पोल पर वितरण लाइन के या सर्विस लाइन के विस्तार बिन्दु पर लगाया जायेगा।

8.12 सभी नये कनेक्शनों के मीटरों की स्थापना टेम्पर प्रूफ बाक्स में की जावे। अनुज्ञप्तिधारी, चरण-बद्व योजना बनाकर ऐसे सभी मीटर, जो वर्तमान में टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित नहीं हैं, को टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित करेगा।

8.13 कच्चे मकानों के प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर दीवार पर ठीक तरीके से स्थापित किया जावे और मीटर तक मीटर रीडर की पहुंच सुगम हो। यदि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता की दीवार मीटर स्थापित करने के लिये उपलब्ध नहीं करा पाता तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को पोल पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये पिलर बक्से में लगा सकता है।

8.14 जब कभी भी कोई नया मीटर स्थापित किया जाएगा (बदलने या फिर नए कनेक्शन के लिए) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठीक तरह से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करेंगे। मीटर या मीटरिंग प्रणाली की सील, नाम पट्टिकाओं और उन पर खुदे हुए विभेदकारी अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों ।

8.15 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा। यदि मीटर गुम या चोरी हो जाये तो उपभोक्ता इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में करायेगा तथा विद्युत आपूर्ति की पुनर्स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के खर्च पर नये मीटर की स्थापना होने पर की जायेगी।

8.16 ऐसी स्थिति में जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रभार प्राप्त करने में दिक्कत महसूस कर रहा हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी पूर्व भुगतान (प्री पेड) मीटर लगा सकता है। पूर्व भुगतान की योजना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर पर्याप्त प्रचार प्रसार पश्चात क्रियान्वित करेगा। मीटर सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ॲथरिटी (इन्स्टलेशन तथा ऑपरेशन आफ मीटर्स) रेग्युलेशन 2006 (आगे सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम) में विनिर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकतानुसार होनी चाहिए।

मीटरों का मियादी परीक्षण

8.17 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मीटर के स्थापना के पूर्व उसकी परिशुद्धता से संतुष्ट हो और उस प्रयोजन हेतु वह मीटर का परीक्षण कर सकता है।

8.18 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित समयावधि के अनुसार भी मीटरों का परीक्षण करेगा –

(अ) एकल फेज मीटर – पॉच वर्ष में एक बार

(ब) निम्नदाब 3 फेज मीटर (सी.टी.सहित) यदि हो तो – तीन वर्ष में एक बार

(स) उच्च तथा अति उच्चदाब मीटर, मीटरिंग उपकरण सहित – वर्ष में एक बार

मीटरों का बदलना

खराब मीटर का परीक्षण

8.19 मीटर की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर एवं संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा और उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में सहायता उपलब्ध करायेगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति होगी ।

8.20 मियादी या अन्य निरीक्षण के समय यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही खपत दर्शित करते नहीं पाता या उपभोक्ता इस संबंध में संलग्नक प्रपत्र 9 में शिकायत करता है तो अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में 7 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन के भीतर मीटर का परीक्षण करेगा। यदि निम्नदाब उपभोक्ता के संयोजन का मीटर खराब पाया जाता है तो शहरी क्षेत्र में 15 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिनों के भीतर बदलना चाहिए। उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर 15 दिवस में बदलना चाहिए।

8.21 यदि फिर भी उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता पर शंका जाहिर करता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक परीक्षण शुल्क सहित मीटर के परीक्षण हेतु आवेदन दे सकता है। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण फीस सहित आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर परीक्षणशाला में मीटर का परीक्षण करेगा।

8.22 परीक्षणशाला में मीटर परीक्षण के सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को मीटर परीक्षण के प्रस्तावित दिवस सूचित करते हुए कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि वह व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मीटर परीक्षण के समय उपस्थित रह सके। यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित हों तो उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप परीक्षण परिणाम प्रपत्र में उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे। यदि उपभोक्ता उनके प्रतिनिधि उपस्थिति न हो तो अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि व परीक्षणशाला के कर्मचारी परीक्षण परिणाम पत्र में हस्ताक्षर करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के दो कार्य दिवस के भीतर परीक्षण परिणाम उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा पावती प्राप्त करेगा। मीटर खराब पाये जाने की स्थिति में परीक्षण परिणाम के आधार पर उपभोक्ता को

अधिकतम 6 माह या पिछले परीक्षण / निरीक्षण की तिथि से या उस माह से जब से खपत में काफी कमी आई है जो भी कम हो की अवधि का बिल किया जायेगा।

8.23 यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर एतराज़ करता है तो वह विद्युत निरीक्षक को परीक्षण परिणाम सूचित करने के एक माह के भीतर प्रतिवेदन दे सकता है जो कि अपने सामने मीटर परीक्षण करा सकते हैं।

विविध

8.24 यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित तकनीकी कारणों से जलता है जैसे कि वोल्टेज में बार–बार बदलाव (फ्लक्चुएशन), ट्रांजिएंट आदि तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर की कीमत नहीं वसूलेगा। यदि मीटर के जलने के कारण उपभोक्ता से संबंधित हो, जैसा कि अनाधिकृत भार में वृद्धि, अतिरिक्त विद्युत का आहरण आदि तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर की कीमत वसूल करने अधिकृत होगा।

8.25 सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो तथा आयोग द्वारा तत्संबंध में जारी आदेश/दिशा निर्देश मीटर के स्थापना तथा संचालन हेतु लागू होंगे।

8.26 यदि सी.टी. तथा व्ही.टी. मीटर के भाग होते है तो मीटर जहां तक सम्भव हो, (उपकरण) इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफर्मर के समीप लगाया जायेगा ताकि द्वैतियिक (सेंकडरी) तार (लीड में) वोल्टेज में कमी को न्यूनतम किया जा सके।

8.27 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मीटर के परीक्षण संबंधी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रमाणिक मीटर परीक्षणशाला तैयार करेगा या अन्य प्रमाणिक परीक्षणशाला की सेवा प्राप्त करेगा।

8.28 उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण या तो स्थल पर किया जायेगा अथवा उसे परीक्षण किये गये मीटर से बदला जायेगा। उपभोक्ता के स्थल पर 650 वोल्ट तक के मीटर के परीक्षण में किये मीटर से बेहतर परिशुद्धता वाले प्रमाणिक संदर्भ मीटर उपयोग में लाया जायेगा। 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट वाले उपभोक्ता मीटर के परीक्षण में सभी मीटरिंग उपकरण यथा करेन्ट ट्रांसफार्मर (सी.टी.) तथा वोल्टेज ट्रांसफार्मर (व्ही.टी.) सम्मिलित होने चाहिए।

8.29 सी.टी. तथा व्ही.टी. की परिशुद्धता श्रेणी संबंधित मीटर की परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज ट्रांसफर्मर इलेक्ट्रोमेग्नेटिक व्ही.टी. या केपेसिटव व्ही.टी. होना चाहिए।

मीटर को निम्नलिखित परिशुद्धता श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए –

650 वोल्ट तक	–	1.0 या बेहतर
650 वोल्ट से अधिक और 33 किलोवोल्ट तक	–	0.5S या बेहतर
33 किलोवोल्ट से अधिक	–	0.2S या बेहतर

अध्याय 9 : बिलिंग

मीटर वाचन

9.1 विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मीटर वाचन की समयावधि आयोग के अनुमोदन के अनुसार होगी। उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मीटर वाचन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।
जहां तक सम्भव हो मीटर वाचन माह के उसी तिथि को लिया जाये। घरेलू उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर वाचन सिर्फ दिन के प्रकाश अवधि में लेनी चाहिए।

9.2 मीटर वाचक /निरीक्षण अधिकारी अपने साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र रखेंगे तथा उसे इस प्रकार पहनेंगे कि वह मीटर रीडिंग के समय दिखाई दे, तथा वे मीटर कार्ड में रीडिंग अंकित करेंगे।

9.3 मीटर वाचन हेतु अनुज्ञप्तिधारी मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट (एम आर आई) या अन्य कोई प्रणाली जैसे कि आटोमेटेड मीटर रीडिंग (ए एम आर) या रिमोट मीटर वाचन व्यवस्था का उपयोग कर सकता है। यदि उपभोक्ता इस प्रकार की रीडिंग का रिकार्ड चाहता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मीटर रीडिंग का विवरण उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।

9.4 यह मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक संयोजन जहां मीटर वाचन नहीं लिया जा सका, प्रत्येक बंद तथा संदेहास्पद खराब मीटर की सूची प्रति कार्य दिवस के अंत में बनायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में स्थानीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को, तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को देगा जो कि बंद/खराब मीटर व मीटरिंग उपकरण तुरन्त बदलने हेतु जिम्मेदार होंगे। अनुज्ञप्तिधारी समय पर बंद व खराब मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने तथा खपत के सही आकलन हेतु जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व (एकाउण्टेबिलिटी) निर्धारित करते हुए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर क्रियान्वित करेंगे।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा परिसर के परिवर्तन/रिक्त करने की दशा में विशेष मीटर वाचन

9.5 कनेक्शन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह परिसर के परिवर्तन अथवा रिक्त होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क कर, विशेष मीटर रीडिंग करवाये।

9.6 कनेक्शन का स्वामी/उपयोगकर्ता, परिसर के रिक्त होने या उपयोगकर्ता के परिवर्तित होने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व लिखित में विशेष मीटर वाचन हेतु आवेदन दे सकता है ।

9.7 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी विशेष मीटर रीडिंग करवाने की व्यवस्था करेगा एवं बिलिंग की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर, उपभोक्ता को अन्तिम बिल प्रदाय करेगा ।

9.8 अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त सेवा के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों के अनुसार, युक्ति–युक्त शुल्क ले सकता है ।

9.9 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक विशेष (यूनीक) उपभोक्ता क्रमांक आवंटित करे तथा इसको संबंधित उपभोक्ता को सूचित् करे। इस विशेष उपभोक्ता क्रमांक में पोल क्रमांक, ट्रांसफार्मर क्रमांक, 11 किलो वोल्ट फीडर (संभरक) क्रमांक, वितरण

केन्द्र क्रमांक तथा संभाग क्रमांक निहित हो सकते हैं, और इसे विद्युत बिल में दर्शित किया जायेगा।

बिलिंग

9.10 आयोग के प्रचलित विद्युत दर आदेश में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के बिल बनाए जायेंगे।

9.11 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन महीने के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता है तो ऐसी दशा में मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार और/या अन्य इसी प्रकार के नियत प्रभारों की, महीने के जितने दिनों के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है, के अनुपातिक आधार पर बिलिंग की जावेगी । दर्ज की गई खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, अनुपातिक रूप से प्रभारित किया जावेगा । इस कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में महीने की अवधि 30 दिवसों की होगी ।

9.12 यदि किसी कारण से वाचन हेतु मीटर तक पहुंच पाना सम्भव नहीं हो पाता तो मीटर वाचक परिसर में इस आशय का लिखित सूचना पत्र छोड़ेगा कि उपभोक्ता सूचना पत्र में दर्शित तिथि व समय पर वाचन हेतु मीटर उपलब्ध कराए, या स्वयं मीटर वाचन सूचित करे। सूचना के पश्चात भी यदि उपभोक्ता न तो मीटर वाचन सूचित करता है और न ही वाचन हेतु मीटर उपलब्ध कराता है तो अनुज्ञप्तिधारी गत वर्ष के औसत मासिक खपत के आधार पर अंतरकालीन (प्रोव्हीजिनल) बिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।

9.13 इस प्रकार औसत आधार पर बिल की गई राशि का समायोजन मीटर रीडिंग के आधार पर बिल किये गये आगामी बिलिंग माह/चक्र (साइकिल) में प्रति माह 50 प्रतिशत खपत मानते हुए किया जायेगा। ऐसे अंतरकालीन बिलिंग एक बार में दो से अधिक बिलिंग माह/चक्र जो भी प्रयुक्त हो, से अधिक नहीं होगा। यदि आगामी मीटर वाचन के लिये भी मीटर उपलब्ध नहीं होता तो उपभोक्ता को निर्धारित दिन व समय पर परिसर खुला रखने हेतु सूचना जारी किया जायेगा। यदि सूचना में दर्शित दिन व समय पर वाचन हेतु मीटर उपलब्ध नहीं होता तो 24 घंटे की नोटिस पश्चात विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन किया जा सकता है।

9.14 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से या डाक से बिल भेज सकता है। उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी रजिस्ट्रीकृत डाक से भी बिल भेज सकता है और उपभोक्ता से इस माध्यम से बिल भेजने का खर्च वसूली योग्य होगा।

9.15 अनुज्ञप्तिधारी नगद भुगतान के अंतिम दिवस के कम से कम 7 दिवस पूर्व उपभोक्ता को बिल वितरित करेगा।

बंद व खराब मीटर के प्रकरण में खपत का आकलन

9.16 यदि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर बंद/खराब रहता है तो खपत के आकलन व बिलिंग हेतु मार्गदर्शन निम्नानुसार होंगे –

(ए) यदि जांच (चेक) मीटर भी स्थापित हो –

(1) यदि मुख्य मीटर बंद हो और जांच मीटर सही कार्यरत हो तो बिलिंग जांच मीटर के अनुसार होगा।

(2) यदि दोनों मीटर कार्यरत पाये जाते हैं और इन दोनों मीटरों के खपत का अंतर स्वीकार्य सीमा के भीतर होता है तो बिलिंग मुख्य मीटर के द्वारा दर्शित खपत के आधार पर होगा।

(3) यदि दोनों मीटर कार्यरत हो परंतु इन दोनों मीटरों के खपत का अंतर स्वीकार्य सीमा से अधिक होता है तो दोनों मीटरों का परीक्षण कर बिलिंग मुख्य मीटर द्वारा दर्शित खपत पर प्रतिशत त्रुटि के आधार पर किया जायेगा।

(बी) यदि सिर्फ मुख्य मीटर स्थापित किया गया हो तो खपत का रूझान (ट्रेन्ड) जानने तथा इस निर्णय पर पहुंचने के लिये कि मीटर कब से खराब हुआ है, पिछले तीन वर्षों या संयोजन की तिथि से जो भी कम हो के खपत की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। मीटर के बंद/खराब होने की अवधि के सुसंगत (रीजनेबल) खपत के आकलन हेतु निम्न में से कोई तरीका या उनके सम्मिश्रण अपनाया जा सकता है –

(1) पिछले तीन माह के औसत खपत के आधार पर - यदि इन तीन माहो में मीटर सही कार्यरत रहा हो तथा खपत में एकरूपता हो,

(2) पिछले एक वर्ष के औसत खपत के आधार पर यदि पिछले एक वर्ष में मीटर सही कार्यरत रहा हो तथा माहवारी खपत में काफी अंतर पाया गया हो।

(3) पिछले वर्ष के संबंधित माह के खपत के आधार पर – यदि खपत में मौसम के आधार पर परिवर्तन पाया जाता है और मीटर पिछले वर्ष के संबंधित माह में सही कार्यरत रहा हो।

(4) यदि मीटर संयोजन तिथि से बंद/खराब रहा हो या संयोजन के पश्चात पर्याप्त अवधि का विश्वसनीय खपत उपलब्ध न हो तो अच्छा मीटर लगाने के पश्चात के तीन माह/बिलिंग चक्र के औसत खपत पर विचार किया जाये।

(5) संतुलित (बैलेंस) भार के प्रकरण में निरीक्षण/परीक्षण के समय यदि तीन फेज 4 तार निम्नदाब मीटर एक फेज में सही कार्यरत नहीं पाया जाता तथा दो फेज में ही कार्यरत पाया जाता है तब अंकित खपत व मांग को 1.5 के गुणन यथा दो फेज अंकित मांग व खपत में 50 प्रतिशत अधिक जोड़ कर बिल किया जाना चाहिए।

(6) संतुलित भार के प्रकरण में निरीक्षण/परीक्षण के समय यदि तीन फेज 4 तार निम्नदाब मीटर दो फेज में सही कार्यरत नहीं पाया जाता तथा एक फेज में ही सही कार्यरत पाया जाता है तब अंकित खपत व मांग को 3 के गुणन यथा एक फेज के अंकित मांग व खपत में 200 प्रतिशत जोड़ कर बिल किया जाना चाहिए।

(7) यदि इलेक्ट्रानिक मीटर के स्मरण (मेमारी) से एम आर आई/ए एम आर के माध्यम से उपयुक्त आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उपलब्ध आंकड़ों के अभिकलन (कम्प्यूटेशन) के आधार पर बिलिंग पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) मीटर का परीक्षण कर प्रतिशत त्रुटि का पता लगा कर प्राप्त प्रतिशत त्रुटि के आधार पर बिलिंग किया जाये।

(9) किये गये आकलन को अभिप्रमाणित करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी अन्य आधार यथा संयोजित भार, कार्यअवधि, लोड फेक्टर उसी प्रकार के अन्य संयोजन के खपत, एक्साइज विभाग द्वारा स्वीकृत उद्योग के उत्पादन के आंकड़ों का उपयोग कर सकता है।

9.17 बिलिंग का आधार तथा उसे अंगीकार करने का तर्क उपभोक्ता को बतलाया जाना चाहिए।

9.18 बिलिंग का आकलन, उस माह को सम्मिलित करते हुए जिसमें आकलन किया गया हो 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत नहीं पाया गया है जो भी कम हो की अवधि का किया जायेगा तथा मीटर के बदलने तक निरंतर जारी रहेगा।

9.19 यदि आकलन की अवधि में भार उस अवधि की तुलना में जिसके आधार पर आकलन किया जा रहा है से कम या अधिक हुआ है तो आकलित मांग व खपत भार में परिवर्तन होने के अनुपात में कम या अधिक किया जायेगा।

9.20 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में खराब मीटर पता लगने के दिन से शहरी क्षेत्र में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस के भीतर बदलनी चाहिए। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में त्रुटि की जानकारी के 15 दिवस के भीतर मीटर बदलना चाहिए।

9.21 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 हार्सपावर व अधिक के 100 प्रतिशत कनेक्शनों के अतिरिक्त एक वर्ष में प्रकाश व पंखे तथा पंप के कम से कम 5 प्रतिशत संयोजन का नमूने के तौर पर जांच किया जाये।

विद्युत बिल की विषय वस्तु

9.22 मीटरयुक्त कनेक्शन के बिल में निम्नलिखित विवरण होगें :–

(ए) सर्विस कनेक्शन क्रमांक

(बी) बिल क्रमांक

(सी) बिल अवधि

(डी) उपभोक्ता का नाम और पता

(ई) पोल क्रमांक, जिससे कनेक्शन दिया गया है

(एफ) वितरण केन्द्र का नाम, पता और दूरभाष क्रमांक

(जी) बिल जारी करने की तारीख

(एच) टैरिफ श्रेणी

(आई) विद्युत दर, विद्युत शुल्क एवं उपकर की [illegible]ू दरें

(जे) अनुबन्ध/संविदा भार/माँग

(के) एक फेज अथवा तीन फेज कनेक्शन

(एल) मीटर की पहचान का विवरण

(एम) वाचन दिनांक – पूर्व तथा वर्तमान

(एन) मीटर वाचन – पूर्व तथा वर्तमान

(ओ) आंकलित खपत

(पी) राशि जो उपभोक्ता द्वारा जमा है

(क्यू) बिल आधार

(आर) मीटर किराया

(एस) चालू माह के प्रभार – ऊर्जा प्रभार, नियत / मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार, वी.सी.ए. चार्ज, विद्युत शुल्क, उपकर, मीटर किराया, वेल्डिंग / केपेसिटर अधिभार, सुरक्षा निधि किश्त, रियायत राशि, अन्य यदि कोई हो ।

(टी) बकाया विद्युत प्रभार, विलम्बित भुगतान पर अधिभार का बकाया

(यू) बिल वितरण प्रभार, यदि लागू हो

(व्ही) कुल प्रभार

(डब्ल्यू) विलम्ब भुगतान अधिभार

(एक्स) भुगतान की अंतिम तिथि ... चेक द्वारा और नगद भुगतान हेतु

(वाय) प्राधिकारी जिसके पक्ष में चेक / बैंक ड्राफ्ट जारी किए जाने हैं (बिल के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित किए जाएं)

(जेड) सुरक्षा निधि, जो जमा है एवं जो लेना है।

(एए) पिछले भुगतान का पुष्टिकरण : भुगतान की राशि व दिनांक

9.23 निम्नलिखित जानकारी भी बिल के साथ नत्थी कर अथवा बिल पर छपवाकर अथवा मुद्रांकित की जाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना होगी :–

(ए) संग्रहण केन्द्रों के नाम / पते

(बी) बिलों के संग्रहण के लिए कार्यालयीन समय

(सी) प्राधिकारी का पद तथा पता, जिसको बिल, मीटर, मीटर वाचन, इत्यादि से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं

(डी) कोई अन्य संदेश जो कि अनुज्ञप्तिधारी देना चाहे, जैसे – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के बाद रखे जाने वाले बिल के भाग पर, उपभोक्ता से उसका फोन नम्बर (यदि हो तो) दर्शाने का अनुरोध करना । यह जानकारी उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संसूचना के लिए उपयोग की जा सकती है।

9.24 बिल में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी उचित समझे।

9.25 उपभोक्ता को दूरभाष / मोबाइल पर मार्गदर्शन तथा जानकारी देने हेतु अनुज्ञप्तिधारी केन्द्र तथा सम्भागीय स्तर पर आवाज पर आधारित शिकायत दर्ज कराने संबंधी सुविधा सहित (व्हाइस बेस्ड कम्पलेन्ट रिकाडिंग फेसीलिटी) कॉल सेंटर / कंजूमर केयर सेंटर स्थापित करेगा। उपभोक्ता द्वारा अपना संयोजन क्रमांक तथा पता बतलाये जाने पर उसे भुगतान की स्थिति, बकाया राशि की स्थिति, अधिकृत भार, संविदा मांग आदि की जानकारी दी जाये।

पूरक (नियमित बिल के अलावा अन्य) बिल

9.26 अतिरिक्त सुरक्षा निधि तथा नियमित मासिक बिल के अतिरिक्त अन्य बिल यथा लेखा परीक्षा (ऑडिट) की वसूली हेतु अलग से (पूरक) बिल जारी किया जायेगा।

9.27 विद्युत के प्रतिकूल (प्रीज्युडीशियल) उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रकरण के पूरक बिल के साथ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को पूरक बिल जारी करने के कारण, आधार तथा बिलिंग अवधि का लिखित विवरण देते हुए भुगतान के लिये 15 दिवस की नोटिस जारी करेगा। विद्युत के प्रतिकूल उपयोग की बिलिंग हेतु इस संहिता की कंडिका 11.10 से 11.26 तथा 11.33 से 11.39 में दर्शित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

उपभोक्ता बिल को स्वीकार कर पूरक बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में पूरक बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।

9.28 उपभोक्ता पूरक बिल प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर यदि आवश्यकता हो पूरक बिल संबंधी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर भुगतान हेतु 7 दिवस का समय देते हुए प्रेषित किया जायेगा।
उपभोक्ता बिल को स्वीकार कर पूरक बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में पूरक बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।

9.29 उपभोक्ता अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर/पूरक बिल जारी होने के 15 दिवस के भीतर जैसी स्थिति हो, बिल जारीकर्ता अधिकारी को लिखित एतराज यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी सुनवाई का युक्तिसंगत मौका देकर तथा उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित आधारभूत तथ्य पर विचार कर जारी किये गये पूरक बिल की समीक्षा/पुष्टि कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने के कारण दर्शाते हुए उपभोक्ता को भुगतान हेतु 7 दिवस का समय देगा।
उपभोक्ता इस बिल को स्वीकार कर बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में इस बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।

9.30 पूरक बिल की समीक्षा/पुष्टि से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता निम्नदाब संयोजन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित कार्यपालन अभियंता या समकक्ष तथा उच्च व अति उच्चदाब संयोजन की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता या समकक्ष या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदांकित अन्य किसी अधिकारी को प्रतिवदेन प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते कि बिल किये गये राशि का 50 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी को जमा कर उसका दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवेदन के साथ जमा किया जाये।

9.31 अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है दोनों पक्षों को सुन कर उपभोक्ता के प्रतिवेदन के 30 दिवस के भीतर अपना निर्णय सूचित करेंगे। सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये वस्तुस्थिति पर समुचित विचार कर स्पष्ट आदेश जारी करेगा। आदेश में उपभोक्ता द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत तथ्य तथा उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारण भी समाहित होंगे। उपभोक्ता को आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित बिल जारी किया जायेगा जो 7 दिवस में भुगतान योग्य होगा।
उपभोक्ता इस बिल को स्वीकार कर बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में इस बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।

9.32 यदि अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस निर्णय पर पहुंचता है कि पूरक बिल जारी करने का कोई आधार नहीं बनता या इस संबंध में पूर्व में भुगतान की गई राशि वास्तविक देय राशि से अधिक है, तो शेष राशि उपभोक्ता के खाते में आगामी माह के बिल में वापसी योग्य राशि पर भुगतान के दिवस तक 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर ब्याज के साथ क्रेडिट किया जायेगा।

9.33 यदि उपभोक्ता अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह अधिनियम की धारा 42(5) के प्रावधान के तहत निर्मित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जा सकता है।

9.34 अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारी/कर्मचारी को संयोजन के प्रकार/भार/पूरक बिल की राशि आदि के आधार पर पूरक बिल जारी करने हेतु नामित/अधिकृत कर सकता है।

अध्याय – 10: बिल का भुगतान, विद्युत आपूर्ति का अस्थाई व स्थाई विच्छेदन

बिल का भुगतान

10.1 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये बिल के अनुसार उपयोग किये गये शक्ति (पावर) तथा खपत किये गये ऊर्जा (एनर्जी) का प्रतिमाह भुगतान करेंगे।

10.2 अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों के पते/स्थान तथा उनके कार्यकारी घण्टे, जिसमें उन बैंको को भी सम्मिलित किया जाय जहाँ उपभोक्ता भुगतान कर सकता है, का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी भुगतान के अधिकतम वैकल्पिक तरीके, जैसे नकद, स्थानीय चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति (ई.सी.एस.) एवं क्रेडिट/डेबिट–कार्ड आदि उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेगा।

10.3 ऐसे दिवसों में, जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग से कतार लगाकर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें प्राथमिकता देगा।

10.4 संग्रहण केन्द्रों पर एक से अधिक उपभोक्ताओं के बिल भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। इस सुविधा हेतु अलग खिड़की रखी जायेगी जिससे अन्य उपभोक्ताओं का प्रतीक्षा समय न बढ़े ।

10.5 संग्रहण केन्द्रों का कार्यभार कम करने के लिये, रू. 5,000/– (पांच हजार) से ज्यादा की राशि के सभी बिलों का भुगतान, संबन्धित बैंक की स्थानीय शाखा में देय चेक/बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से करना होगा ।

10.6 अनुज्ञप्तिधारी, ड्राप बाक्स के माध्यम से भुगतान लेने का प्रबंध करेगा, जिसमें उपभोक्ता केवल आदाता खाता के रेखांकित चेक डाल सकेगा । बिल भुगतान हेतु कतार में खड़े होने से बचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों एवं समय–समय पर अधिसूचित स्थानों पर, ड्राप बाक्स रखेगा । चेक बिल में दर्शित अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के नाम पर लिखा जाना चाहिये। चेक के पीछे सर्विस कनेक्शन क्रमांक, उपभोक्ता का नाम के साथ दूरभाष/मोबाईल क्रमांक, यदि कोई हो, स्पष्ट शब्दों में लिखा जावे । यदि बैंक द्वारा कोई शोधन प्रभार वसूल किया जाता है तो वह राशि उपभोक्ता से पश्चात्वर्ती बिलों में वसूल योग्य होगी ।

10.7 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तारीख, बिल जारी किये जाने की तारीख से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी । यदि बिल में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो अगला कार्यदिवस अंतिम तिथि माना जाएगा ।

10.8 चेक अस्वीकृत होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की सुरक्षा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा । देर से भुगतान का सरचार्ज लेने सहित अनुज्ञप्तिधारी को चेक के अस्वीकृत होने का शोधन भार लेने और विधि सम्मत अन्य कार्यवाही करने के अतिरिक्त, भविष्य में डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान देने का आग्रह करने का अधिकार होगा ।

10.9 बिल प्राप्त होने की निर्धारित तिथि तक बिल प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता बिल जारी करने वाले कार्यालय से सम्पर्क कर बिल की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है तथा बिल का भुगतान कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी बिल प्राप्त न होने के कारणों का पता लगायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में उपभोक्ता को बिल समय पर प्राप्त होने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

10.10 भुगतान प्राप्त होने के पश्चात रसीद संबंधित उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि को प्रदान की जायेगी।

10.11 उपभोक्ता, आगामी बिलों के भुगतान के लिए अग्रिम के रूप में रकम जमा कर सकता है, जो उत्तरवर्ती माहों के बिलों में समायोजित की जाएगी । तथापि, अग्रिम भुगतान में से सिर्फ नियमित बिलों की राशि का ही समायोजन किया जावेगा । किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन करने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी, अग्रिम भुगतान के प्रकरणों में टैरिफ आदेश के अनुसार उचित रियायत देगा।

10.12 बिल की गई रकम के भुगतान में चूक करने वाले समस्त उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दर पर, बकाया राशि पर, विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान करने को बाध्य होंगे ।
अंतिम तिथिं के बाद भुगतान स्वीकार करते समय भुगतान योग्य अधिभार की गणना की जायगी और सामान्य बिल राशि के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान लिया जायगा।

10.13 उपभोक्ता द्वारा दिये समस्त भुगतान, प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में समायोजित होंगे:–

(ए) वर्तमान माह के उपभोग पर विद्युत शुल्क और उपकर

(बी) विद्युत शुल्क का बकाया और उपकर का बकाया

(सी) विलम्ब भुगतान अधिभार

(डी) बकाया का शेष, यदि कोई हो

(ई) वर्तमान बिल की राशि।

10.14 **किश्तों में भुगतान की सुविधाएं:**

अनुज्ञप्तिधारी, देय राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए किश्त सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति अधिकथित करेगा। इस नीति में किश्त सुविधा स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को पदांकित किया जायेगा ।

10.15 **विवादित/गलत मासिक बिल :**

(ए) बिल रकम के संबंध में किसी आपत्ति की दशा में उपभोक्ता, विद्युत बिल में दर्शाये गये पदांकित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति असहमति के अधीन निम्नलिखित राशि का भुगतान करता है तो उसका विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा :–

(i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा

(ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि, ।

अनुज्ञप्तिधारी एवं उपरोक्त के बीच विचाराधीन विवाद के निपटारे तक, इनमें से जो भी कम हो।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में उपलब्ध शिकायत के प्रारूप में पदांकित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जाएगी । कार्यालय में ऐसे प्रारूप के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित विवरण के साथ एक सादे कागज पर शिकायत की जा सकेगी:–

(i) उपभोक्ता के नाम और पते के साथ टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, यदि कोई हो,

(ii) सर्विस कनेक्शन क्रमांक

(iii) कनेक्शन की श्रेणी/प्रयोजन

(iv) संक्षिप्त में शिकायत का विवरण

पदांकित अधिकारी विवाद को लिखित शिकायत की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों की कालावधि के भीतर निपटायेगा और यदि कोई कमी हो तो कारण बताते हुए संभाग के प्रभारी अधिकारी व उपभोक्ता को प्रतिवेदन भेजेगा।

(सी) शिकायत की जाँच करने पर यदि बिल त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को भुगतान हेतु पुनरीक्षित अंतिम तारीख दर्शाते हुए, जो कि पुनरीक्षित बिल जारी करने के 7 (सात) दिवसों से कम नहीं हो, सही किया पुनरीक्षित बिल देगा । उपभोक्ता द्वारा जमा की गई अधिक राशि, यदि कोई पाया गया हो का समायोजन पश्चात्वर्ती बिलों में किया जाएगा ।

(डी) यह साबित हो जाने की दशा में कि मूल बिल सही था, तब उपभोक्ता को अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान विलंब प्रभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तद्नुसार सूचित किया जाएगा ।

(ई) विवाद पर दिये गये निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में दर्शाये अनुसार आगे कार्यवाही कर सकता है ।

विधिक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी

10.16 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान हेतु बाध्य होगा। विधिक उत्तराधिकारी तीन माह के भीतर संयोजन अपने नाम पर स्थानांतरित करा लेगा अन्यथा इस संहिता की नियम, शर्ते तथा उक्त संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये अनुबंध प्रभावशील रहेंगे।

अस्थाई विच्छेदन :

10.17 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है । उपभोक्ता के सर्विस कनेक्शन का विच्छेदन करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्ट 15 (पंद्रह) दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के बालिग सदस्य को सूचित किया जाए । यदि विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विच्छेदन के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया जायेगा । इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में दिए प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी कड़ाई से पालन करेगा ।

10.18 किसी उपभोक्ता द्वारा देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली–योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों को बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो ।

10.19 अस्थाई विच्छेदन के पश्चात्, आपूर्ति तभी शुरू की जाएगी, जब उपभोक्ता बकाया प्रभार/देय/किश्त की रकम, कनेक्शन काटने – जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।

अध्याय – 11: विद्युत प्रदाय का प्रतिकूल उपयोग

11.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी तथा अनाधिकृत उपयोग तथा विद्युत संयन्त्रों, लाइनों, उपकरणों तथा मीटरों को छेड़–छाड़, खतरे में डालने, क्षति पहुँचाने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।

11.2 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति का ऐसी रीति से उपयोग नहीं करेगा जिसके लिए वह अधिकृत न हो, या जो अधिनियम व इस संहिता के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के हितों के प्रतिकूल हो।

उपभोक्ता परिसर तक पहुंच

11.3 अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग, उपकरणों में अनाधिकृत परिवर्धन (एडीशन) व परिवर्तन (आल्टरेशन) विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत के दूसरे स्थल में उपयोग, मीटर से छेड़छाड़ व बाईपास की जांच करने तथा सामान्य निरीक्षण व परीक्षण हेतु उपभोक्ता को सूचित करने के तुरन्त पश्चात परिसर में प्रवेश करने हेतु अधिकृत हैं। विद्युत के अनाधिकृत उपयोग, उपकरणों में अनाधिकृत परिवर्धन व परिवर्तन, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत के दूसरे स्थल में उपयोग, मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम तथा इस संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकता है।

11.4 किसी भी घरेलू स्थल या घरेलू परिसर का निरीक्षण, परीक्षण तथा जांच उस परिसर में रहने वाले किसी वयस्क पुरूष सदस्य की उपस्थिति के सिवाय सूर्यास्त व सूर्योदय के मध्य नहीं करना चाहिए।

11.5 यदि उपभोक्ता उपरोक्त कंडिका 11.3 में दर्शित प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को परिसर में प्रवेश हेतु समुचित सुविधा प्रदान नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत विच्छेदन हेतु 24 घंटे की नोटिस जारी कर सकता है। इसके पश्चात भी यदि उपभोक्ता पहुंच उपलब्ध नहीं कराता तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने हेतु अधिकृत होगा।

11.6 अनुज्ञप्तिधारी का निरीक्षण दल जो कि किसी अधिकारी के नेतृत्व में होगा अपने साथ फोटो पहचान पत्र रखेंगे। परिसर में प्रवेश के पहले फोटो पहचान पत्र उपभोक्ता को दिखलाया जाना चाहिए।

11.7 निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण दल के सदस्य तथा उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ता रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो यह निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित करना चाहिए तथा इसकी एक प्रति उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि जो स्थल पर उपस्थित हो को तुरन्त प्रदान कर उसकी पावती ली जायेगी। यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने या पावती देने से इंकार किया जाता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के भीतर/बाहर स्पष्ट दर्शित स्थल पर चस्पा कर फोटोग्राफ लिया जायेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति उपभोक्ता को निरीक्षण दिवस या उसके अगले दिवस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी।

विद्युत का अनाधिकृत उपयोग

11.8 विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का तात्पर्य विद्युत का उपयोग –

(i) किसी कृत्रिम साधन से या

(ii) ऐसे साधनों द्वारा जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किये गये या

(iii) छेड़खानी किये गये मीटर से या

(iv) जिस प्रयोजन के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया है उससे भिन्न प्रयोजन से है।

अतः उपरोक्त (ii) में निम्नलिखित समाहित है –

(ए) जिस परिसर या क्षेत्र के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया है उससे भिन्न परिसर या क्षेत्र में उपयोग

(बी) मीटर के स्थापना स्थल में परिवर्तन

खपत का आकलन

11.9 यदि किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण करने पर या उपकरण, गजेटस, मशीन या यंत्र का संयोजन या उपयोग करते पाये जाने पर या किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड के निरीक्षण के आधार पर यदि आकलनकर्ता अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में लिप्त है तो वह अपने सर्वोत्तम विवेक से ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति जो कि ऐसे उपयोग से लाभान्वित हुए हैं द्वारा संबंधित अवधि के पूर्व भुगतान का समायोजन कर देय विद्युत बिल की राशि का अंतरकालीन (प्रोव्हीजिनल) आकलन करेगा।

11.10 आकलनकर्ता/अधिकृत प्राधिकारी विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के पूर्ण काल का बिल तैयार करेगा। यदि इस काल का आकलन न हो सके तो यह निरीक्षण दिवस के पूर्व अधिकतम 12 माह तक की अवधि का होगा।

11.11 यदि संयोजन प्रदान किये एक वर्ष से कम अवधि हुआ है या संयोजन की पिछले एक वर्ष की अवधि में जांच की गई है तो आकलन की अवधि कनेक्शन प्रदान करने की तिथि से या कनेक्शन जांच करने की तिथि से जो भी कम हो, होगी।

11.12 आकलन निरीक्षण के समय पाये गये उपयोग से संबंधित श्रेणी के उपभोक्ता के लिये लागू टैरिफ के दो गुना दर पर किया जायेगा।

11.13 यदि मीटर द्वारा अंकित खपत सही पाया जाता है और उस पर कोई मत भिन्नता नहीं है तो मीटर द्वारा दर्शित खपत पर प्रयुक्त योग्य टैरिफ के दुगने दर से बिल किया जायेगा।

अंतरकालीन (प्रोविजनल) तथा अंतिम आकलन

11.14 वितरण कम्पनी में निम्नलिखित अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (रूल्स) में अंतरकालीन (प्रोविजनल) तथा अंतिम आकलन हेतु अधिकृत किये गये हैं जो कि समय–समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं–

(1) सहायक इंजीनियर पद के अधिकारी – 15 किलोवाट तक के निम्नदाब संयोजन

(2) कार्यपालन इंजीनियर पद के अधिकारी – 15 किलोवाट से अधिक के सभी निम्नदाब संयोजन

(3) अधीक्षण इंजीनियर या उच्च पद के अधिकारी– सभी उच्च व अति उच्चदाब संयोजन

यदि उच्चाधिकारी द्वारा स्वयं परिसर का निरीक्षण किया गया है तो ऐसे उच्चाधिकारी उपरोक्तानुसार आकलनकर्ता अधिकारी के अधिकार का उपयोग करेंगे।

11.15 अंतरकालीन आकलन के आदेश उस स्थल के अधिवासी या आधिपत्यधारी या स्थल/परिसर के प्रभारी को निरीक्षण के 3 कार्य दिवस के भीतर नियम (रूल्स) में दर्शाये गये तरीके के अनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रदान कर पावती ली जायेगी।

11.16 वह व्यक्ति जिसे उपरोक्त कंडिका 11.15 के अनुसार अंतरकालीन आकलन का बिल भेजा गया है, ऐसे आकलन को स्वीकार कर आकलित राशि के बिल प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भुगतान कर सकता है।

11.17 वह व्यक्ति जिसे उपरोक्त कंडिका 11.15 के अनुसार नोटिस जारी की गई है, अंतरकालीन आकलित बिल प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा नियम (रूल्स) में अधिकृत अधिकारी को लिखित एतराज प्रस्तुत कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तिसंगत मौका देकर अंतरकालीन आकलन आदेश के दिन से एक माह के भीतर अंतिम आकलन आदेश जारी करेंगे।

11.18 सुनवाई के समय आकलनकर्ता अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक तथ्य पर विचार कर यह दर्शित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी करेगा कि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग साबित होता है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सारांश, उपभोक्ता द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत मौखिक व लिखित तथ्य तथा उसके स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के कारण समाहित होने चाहिए।

11.19 वह व्यक्ति जिसे अंतिम आकलित आदेश जारी किया गया है ऐसे आकलन को स्वीकार कर अनुज्ञप्तिधारी से आकलित आदेश प्राप्त करने के 7 दिवस के भीतर राशि जमा कर सकता है।

11.20 अंतिम आकलित बिल के प्रदान करने के 7 दिवस के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में 15 दिवस की नोटिस जारी कर संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा जो कि तब तक पुनसंर्योजित नहीं किया जायेगा जब तक आकलित राशि का भुगतान नहीं किया जाता। भुगतान न होने की स्थिति में उक्त राशि आगामी मासिक बिल में बकाया राशि के रूप में दर्शित कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अंतिम आकलन के विरूद्ध अपील

11.21 कोई व्यक्ति जो अंतिम आकलन आदेश से असंतुष्ट हो अंतिम आदेश के 30 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा नियम में अधिकृत अपीलेट प्राधिकारी को अपील कर सकता है, बशर्ते कि अंतिम आकलित राशि के 1 प्रतिशत फीस जो कि कम से कम रू.500/– अधिकतम रू. 10,000/– जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये सहित अंतिम आकलित राशि का 50 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी का जमा कर उसका दस्तावेजी प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत करे।

11.22 वितरण कम्पनी के निम्नलिखित अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (रूल्स) में अपीलेट प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किये गये हैं जो कि समय–समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं–

(i) अगला उच्चाधिकारी – कार्यपालन इंजीनियर – 15 कि.वा. तक सभी निम्नदाब संयोजन

(ii) अगला उच्चाधिकारी– अधीक्षण इंजीनियर– 15 कि.वा. से अधिक सभी निम्नदाब संयोजन

(iii) अगला उच्चाधिकारी – मुख्य इंजीनियर – सभी उच्च व अति उच्चदाब संयोजन

यदि उच्चाधिकारी द्वारा परिसर का स्वयं निरीक्षण किया गया हो व अंतिम आकलन आदेश जारी किया गया हो तो ऐसे अधिकारी का अगला उच्चाधिकारी अपीलेट प्राधिकारी होगा।

11.23 अपीलेट प्राधिकारी दोनों पक्षों को सुन कर अपील स्वीकार करने के 30 दिवस के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करेगा, तथा आदेश की प्रति आकलनकर्ता अधिकारी व आवेदनकर्ता को प्रेषित करेगा। अपीलेट प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा आगे अपील योग्य नहीं होगा।

11.24 अपीलेट प्राधिकारी के आदेश के अनुसार उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया जायेगा जो कि 7 दिवस के भीतर भुगतान योग्य होगा। यदि उपभोक्ता उपरोक्त अपीलेट प्राधिकारी के आदेश समेत बिल जारी करने के 7 दिवस के भीतर भुगतान नहीं करता तो 15 दिवस की नोटिस जारी करने के पश्चात विद्युत संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा और तब तक पुनर्संयोजित नहीं होगा जब तक राशि का भुगतान न कर दिया जाये। भुगतान न किये जाने की दशा में उक्त राशि आगामी माह के नियमित बिल में बकाया राशि के रूप में जोड़ दिया जायेगा तथा वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

11.25 जब कोई व्यक्ति आकलित राशि का भुगतान नहीं करता तो वह आकलित आदेश के 30 दिवस के पश्चात आकलित राशि सहित अधिनियम की धारा 127 के प्रावधान के अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) ब्याज का भी देनदार होगा।

11.26 यदि अपीलेट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का कोई आधार नहीं बनता, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्संबंध में उपभोक्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) आगामी माह के बिल में समायोजन तक की अवधि के ब्याज सहित वापस की जायेगी। अपीलकर्ता 16 प्रतिशत, प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) की दर से जब तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक की अवधि के ब्याज सहित जमा की गई राशि नगद रूप से मांग सकता है।

अनुबंध से अधिक भार/अधिकतम मांग

11.27 उपभोक्ता के भार में वृद्धि/संविदा मांग से अधिक मांग के प्रकरण पर संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11.28 जहां एक ही क्षमता के दो मोटर एक ही डेलीवरी पाइप से ऐसे जुड़े हों कि एक बार में एक ही मोटर का उपयोग हो सकता हो अर्थात जब एक मोटर आकस्मिक स्थिति के लिये लगाया गया हो तो ऐसे प्रकरण में बिलिंग हेतु एक ही मोटर को आधार बनाया जायेगा।

विद्युत की चोरी

11.29 अधिनियम की धारा 135 में विद्युत चोरी के बारे में यह बतलाया गया है कि जो कोई भी बेईमानी पूर्वक–

(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता जैसा भी मामला हो, के शिरोपरि भूमिगत अथवा जलगत लाइनों या परिवेषण तार (केबल) या सर्विस लाईन या सेवा सुविधाओं से अपकर्षण या संयोजन करेगा अथवा ऐसा करवायेगा अथवा

(ii) मीटर से छेड़खानी (विकृत) करेगा या विकृत मीटर स्थापित या प्रयुक्त करेगा, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर, लूप संयोजन अथवा किसी अन्य साधन या विधि से जिसके द्वारा विद्युत धारा का त्रृटि होने व उचित अंकन, परिगणना अथवा मापन में हस्तक्षेप करता है

या अन्यथा जिसका परिणाम ऐसी रीति में विद्युत चोरी या उसका अपव्यय होता हो अथवा

(iii) विद्युत के उचित व त्रुटिहीन मापन में हस्तक्षेप करते हुए विद्युत मीटर, यंत्र उपकरण, या तारों को क्षति पहुंचाता है या उन्हें नष्ट करता है या करवाता है या किसी को ऐसा करने देता है, ताकि उससे विद्युत का खींचना (एब्सट्रेक्ट), उपभोग/उपयोग किया जा सके अथवा

(iv) किसी विकृत मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करता है, अथवा

(v) विद्युत के अधिकृत उपयोग के सिवाए किसी अन्य उददेश्य के लिये विद्युत का उपयोग करता है। वह अधिनियम की धारा 135 के तहत दंड का भागी होगा।

11.30 अधिनियम की धारा 135 उपधारा (2) से संबंधित विद्युत चोरी के प्रकरण का पता लगाने हेतु प्रवेश, खोज, बरामदगी का कार्य राज्य शासन द्वारा नियम में अधिकृत अधिकारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के जूनियर इंजीनियर से नीचे पद के नहीं होंगे तथा ऐसे प्रवेश, खोज व बरामदगी उसमें दर्शित प्रक्रिया के तहत किये जायेंगे।

11.31 विस्तृत जांच पश्चात यदि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उपभोक्ता के विरूद्ध बेईमानी पूर्वक विद्युत के खींचने (एब्सट्रेक्ट), उपयोग या उपभोग का प्रथमतः (प्राइमाफेसी) प्रकरण बनता है जो अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता जैसा मामला हो ऐसे विद्युत चोरी के प्रकरण की जानकारी पश्चात तुरन्त विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।
यह कि ऐसा विच्छेदन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी/आपूर्तिकर्ता निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में जूनियर इंजीनियर या उसके समकक्ष तथा उच्च व अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में कार्यपालन इंजीनियर या उसके समकक्ष जैसा प्रकरण हो से कम नहीं होना चाहिए या अनुज्ञप्तिधारी/आपूर्तिकर्ता के इस कंडिका में दर्शित पद से उच्च पद के अधिकारी हो सकते हैं। यह कि अनुज्ञप्तिधारी/ आपूर्तिकर्ता जैसा प्रकरण हो के ऐसे अधिकारी उस क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में ऐसे घटित अपराध की शिकायत विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के समय से 24 घंटे के भीतर लिखित रूप से करेगा।

11.32 इस संहिता की कंडिका 11.14 में दर्शित राज्य शासन के नियम में अधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 154(5) के प्रावधान के तहत विशेष न्यायालय में प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन होने की स्थिति में विद्युत चोरी का बिल तैयार करेगा।

आकलन की अवधि

11.33 आकलित राशि संबंधित श्रेणी के उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ के ढाई गुना के बराबर की दर पर विद्युत चोरी के पता लगने के पहले के 12 माह या विद्युत चोरी की वास्तविक अवधि यदि ज्ञात होता है जो भी कम हो के लिए होगा।

आकलन की अवधि का निर्धारण निम्नलिखित दिशा निर्देश या उनके सम्मिश्रण या उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य कोई युक्तिसंगत प्रमाण पर विचार कर किया जायेगा –

(1) विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने से लेकर विद्युत चोरी पता लगने तक की वास्तविक अवधि।

(2) मीटरिंग प्रणाली के अवयव जिसमें प्रमाण मिले हैं के बदलने की तिथि से लेकर चोरी के पता लगने तक की अवधि।

(3) स्थापना के पूर्ववर्ती जांच से लेकर विद्युत चोरी के पता लगने तक की अवधि

(4) जहां उपलब्ध हो मीटर रीडिंग इन्स्ट्रमेंट (एम.आर.आई.) द्वारा प्राप्त डाटा भी विचारणीय होगा।

11.34 ऐसे आकलन करते समय अधिकृत अधिकारी 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन या और कोई प्रमाण जो वे उपयुक्त समझे पर गौर करेंगे। आकलन अधिकारी आकलन करने के आधार रिकार्ड करेंगे। आकलन अवधि से संबंधित उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान यदि कोई हो, की क्रेडिट दी जायेगी।

11.35 अधिकृत अधिकारी नियम में दर्शित प्रावधान के अनुसार 3 कार्य दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से विद्युत चोरी के भुगतान संबंधी आदेश पारित करेंगे।

11.36 चोरी के कारणों को दूर करने के 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ कर दी जायेगी बशर्ते कि आकलित राशि का पूर्णरूपेण भुगतान कर दिया गया हो। विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी उसी परिसर में पुनः चोरी होने की सम्भावना दूर करने के सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

11.37 उपरोक्त कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम के अध्याय XV के प्रावधान के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में चोरी में लिप्त व्यक्ति के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण चलाने के अपने अधिकार को अप्रभावित करते हुए किया जायेगा।

उपभोक्ता पर अन्यथा सिद्ध करने की जिम्मेदारी

11.38 यदि यह सिद्ध पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत के उपयोग/उपभोग हेतु ऐसा कृत्रिम तरीका अपनाया गया है जिसके लिये वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा जैसा प्रकरण हो से अधिकृत नहीं है तो यह माना जायेगा कि ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी पूर्वक विद्युत का उपयोग/उपभोग किया गया है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाये।

11.39 विद्युत चोरी के प्रकरण में खपत आकलन करने का तरीका –

(ए) वर्तमान के संयोजन के संबंध में –

आकलित खपत = LXDXHXF जहां

L= किलोवाट में वह भार जो निरीक्षण के समय संयोजित पाया जाये

D=दिनों में आकलन की अवधि

H=घंटों में उपयोग प्रतिदिन

F=लोड फेक्टर जो कि अलग–अलग श्रेणी के उपयोग के अनुसार निम्नानुसार लिये जायेंगे–

क्र.	विवरण	लोड फैक्टर
1	उच्चदाब उद्योग	100%
2	उद्योग को छोड़ कर अन्य उच्चदाब संयोजन यथा आवासीय, सामान्य उपयोग पेय जल आदि	75%
3	निम्नदाब उद्योग	75%
4	निम्नदाब गैर घरेलू तथा विविध कृषि	50%
5	निम्नदाब घरेलू	40%
6	निम्नदाब कृषि	50%
7	निम्नदाब पेय जल	50%
8	सड़क बत्ती	50%
9	सीधे चोरी (बिना संयोजन लिये) सभी श्रेणी	100%

H= घरेलू व सड़क बत्ती को छोड़कर सभी उपभोक्ता – 8 घंटे
घरेलू – 6 घंटे
सड़क बत्ती 12 घंटे

उद्योगों के लिये कार्य अवधि उनके सामान्य कार्य पद्धति के अनुसार निर्णित की जायेगी जो कि 8 घंटे के कम नहीं होगी।

(बी) सीधे चोरी (बिना संयोजन लिये) के प्रकरण में खपत का आकलन –

आकलित खपत = LXDXH जहां

L= किलोवाट में वह भार जो निरीक्षण के समय संयोजित पाया जाये

D= दिनों में आकलन की अवधि

H= घंटों में उपयोग प्रतिदिन जो कि उद्योग के सिवाए अन्य के लिये 8 घंटे होगा। उद्योग के प्रकरण में कार्य अवधि वह ली जायेगी जो उस श्रेणी के उद्योग के लिये सामान्यतः होती है जो कि 8 घंटे से कम नहीं होगी।

असंयोजित परिसर में विद्युत चोरी (सीधे हूकिंग)

11.40 यदि ऐसे परिसर में विद्युत चोरी पकड़ी जाती है जहां कोई नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर की विद्युत आपूर्ति अविलंब विच्छेदित कर देगा तथा ऐसे चोरी के कारणों यथा वितरण मेंस तक लाइन, केबल, संयंत्र, अवैध मोटर और अन्य उपकरण जो कि विद्युत चोरी के प्रयोजन में उपयोग हो रहे हों को अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों व प्रक्रिया के अंतर्गत तुरन्त हटा देगा। अनुज्ञप्तिधारी तत्पश्चात भविष्य में विद्युत चोरी की सम्भावना को रोकते हुए लाइन, केबल या उपकरण हटा देगा/स्थानांतरित कर देगा या बदल देगा बशर्ते कि इस कारण अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रभावित न हो तथा उन्हें असुविधा न हो।

चोरी की शंका की स्थिति में प्रक्रिया

11.41 बिजली चोरी की शंका की स्थिति में अधिकृत अधिकारी जब्ती बनाते हुए मीटर हटा लेगा तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष मीटर सील करेगा। अधिकृत अधिकारी व उपभोक्ता मीटर पर लगे सील पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चोरी की शंका के कारणों को दर्शित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता नया मीटर लगा कर विद्युत आपूर्ति चालू रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी के मीटर परीक्षणशाला में अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की उपस्थिति में पुराने मीटर का परीक्षण किया जायेगा। लिखित में दिये गये परीक्षण परिणाम, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ यदि कोई हो तो इसके प्रमाण स्वरूप होंगे।

यह कि यदि उपभोक्ता आग्रह करता है तो मीटर का परीक्षण आयोग द्वारा स्वीकृत तृतीय पक्ष यदि कोई हो या विद्युत निरीक्षक की उपस्थिति में हो सकता है।

11.42 सिर्फ मीटर पर सील के गायब होने, टेंपर (विकृत) होने या मीटर के कांच टूटने पर बिजली चोरी का प्रकरण तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक उपभोक्ता के खपत के आधार या अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध न हो।

11.43 यदि 10 किलोवाट से अधिक संयोजन के उपभोक्ता को भार में बाधा डालने, विद्युत के उपयोग या उपभोग करने या ऐसा करने का प्रयास करने पर दूसरे या अधिक बार सजा सुनाई जावे तो ऐसा व्यक्ति किसी अवधि के लिये जो 3 माह से कम न हो परन्तु दो वर्ष तक विस्तारित की जा सकती हो विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने से भी वंचित किया जायेगा और वह ऐसी अवधि में किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केन्द्र से भी विद्युत प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसे प्रकरण विशेष न्यायालय की जानकारी में ला कर दलील/अभ्युक्ति देना चाहिए।

दुष्प्रेरित करना (अवेटमेंट)

11.44 जो भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान के भीतर दंडनीय अपराध के लिये दुष्प्रेरित करता है वह भारतीय दंड संहिता (1860 के 45) में अंतर्विष्ट अपराध के लिये उपबंधित दंड के साथ दंडित किया जायेगा।

11.45 इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई पेनाल्टी या जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है या अभियोजन कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, को प्रतिकूल प्रभावित किये बिना यदि लायसेन्सी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कोई कार्य करने को करार करता है या मूक सम्मति देता है या वैसा कार्य करने से स्वयं को अलग रखता है या किसी कार्य या वस्तु की इजाजत देता है, छुपाता है, या मौन अनुकूल रहता है जिसके द्वारा विद्युत की चोरी की जाती है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि की सीमा तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ दण्डनीय होगा।

11.46 कोई विद्युत ठेकेदार, सुपरवाईजर या मिस्त्री जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,136,137 या 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता हो तो वह संदर्भित धारा के अधीन दण्डनीय होने के साथ उसकी अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण पत्र या अनुमति अनुज्ञप्ता प्राधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने योग्य होगी। ऐसे सभी मामले ज्ञात होने के पश्चात् अविलंब अनुज्ञप्त प्राधिकारी की जानकारी में लाये जाएगे।

11.47 अधिनियम की धारा 151 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी संज्ञान ले सकेंगे। चोरी के सभी मामलों में सामान्यतया पुलिस को रिपोर्ट की जावे।

11.48 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अनुसंधान के उददेश्य से नई धारा 151 ए के अधीन पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अधिकारों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है।

अपराध की कम्पाउंडिंग (एकजाईता)

11.49 अपराध की कम्पाउंडिंग अधिनियम की धारा 152 के प्रावधान के तहत होगी। अपराध के कम्पाउंडिंग हेतु अधिकृत अधिकारी अर्थात मुख्य विद्युत निरीक्षक नियम (रूल्स) में दर्शित प्रक्रिया अपनायेंगे।

11.50 वह व्यक्ति या उपभोक्ता जिसके कब्जे में वह संयोजन है जहां विद्युत चोरी का अपराध हुआ है, को अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (2) में दर्शित निम्नलिखित राशि जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है के भुगतान पश्चात मुक्त किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियम की धारा 152(2) के अनुसार किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई प्रकरण न तो प्रारम्भ किया जा सकता है और न ही चालू रखा जा सकता है।

सेवा का प्रकार	दर जिसमें कम्पाउंडिंग हेतु निम्नदाब से प्रति कि.वा. या हार्सपावर तथा उसके भाग पर और उच्च तथा अति उच्चदाब हेतु के.व्ही.ए. में संविदा मांग पर राशि ली जायेगी।
1. औद्योगिक सेवा	रू. बीस हजार
2. वाणिज्यिक सेवा	रू. दस हजार
3. कृषि सेवा	रू. दो हजार
4. अन्य	रू. चार हजार

11.51 अपराध की कम्पाउंडिंग अधिनियम की धारा 152 के अनुसार किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिये सिर्फ एक बार की जायेगी।

विद्युत चोरी के नियंत्रण हेतु निरोधात्मक उपाय

11.52 ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन द्वारा अधिसूचित (विद्युत कठिनाईयों का निराकरण) आदेश 2005 [एस.ओ. 790 (ई) दिनांक 8 जून 2005] चोरी पर नियंत्रण हेतु समुचित उपाय अपनाने का आदेश देता है।

11.53 अनुज्ञप्तिधारी छेड़छाड़रोधी मीटर बॉक्स की व्यवस्था करेगा ताकि सभी परिसरों में छेड़छाड़रोधी मीटर बॉक्स लगे हों। अनुज्ञप्तिधारी साथ ही सर्विस लाईन की स्थिति का पुनरावलोकन करेगा कि ये सही स्थिति में हैं और जहां कहीं आवश्यक हो इसको बदलेगा ताकि (विद्युत) चोरी या मीटर को बाईपास करना रोका जा सके।

अनुज्ञप्तिधारी आगामी 5 वर्षों में सभी परिसरों में स्थापित सभी मीटरों के लिए छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स (आवरण) उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों को छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स उपलब्ध करायेगा। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी, मीटर बाईपास तथा विद्युत चोरी रोकने हेतु सर्विस लाइन तारों की स्थितियों का सतत् अवलोकन करेगा कि वे सही स्थिति में है, और जहाँ कहीं आवश्यक हो उसे बदल देगा।

11.54 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के परिसरों के नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा और विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत यंत्र, विद्युत तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण क्षति रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। निरीक्षण/सावधानी हेतु चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।

11.55 सभी उच्चदाब संयोजनों और ऐसे निम्नदाब संयोजनों, जिनकी संविदा मांग/संयोजित भार 25 अश्वशक्ति या उससे अधिक हो, सहित बड़े उपभोक्ताओं की खपत का नियमित मासिक समीक्षा करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी एक तंत्र विकसित करेगा। खपत में अत्यधिक परिवर्तन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जावेगा। संदेहास्पद मामलों में अनुज्ञप्तिधारी त्वरित निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

11.56 अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के चिन्हित बड़े शहरों और नगरों, एवं जिले का मुख्यालय तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों के लिए 33 के.व्ही और 11 के.व्ही के संभरकों के खंडों में हानि की परिगणना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा। उपरोक्त रीति से परिगणना कर अधिक हानि वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किये गये स्थानों पर हानि कम करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी समुचित कदम उठायेगा।

11.57 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर स्थापित करेगा और ऊर्जा के अंकेक्षण करेगा, ताकि अधिक हानि वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उन क्षेत्रों में हानि कम करने के लिए अन्य समुचित कार्यवाही करेगा।

11.58 खपत की समीक्षा और विद्युत की चोरी रोकने के उद्देश्य से अनुज्ञप्तिधारी, सभी 50 हार्सपावर और अधिक के संयोजनों पर प्राथमिकता के साथ दूरस्थ मापक साधनों (रिमोट मीटरिंग डिवाइस) को स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी, 25 अश्वशक्ति तक के निम्नदाब संयोजनों पर भी दूरस्थ मापक साधन स्थापित करने का प्रयास करेगा।

11.59 वाणिज्यिक हानि के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव तथा विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत यंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण या क्षति रोकने या उसका पता लगाने में उपभोक्ताओं का सहयोग प्राप्त करने और उनमें जागरूकता लाने के

लिए अनुज्ञप्तिधारी प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के द्वारा इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगा।

11.60 अनुज्ञप्तिधारी जितनी जल्दी हो सके अपनी वेबसाईट पर क्षेत्रवार, वृत्तवार, संभागवार, उपकेन्द्रवार और संभरकवार (फीडरवाईज़) हानियों को प्रदर्शित करेगा। विद्युत के धारा परिवर्तन, चोरी अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत यंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण हानि रोकने के लिए कार्यवाही करेगा और प्राप्त परिणामों की जानकारी प्रदर्शित करेगा। यह वेबसाईट हर तिमाही में अद्यतन (अपडेशन) की जावेगी।

11.61 अनुज्ञप्तिधारी, अधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध करायेगा। ऐसा सुरक्षा दस्ता, छापों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार अधिकृत अधिकारियों के साथ रहेगा।

11.62 अनुज्ञप्तिधारी, चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में हुकिंग से सीधे चोरी रोकने हेतु शिरोपरि खुले विद्युत तारों को एरियल बंच केबल से बदलेगा।

11.63 अनुज्ञप्तिधारी चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए उच्चदाब वितरण (निम्नदाब रहित) प्रणाली उपलब्ध करायेगा।

11.64 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान उपभोक्ताओं के मीटर, उस परिसर की परिसीमा के भीतर, इस तरह से पुनर्स्थापित करने हेतु अधिकृत होगा, ताकि वह इस संहिता की कंडिका 8.9 के प्रावधानों के अनुसार पठन, निरीक्षण, परीक्षण एवं अन्य संबंधित कार्यो के लिए सुगम्य हो। संदिग्ध प्रकरणों में जहाँ सतत सावधानी संभव न हो अनुज्ञप्तिधारी अपने खम्बों या स्तम्भों (पिलर) में जांच मीटर लगा सकेगा। ऐसे मामलों में जहाँ विद्युत चोरी बार–बार हो, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संयोजनों के लिए उपभोक्ता को सूचित करते हुए अपने खम्बों या संभरक स्तंभों पर देयक (बिलिंग) मीटर लगा सकेगा।

11.65 अनुज्ञप्तिधारी जहाँ विद्युत चोरी के प्रकरण पाये गये हैं वहां की सूची रखेगा ताकि उसे परिसर में दुबारा या उसके बाद के चोरी के प्रकरण की जानकारी हो सके तथा अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही किया जा सके।

अध्याय 12 : जनरेटर का ग्रिड (प्रणाली) से संयोजन

उपभोक्ता के परिसर में स्थापित जनरेटर

12.1 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित जनरेटर का अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर संचालन केवल अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति से स्वीकार्य होगा।

12.2 यदि ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है तो उपभोक्ता अपने उत्पादन इकाई के संयंत्र, मशीन तथा उपकरण, जिसमें उसका परिवर्तन या विस्तार सम्मिलित हो, उसे पृथक रूप से चलायेगा तथा जनरेटर को किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं जोड़ेगा ताकि अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली में विद्युत के वापस जाने (फीड बैक) की सम्भावना न हो। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सूचित कर, उसके परिसर में प्रवेश कर उपभोक्ता व्यवस्था कां निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता का जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से किसी भी समय जोड़ा तो नहीं जाता ।

12.3 ऐसे प्रकरण में जब अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन के बिना ही उपभोक्ता के किसी जनरेटर, या अन्य किसी स्त्रोत से आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सम्बद्ध हो जाती है, जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को नुकसान होता है अथवा जनहानि होती है तो उपभोक्ता उसके लिये जिम्मेदार होगा तथा विद्युत विच्छेदन के साथ अनुज्ञप्तिधारी या दूसरे प्रभावित व्यक्तियों को हुए सभी नुकसान की यथोचित क्षतिपूर्ति करेगा ।

12.4 जहाँ प्रणाली से संयोजन के लिये सहमति दी गई है, वहाँ उपभोक्ता अपनी स्थापना में उपयुक्त सुरक्षा उपकरण लगाने की व्यवस्था करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे सही रूप से कार्यरत हो। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसकी आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से गलत तरीके से संबंद्ध न हो ।ऐसे किसी संचालन अथवा उसके कारण हुए किसी प्रतिकूल परिणाम के कारण उपभोक्ता के यंत्र, मशीन व उपकरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिये अनुज्ञप्तिधारी बाध्य नहीं होगा।

प्रणाली (ग्रिड) से संयोजन

12.5 जनरेटर (विद्युत उत्पादन संयंत्र) की प्रणाली से संयोजन की प्रक्रिया सी.एस.ई.आर.सी. (कनेक्टीविटी एंड इन्ट्रा स्टेट ओपन एक्सेस) रेग्युलेशन 2011 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो के अनुसार होगा। प्रणाली के तकनीकी मानक तथा सुरक्षा संचालन का मापदंड सी.ई.ए. सुरक्षा अधिनियम 2010 तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथरिटी (टेक्नीकल स्टैण्डर्ड फार कन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स) रेग्युलेशन 2010 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथरिटी (ग्रिड स्टैण्डर्ड फार ऑपरेशन एंड मेन्टीनेंस आफ ट्रांसमिशन लाइन) रेग्युलेशन जबसे वे प्रभावशील होंगे के अनुसार होगा।

12.6 जनरेटिंग स्टेशन/केप्टिव जनरेटिंग प्लांट द्वारा वोल्टेज स्तर वार निर्धारित विद्युत शक्ति (पावर) की मात्रा जो पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली में डाली जा सकती है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड 2007 (स्टेट ग्रिड कोड) जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो के अनुसार होगी।

12.7 केप्टिव जनरेटिंग प्लांट सहित उपभोक्ता द्वारा वोल्टेज स्तरवार निर्धारित विद्युत शक्ति (पावर) की मात्रा (ओपन एक्सेस तथा अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंधित (संविदा) मांग का योग) जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली से ली जा सकती है, इस प्रदाय संहिता की कंडिका 3.4 के अनुसार होगी।

12.8 राज्य पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली से जनरेटर की संयोजन, राज्य पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा जनरेटर के मध्य संयोजन अनुबंध से अनुबंधित होगी। जनरेटर जिन्हें संयोजन की स्वीकृति दी गई हो को प्रणाली से भौतिक संयोजन के मूर्व संयोजन अनुबंध करना होगा।

12.9 संयोजन की स्वीकृति जनरेटर को प्रणाली में कोई पावर डालने का अधिकार तब तक नहीं देता जब तक कि वह लांग टर्म ओपन एक्सेस, मीडियम टर्म ओपन एक्सेस या शार्ट टर्म ओपन एक्सेस प्राप्त नहीं कर लेता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अनुबंध नहीं कर लेता।

12.10 जनरेटिंग स्टेशन या केप्टिव जनरेटिंग प्लांट अपनी स्वतंत्र समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण, संचालन व संधारण कर सकते हैं। जनरेटर अपने विद्युत उत्पादन संयंत्र से प्रणाली को जोड़ने वाली पोरषण लाइन का निर्माण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से करवा सकता है या स्वयं कर सकता है। ऐसे प्रकरण में लाइन विस्तार की प्रक्रिया तथा समय सारणी उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करने हेतु इस संहिता के कंडिका 4.58 के अनुसार होगी।

12.11 यदि जनरेटर अपनी स्वतंत्र ट्रांसमिशन लाइन का संधारण स्वयं करना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी से लाइन निर्माण कार्य की निगरानी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निगरानी शुल्क (सुपरविजन चार्ज) भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जनरेटर द्वारा स्टार्ट अप पावर

12.12 जनरेटर के पास विकल्प होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से स्टार्ट अप पावर ले या नहीं ले। यदि जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी से स्टार्ट अप पावर हेतु अनुबंध नहीं करता है परन्तु प्रणाली से आकस्मिक रूप से पावर लेता है तो उसे आयोग द्वारा पारित संबंधित टैरिफ के आधार पर बिल किया जायेगा।

12.13 जनरेटर स्टार्ट अप पावर हेतु आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश मे पारित प्रावधान के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंध कर सकता है। स्टार्ट अप पावर जनरेटर व इसके अवयवों (ऑक्ज़ीलरीज़) को क्रियान्वित (कमीशन) करने एवं उसके पश्चात के लिए लिया जा सकता है। इंटरफेज बिन्दु पर प्रणाली में डाले गये ऊर्जा अंकित करने हेतु स्थापित इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट मीटर को स्टार्ट अप पावर के मांग व खपत अंकित करने हेतु बिलिंग मीटर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। स्टार्ट अप पावर के मीटर वाचन, बिलिंग व भुगतान के लिये इस संहिता के संबंधित प्रावधान प्रयुक्त होंगे।

भावी केप्टिव व नान–केप्टिव उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी

12.14 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता जो केप्टिव प्लांट (सी.जी.पी.) के केप्टिव/नान–केप्टिव उपभोक्ता बनते हैं, अनुज्ञप्तिधारी से अपने संविदा मांग में चाही गई स्तर तक, जो शून्य भी हो सकती है, कमी कर सकते हैं। यह सुविधा अनुबंध के प्रारम्भिक अवधि में सिर्फ एक बार प्राप्त होगी बशर्ते कि इस संहिता की कंडिका 7.9 के अनुसार पूर्व में ही प्रारम्भिक अनुबंध काल में संविदा मांग में कमी नहीं की गई हो। यह सुविधा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नये पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से नये केप्टिव पावर प्लांट पर ही लागू होगी। जनरेटर तथा केप्टिव लोड द्वारा ग्रिड से लिये गये विद्युत संबंधी मीटर वाचन, बिलिंग, भुगतान आदि हेतु इस संहिता की संबंधित कंडिका प्रयुक्त होगी।

12.15 ऐसे केप्टिव व नॉन केप्टिव उपभोक्ता जो किसी सीजीपी से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्होंने अपने संविदा मांग शून्य कर लिया है और ओपन एक्सेस लिया हैऔर यदि सीजीपी से उत्पादन बंद होता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन्हें अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायेगा तथा लिये गये विद्युत की बिलिंग आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में दर्शित स्टैंड बाई चार्जेस के अनुसार यह मानते हुए ली जायगी कि प्राप्त की गई आपूर्ति अस्थाई प्रकृति की है, बशर्ते कि सी.जी.पी. द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी हो।

अतंर्संजोन (इंटरफेस) बिन्दु पर मीटरिंग

12.16 उस जनरेटर के लिये जो राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एस.टी.यू.) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधरी के प्रणाली से संयोजित होना चाहता है, इंटरफेस मीटर (मुख्य मीटर) जनरेटर की कीमत पर संबंधित एस.टी.यू. पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा कि प्रकरण हो द्वारा लगाया जायेगा तथा संधारित किया जायेगा।

12.17 अंतर्संयोजन बिन्दु पर मुख्य तथा जांच मीटर ए.बी.टी. के मापदंड के अनुसार होने चाहिए। मीटरिंग से संबंधित सभी व्यवस्था सी.ई.ए. (इंस्टालेशन एंड ऑपरेशन आफ मीटर) रेग्युलेश्न 2006 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के द्वारा शासित होनी चाहिए। जनरेटर तथा सी.जी.पी. द्वारा प्रणाली में डाले गये ऊर्जा की मात्रा मापने हेतु मुख्य मीटर, अनुज्ञप्तिधारी के ग्रिड सबस्टेशन पर लगाये जाने चाहिए। बड़े उपभोक्ता जो कि ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत ले रहे हैं के द्वारा लिये जाने वाले ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने हेतु मुख्य मीटर उपभोक्ता के परिसर में लगाये जाने चाहिए।

12.18 संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुख्य व जांच मीटर हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए तथा संहिता की कंडिका 8.18 के अनुसार उसका जनरेटर की उपस्थिति में समयबद्ध परीक्षण तथा परिगणना (केलिब्रेशन) करनी चाहिए। मीटर दोनों पक्षों के समक्ष सील करनी चाहिए तथा खराब मीटर अविलंब बदलनी चाहिए।

12.19 मुख्य तथा जांच मीटर का वाचन समयबद्ध रूप से निर्धारित तिथि में संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी व जनरेटर या उसके प्रतिनिधि जैसी स्थिति हो, के द्वारा लिया जायेगा।

खराब मीटर की स्थिति में आकलन

12.20 यदि किसी माह में मुख्य मीटर व जांच मीटर द्वारा दर्शित खपत का अंतर निर्धारित अनुमति योग्य परिशुद्धि (एक्यूरेसी) की सीमा से अधिक होता है तो मुख्य व जांच मीटर का परीक्षण किया जायेगा और मानक प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तर पर त्रुटि निकाली जायेगी व तदनुसार बिलिंग की जायेगी।

12.21 यदि मुख्य मीटर खराब या बंद पाया जाता है तो जांच मीटर का वाचन बिलिंग के लिये प्रयुक्त किया जायेगा बशर्ते कि जांच मीटर सही कार्य करता पाया जावे।

12.22 यदि मुख्य व जांच मीटर दोनों सही नहीं पाये जाते व संबंधित अवधि में ऊर्जा का आवागमन पाया जाता है तो सही कार्य करते पाये जाने की स्थिति में जनरेटर के गमन छोर स्थित मीटर द्वारा अंकित रीडिंग तथा पिछले 3 माह के औसत लाइन क्षति (जब दोनों मुख्य तथा जनरेटर मीटर सही कार्य करते रहे हों) के आधार पर ऊर्जा का आकलन किया जायेगा।

12.23 दोनों मुख्य व जांच मीटर तथा जनरेटर के गमन छोर स्थित मीटर के सही नहीं पाये जाने की स्थिति में राज्य प्रणाली में डाले गये ऊर्जा का आकलन अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित सबस्टेशन में पिछले तीन माह के औसत ऊर्जा क्षति की गणना (जब मुख्य व जांच मीटर सही कार्य करते पाये गये हो) कर ऊर्जा संतुलन के आधार पर की जायेगी।

12.24 यदि बड़े उपभोक्ता जिन्होंने ओपन एक्सेस लिया है के परिसर में स्थापित मीटर खराब होता है तो लिये गये ऊर्जा का आकलन इस संहिता की कंडिका 9.16 में उपभोक्ता हेतु निर्धारित प्रावधान के तहत की जायेगी।

अध्याय 13 : विविध

फोर्स मेजर (बाध्यकारी परिस्थिति)

13.1 कोई घटना जो कि संबंधित संस्था के नियंत्रण के बाहर हो, जिसका उन्होंने अंदाज नहीं लगाया या उपयुक्त सावधानी के पश्चात भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या जो रोका नही जा सका और जो संस्था के कार्य निष्पादन को वृहत रूप से प्रभावित करता है, परन्तु सिर्फ निम्नलिखित पर सीमित न हो –

(ए) ईश्वरीय घटना, प्राकृतिक असाधारण घटना 'सहित परन्तु बाढ़, सूखा, भूकम्प व महामारी तक सीमित नहीं।

(बी) आंतरिक या विदेशी शासकीय कृत्य परन्तु घोषित व अघोषित युद्ध, आतंकी हमले, निषेधाज्ञा व उपद्रव तक सीमित नहीं।

(सी) दंगा या नागरिक विप्लव

(डी) ग्रिड (प्रणाली) में व्यवधान जिसके लिये संबंधित संस्थान उत्तरदायी न हो।

13.2 यदि विद्युत आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी परिस्थिति के कारण प्रभावित होती है तो उससे होने वाले नुकसान, टूटफूट अथवा मुआवजे के लिये अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध के जारी रहने के दौरान किसी समय यदि पूर्णतः या आंशिक रूप से उपरोक्त कंडिका 13.1 में दर्शित बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग करना सम्भव न हो तो इस परिस्थिति में उपभोक्ता लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी को 7 दिवस की सूचना देकर आवश्यक उपयुक्त कम आपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां उपभोक्ता बाध्यकारी परिस्थितियों का दावा करे अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत प्रतिनिधि उसका सत्यापन करेगा। ऐसी सुविधा उपभोक्ता को केवल तभी उपलब्ध होगी जबकि आपूर्ति में कमी की अवधि न्यूनतम 30 दिवस की हो। उपरोक्त कम आपूर्ति की अवधि अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक अवधि में नहीं जोड़ी जावेगी और अनुबंध की अवधि ऐसी कम आपूर्ति की अवधि के तुल्य बढ़ाई जायेगी।

13.3 उस मामले में जहाँ कि अनुज्ञप्तिधारी, किसी उपभोक्ता को, जो अन्यथा बकायेदार न हो अथवा जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित गा असंयोजित न हो, एक कैलेण्डर माह में दस दिनों (जिसमें प्रत्येक दिन 00 घंटे से 24.00 घंटे तक विद्युत प्रदाय बंद हो) या अधिक के लिये विद्युत प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से निम्नलिखित रीति से प्रभार प्राप्त करेगाः–

(ए) ऊर्जा प्रभार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर होगा ।

(बी) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर सेस को छोड़कर) की गणना, जितने दिन तक बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की गई है, उसके अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

विद्युत संयंत्र लाइन या मीटर को क्षति पहुंचाना

13.4 उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये विद्युत यंत्र, लाइन या मीटर या अन्य किसी उपकरण को यदि उपभोक्ता द्वारा या अन्यथा क्षति पहुँचाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे यंत्र लाईन, मीटर, या उपकरण को चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने का अधिकारी होगा। तथापि, इससे अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न

करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में किये जाने वाले आंकलन का अधिकार भी सम्मिलित है ।

विद्युत लाइन से दूरी (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम कंडिका 63)

13.5 किसी शिरोपरि (ओवर हेड) लाइन चाहे इन्सुलेशन से ढका हो या न हो के निर्माण के पश्चात किसी समय यदि कोई व्यक्ति कोई भवन या ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक), सड़क की ऊंचाई बढ़ाने या अन्य किसी भी प्रकार का अस्थाई या स्थाई कार्य कराना चाहता हो या किसी भवन ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक) या सड़क में या के ऊपर कोई स्थाई या अस्थाई परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य करना चाहता हो तो वह व उसके ठेकेदार जिसे उन्होंने निर्माण, परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य हेतु नियुक्त किया है अपने इच्छुक कार्य की सूचना लिखित में उसके मालिक या आपूर्तिकर्ता तथा विद्युत निरीक्षक को प्रस्तावित भवन, ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक) सड़क तथा निर्माण के साथ परिवर्तन व अतिरिक्त कार्य के विवरण सहित प्रस्तुत करेगा।

13.6 अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी विलम्ब के कथित शिरोपरी लाइन परिवर्तन हेतु होने वाले सम्भावित खर्च के प्राक्कलन की राशि जो कि जमा किया जाना है नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचित करेगा।

13.7 भवन या ढॉचे में कोई परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य की अनुमति आवेदक द्वारा आपूर्तिकर्ता या मालिक को प्राक्कलन राशि जमा करने के पश्चात ही दी जायेगी।

13.8 उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि भवन, ढांचा, अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन, सुधार कार्य तथा अन्य निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी के वर्तमान स्थित विद्युत लाइन से आवश्यक न्यूनतम दूरी रखेंगे। यह आवश्यक न्यूनतम दूरी सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम में दर्शित है। (संलग्नक 12)

13.9 विद्युत लाइन के नीचे पेड़ लगाते समय भी आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। पेड़ के पूर्ण रूप से विकसित होने पर लाइन से अनुशंसित न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु बौने प्रकार के पेड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए।

फ्रेंचाइजी को प्राधिकृत करना

13.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र के किसी भाग में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिये किसी फ्रेंचाइजी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत कर सकता है और यह संहिता फ्रेंचाइजी पर भी लागू होगी।

सेज (स्पेशल इँकानामी जोन) क्षेत्र में विद्युत वितरण

इस संहिता के संबंधित कंडिका राज्य शासन द्वारा सेज क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु अधिकृत सभी व्यक्ति, वॉडी कार्पोरेट एजेन्सी पर भी लागू होगी।

नोटिस की तामील

13.11 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई पत्र, आदेश अथवा दस्तावेज, दिया हुआ मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में भेजा जाता है और व्यक्तिगत् रूप से सौंपा जाता है अथवा डाक/कोरियर द्वारा उस पते पर भेजा जाता है जो कि उपभोक्ता ने विद्युत आपूर्ति मांगते समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि किया हो) में दर्शाया हो या उपभोक्ता द्वारा बाद में सूचित किया गया हो । यदि परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्ति–युक्त तरीके से

उपरोक्त पत्र दिया जा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चिपका दिया जायेगा।

13.12 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत भार विनियमन, नये टैरिफ अथवा बिल भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचना, आदि को बहुप्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित् करेगा।

13.13 अनुज्ञप्तिधारी को भेजे जाने वाले पत्रों को निम्नांकित पतों पर प्रेषित किया जावे –

(ए) उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत या पदांकित अधिकारी

(बी) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी का कार्यपालन इंजीनियर या समकक्ष अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति

अप्रत्याशित परिस्थितियॉ

13.14 विद्युत प्रदाय संहिता में निहित् प्रावधानों के अलावा अप्रत्याशित् रूप से यदि कोई स्थिति निर्मित होती है तब अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित् होने वाले व्यक्तियों से सद्भावना पूर्वक व्यवहारिक आधार पर सलाह–मशविरा कर सहमति पर पहुंचना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित होने वाले पक्षों के मध्य उपलब्ध समय–सीमा में सहमति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपनी सामर्थ्य अनुसार युक्ति–युक्त निर्णय लेगा ।

13.15 जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचता है तब उसे ध्यान रखना होगा कि प्रभावित् होने वाले पक्षों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी हालत में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त पूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्ष को अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय पर दिये गये सभी निर्देशों को मान्य करना होगा, बशर्ते ये निर्देश अधिनियम प्रचलित संहिता और विनियमों के अनुरूप हो। अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हुई परिस्थितियां एवम् इस बाबत् लिये गये सभी निर्णय को अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को भेजेगा ।

13.16 अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन तथा उपयुक्त विधि से कार्य सम्पन्न करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया दर्शित करते हुए मेनुअल /दिशा निर्देश जारी कर सकता है ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके तथा उपभोक्ता को शीघ्र संयोजन दिया जा सके।

13.17 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समानता लाने की दृष्टि से शहरी/अर्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज वार विद्युत पोल तथा न्यूनतम तार साइज निर्धारित करना चाहिए। व्यक्तिगत उपभोक्ता के कनेक्शन के प्रकरण के सिवाए अन्य निर्माण कार्य हेतु तार की साइज इस प्रकार का उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि कम से कम आगामी पांच वर्षों के बढ़ते भार की मांग पूरी कर सके।

व्याख्या

13.18 इस संहिता में निहित शर्तों को वर्तमान में प्रचलित एवं समय–समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम 2003, सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम, सी.ई.ए. निर्माण विनियम, तथा इनके लिये बनायें गये नियमों तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित तत्समय में प्रचलित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा व समझा जायेगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता को केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।

13.19 इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ या विस्तार के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिए बाध्य होगी।

रदद् करना (रिपील)

13.20 छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संहिता के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित विद्युत प्रदाय संहिता तथा विनियम का प्रचलन समाप्त हो जायेगा।

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय विनियम 2007
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा राशि) विनियम 2005
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की प्रक्रिया) विनियम 2005

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

13.21 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से जहाँ आवश्यक समझा जाय, विचार–विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा ।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

13.22 इस संहिता के क्रियान्वयन और तद्नुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्रांतर्गत अनुबंध निष्पादित किया गया है ।

व्यावृत्ति (सेविंग)

13.23 इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हों ।

13.24 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, आयोग को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

13.25 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से, आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

13.26 इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप परिस्थिति अनुसार भविष्य में आवश्यक होने पर अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता के संलग्न प्रपत्र के ढांचे में परिवर्तन कर सकता है ताकि प्रपत्र प्रचलित नियम, विनियम तथा इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हो सके।

परिवर्तन करने की शक्ति

13.27 आयोग किसी भी समय इस संहिता के प्रावधानों में सुधार, परिवर्तन व जोड़ सकता है।

शिथिल करने की शक्ति

13.28 उपयुक्त प्रकरण में आयोग जनहित में, लिखित में कारण दर्शित करते हुए इस संहिता के प्रावधानों को शिथिल कर सकता है।

टीपः– छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के अँग्रेजी से हिन्दी के रूपांतरण उसके प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर मूल संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
पी.एन. सिंह, सचिव.

परिशिष्ट

संलग्न प्रपत्र–1

आवेदन प्रपत्र – नए निम्नदाब संयोजन हेतु (जो आवश्यक नहीं है उसे काट देवे)

1	आवेदक का नाम / संस्थानः	
2	पिता / पति / निदेशक / हिस्सेदार / ट्रस्टी का नामः	
3(a)	पत्राचार हेतु पोस्टल पता	मकान / प्लाट / परिसर क्रमांकः सड़क क्षेत्र / कॉलोनी कस्बा / शहर / गॉव जिला मोबाइन नंबर ई–मेलः
(b)	स्थान जहां नए संयोजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है। *(स्थान की पहचान हेतु किसी निर्दिष्ट चिन्ह को दर्शाए)*	मकान / प्लाट / परिसर क्रमांकः सड़क क्षेत्र / कॉलोनी जिला
4	प्लाट का आकार .... वर्गफुट	ढका क्षेत्र ....वर्गफुट
5	आपूर्ति की श्रेणी (श्रेणी की सूची संलग्न)	
6	आपूर्ति का प्रयोजन	
7	कुल आवेदित भार (कि.वा. / हार्सपावर)	
8	आपूर्ति का प्रकार (स्थाई / अस्थाई)	
8(a)	यदि अस्थाई है तो अवधि दर्शाए	दिनांक .... से दिनांक .... तक
9	कृपया दर्शित करें कि क्या विद्युत आपूर्ति हेतु सर्विस लाइन या / तथा लाइन विस्तार कार्य आप करना चाहते हैं	हॉं / नही
10	कृपया दर्शित करें कि क्या आप स्वयं का सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत मीटर लगाना चाहते हैं	हॉं / नही
11	संलग्न प्रपत्रों की सूची	
(a)	क्या आवेदन पत्र में फोटो लगा है	हॉं / नहीं
(b)	आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले पहचान प्रमाण पत्र	
	यदि आवेदक एक व्यक्ति है (कृपया किसी एक के सम्मुख सही का निशान लगायें)	(1) मतदाता पहचान पत्र (2) पासपोर्ट (3) ड्राईविंग लायसेंस (4) राशन कार्ड (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (6) पैनकार्ड (7) सरपंच या ग्रामीण स्तर के शासकीय विभाग से संबंधित यथा पटवारी, पोस्टमास्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इंचार्ज से फोटो पहचान पत्र

		(8) आधार कार्ड
	यदि आवेदक एक संस्था है	संबंधित संस्था के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र / अधिकार पत्र
(c)	विधिक स्वामित्व / अधिवासी होने के प्रमाण पत्र सहित विद्युत आपूर्ति बिन्दु दर्शित करते हुए स्थल का नक्शा (कृपया किसी एक के सम्मुख सही का निशान लगायें)	(1) पंजीकृत विक्रय पत्र, भू–भाटक विलेख (लीज डीड) भागीदार विलेख (डीड), उत्तराधिकारी या वारिस होने का प्रमाण पत्र या वसीयतनामा की प्रति। (2) पंजीकृत मुख्त्यारनामा (3) तात्कालिक निगम टैक्स (संपदा कर) भुगतान की प्रति (4) शासकीय प्राधिकरण / विभाग द्वारा भूमि / भवन के आवंटन पत्र (5) गॉव के प्रकरण में सरपंच द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र (6) शासकीय विभाग द्वारा जारी पटटा (7) आवेदक यदि परिसर का स्वामी न होकर अधिवासी है तो आवेदन के साथ उपरोक्त 1 से 6 में से कोई भी प्रमाण पत्र सहित परिसर के विधिक स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। (8) कृषि सिंचाई पंप के प्रकरण में जहॉ विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है उस भूमि का बी–1 सहित खसरा नक्शा की प्रति जिसमें भूमि के खसरा नंबर सहित स्थल जहॉ कुआं खोदा गया हो। नदी, नाला, तालाब से पानी लेने की स्थिति में सक्षम राजस्व अधिकारी से और भूमि के सामूहिक स्वामित्व के प्रकरण में आवेदक के नाम से अधिकार पत्र जमा करने होंगे।
(d)	वर्तमान पते का प्रमाण (कृपया संलग्न प्रपत्र के सम्मुख सही का निशान लगायें)	(1) मतदाता पहचान पत्र (2) पासपोर्ट (3) ड्राईविंग लायसेंस (4) राशन कार्ड (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (6) प्रचलित बैंक एकाउण्ट पासबुक (7) तात्कालिक जल / टेलिफोन / विद्युत / गैसकनेक्शन बिल (8) इंकम टैक्स असेसमेंट आदेश
(e)	अन्य कोई प्रपत्र (कृपया स्पष्ट करें)	
12	क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई बकाया राशि शेष है – हॉ / नहीं	
13	क्या स्थल जहां विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है कोई बकाया राशि शेष है – हॉ / नहीं	
14	क्या किसी संस्था जिसके आवेदक मालिक / हिस्सेदार / निदेशक का कार्यकारी निदेशक रहे हो के विरूद्ध राशि शेष है – हॉ / नहीं	
	कृपया कॉलम 12, 13 व 14 का उत्तर यदि हॉ हो तो अलग प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।	

मैं / हम यह घोषणा करते हैं –

(अ) इस आवंटन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत **प्रदाय संहिता** पढ़ लिया है तथा उसमें दर्शित शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं।

(स) मैं/हम संदर्भित टैरिफ तथा अन्य शुल्कों के साथ प्रतिमाह विद्युत बिल का भुगतान करेंगे।

(द) मैं/हम मीटर/कटआउट तथा उसकी स्थापना की रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक .... उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर
स्थान .... नाम–
पद–

टीप: पहचान के प्रमाण पत्र, विधिक स्वामित्व/अधिवासी के प्रमाण पत्र तथा वर्तमान पते के प्रमाण पत्र के सिवाय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र भी संलग्न होने चाहिए।

1. हिस्सेदारी फर्म के प्रकरण में आवेदक पार्टनरशिप डीड तथा आवेदन प्रपत्र व अनुबंध में हस्ताक्षर करने हेतु आवेदक के नाम पर अधिकार पत्र।
2. पब्लिक व/या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में आवेदक कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन सहित आवेदन प्रपत्र तथा अनुबंध में हस्ताक्षर करने हेतु आवेदक के नाम पर अधिकार पत्र।
3. अन्य प्रपत्र जो कि विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को लागू होगा –
   (अ) औद्योगिक उपभोक्ता – प्रभावशील उद्योग लायसेंस जहां आवश्यक हो पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   (ब) कृषि पम्प – जल का स्रोत, नदी, नाले, तालाब, नहर आदि होने की स्थिति में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   (स) अस्थाई कनेक्शन हेतु भूस्वामी/नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत/ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/भूमि विकास अधिकरण जो प्रयुक्त हो से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   (द) किसी नियम के तहत आवश्यक स्थानीय/शासकीय विभाग की अनुमति।

पावती

श्री .... ग्राम ....से ....
कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक .... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद :

संलग्न प्रपत्र–2

आवेदन प्रपत्र – नए उच्च व अति उच्चदाब संयोजन हेतु
(जो आवश्यक नहीं है उसे काट देवे)

1	आवेदक / संस्था का नाम	
2	पिता / पति / निदेशक / हिस्सेदार / ट्रस्टी का नाम	
3	पत्राचार हेतु पोस्टल पता दूरभाष व ई–मेल सहित	
4	पता जहां के लिए नए संयोजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है। *(स्थान की पहचान हेतु किसी निर्दिष्ट चिन्ह को दर्शाए)*	
5	वोल्टेज जिस पर आपूर्ति चाहिए	11KV 33KV 66KV 110KV 132KV 220KV
6	आपूर्ति का प्रकार स्थाई / अस्थाई	
(a)	यदि अस्थाई है तो अवधि दर्शाए	दिनांक .... से दिनांक .... तक
7	कुल संविदा मांग के.व्ही.ए. में	
8	संविदा मांग का आधार एवं ली गई डायवर्सिटी फेक्टर	
9	क्या संविदा मांग फेज में चाहिए हॉ / नहीं यदि हॉ हो तो निम्न विवरण दें	अनुमानित तिथि जब से चाहिए
	(a)	
	(b)	
	(c)	
10	संयोजन का उददेश्य	
11	टैरिफ की श्रेणी जिसके लिए आवेदन दिया गया	
12	उत्पादन क्षमता	
13	उद्योग की श्रेणी	SSI MSI LSI
	इकाई का प्रकारः स्वामित्व / हिस्सेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड / सहकारी / शासकीय / शासकीय उपक्रम	
14	संस्था का नाम जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहा है	
15(a)	क्या अधिकार पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है	हॉ / नहीं
15(b)	संस्था द्वारा प्रदत्त (प्रति संलग्न)	संख्या .... दिनांक
16	क्या आपूर्ति स्वतंत्र फीडर से चाहिए	हॉ / नहीं
17	क्या उपरोक्त इकाई कहीं चालू थी या कनेक्शन हेतु आवेदन किया था (यदि हॉ तो कृपया विवरण दें)	(ए) स्वीकृत भार (बी) सर्विस क्रमांक (सी) बकाया राशि यदि कोई हो
18	क्या पूर्व में इस स्थल में कनेक्शन हेतु आवेदन किया था (यदि हॉ तो कृपया विवरण दें)	(ए) यूनिट का नाम (बी) सर्विस क्रमांक (सी) बकाया राशि यदि कोई हो

19	भूमि अधिग्रहण की स्थिति	
20	वित्तीय व्यवस्था की अनुमानित तिथि	
21	क्या पर्यावरण विभाग से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है यदि हॉ तो प्रति संलग्न करें।	
22	क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई बकाया राशि शेष है – हॉ/नहीं	
23	क्या स्थल जहां विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है कोई बकाया राशि शेष है – हॉ/नहीं	
24	क्या किसी संस्था जिसके आवेदक मालिक/हिस्सेदार/निदेशक का कार्यकारी निदेशक रहे हो के विरूद्ध राशि शेष है – हॉ/नहीं	
	कृपया कॉलम 22, 23 व 24 का उत्तर यदि हॉ हो तो अलग प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।	
25	कृपया दर्शित करें कि क्या लाइन विस्तार कार्य आप स्वयं करना चाहते हैं	हॉ / नहीं

मैं/हम यह घोषणा करते हैं –

(अ) इस आवंटन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता पढ़ लिया है तथा उसमें दर्शित शर्ते मुझे/हमें मान्य हैं।

(स) मैं/हम संदर्भित टैरिफ तथा अन्य शुल्कों के साथ प्रतिमाह विद्युत बिल का भुगतान करेंगे।

(द) मैं/हम मीटर/कटआउट तथा उसकी स्थापना की रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक .... उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान .... नाम–

पद–

टीप– आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होने चाहिए–

1. परिसर का स्वामित्व का प्रमाण
2. 1 सेमी =12 मीटर स्केल का परिसर का प्लान, नक्शा, जहॉ विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है (लाल रंग से सीमा दर्शाते तथा विद्युत प्रदाय बिन्दु दर्शाते हुए) ।
3. विधिक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां आवश्यक हो या आवेदक का घोषणा पत्र कि उसके संयोजन के लिए किसी भी प्रकार की विधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4. स्वामित्व वाले संस्थान के प्रकरण में प्रतिज्ञा पत्र कि आवेदक संस्थान/फर्म में पूर्णरूपेण स्वामी है।
5. हिस्सेदारी फर्म के प्रकरण में हिस्सेदारी अनुबंध।
6. लिमिटेड कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन।
7. उपभोक्ता के स्थाई निवास का पता, पान (PAN) नंबर यदि कोई हो। भविष्य में पता बदलने पर उपभोक्ता द्वारा अविलंब अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जायेगा।
8. लगाये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची तथा अनुमानित भार।
9. हस्ताक्षर हेतु अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र।
10. उद्योग विभाग का पंजीकरण।

11. उद्योग के प्रकरण में विद्युत एवं प्रक्रिया की आवश्यकता से संबंधी परियोजना प्रतिवेदन का सुसंगत भाग।

12. प्रचलित टैरिफ आदेश के संबंधित कंडिका की प्रति जो कि उपभोक्ता द्वारा चयनित टैरिफ श्रेणी का विवरण दर्शाती हो तथा उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। यह उपभोक्ता द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात अनुबंध का भाग होगा।

पावती

श्री .... ग्राम ....से .... कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक .... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद :

संलग्न प्रपत्र–3

उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक ....माह .... वर्ष ....को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत एक समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिसका निगमित कार्यालय डंगनिया, डाकघर–सुन्दरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492013 है (जिसे एतस्मिन पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में, इसके उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञात समनुदेशित (permitted assigned) सम्मिलित होंगे जब तक कि इस संदर्भ या अर्थ में विरूद्ध ना अभिव्यक्त किया गया हो) एक पक्ष होगा तथा श्री/श्रीमती/मेसर्स .... पुत्र/पुत्री/मालिक/संचालक .... (जिसे एतस्मिन पश्चात उपभोक्ता कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसे स्वीकार किया गया है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि, व्यावसायिक उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिति सम्मिलित होंगे) दूसरा पक्ष होंगे।

यह कि उपभोक्ता को उसके (पूर्ण पता) .... स्थित परिसर (25 अश्वशक्ति एवं उससे अधिक विद्युत भार वाले निम्नदाब/उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के परिसर को लाल स्याही से सीमा रेखाओं से चिन्हित संलग्न नक्शे) में .... उददेश्य के लिये विद्युत आपूर्ति उपलब्ध/अपेक्षित है और अनुज्ञप्तिधारी एतस्मिन पश्चात उपबंधित शर्तों एवं दशाओं पर उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु सहमत हो गया है।

अब एतद् द्वरा निम्नानुसार घोषणा एवं सहमति दी जाती है।

1. यह कि उपभोक्ता/उपभोक्ताओं द्वारा घोषणा की जाती है कि वह/वे .... में स्थित स्थल (एतस्मिन पश्चात इसे परिसर के रूप में संदर्भित किया गया है) के वैधानिक अधिगृहिता है/हैं।

2. (क) यह कि एतस्मिन पश्चात उपबंधित प्रावधानों के अध्यधीन तथा इस अनुबंध के जारी रहने तक, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करेगा तथा जैसा कि, उपभोक्ता चाहता है, उपभोक्ता इस अनुज्ञप्तिधारी से अपने स्वयं के उपयोग हेतु एवं अपने परिसर में ऊपर दिए उददेश्य हेतु निम्नानुसार अधिकतम निर्धारित सीमा में विद्युत प्राप्त करेगा –

   .... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से ....
   .... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से ....
   .... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से ....

   (एतस्मिन पश्चात इसे अनुबंधित/संविदा मांग अथवा अनुबंधित/संविदा भार कहा जाएगा)

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ऊपर अनुच्छेद 2(क) के अंतर्गत उल्लेखित मात्रा में विद्युत .... वोल्ट दाब पर उपभोक्ता को प्रदाय करने हेतु सहमत है एवं उपभोक्ता विद्युत प्रदाय के एवज में विद्युत अधिनियम, 2003 (एतस्मिन पश्चात इसे 'अधिनियम' कहा जावेगा) के अनुच्छेद 45 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (एतस्मिन पश्चात इसे 'प्रदाय संहिता' कहा जाएगा) तथा सामान्य एवं विविध प्रभारों की अनुसूची एवं समय–समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

(एतस्मिन पश्चात इसे 'आयोग' कहा जाएगा) के विनियमों के अधीन भुगतान हेतु सहमत होगा।

3. इस अनुबंध का आरम्भ उपभोक्ता को विद्युत संयोजन प्रदान करने की वास्तविक तिथि, अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्धता के संबंध में जारी सूचना की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद के दिन से जो भी पहले हो, माना जाएगा।

4. इस अनुबंध से जुड़े हुए दोनों पक्ष अधिनियम तथा इस संबंध में लागू नियमों/विनियिमों एवं समय-समय पर संशोधित प्रदाय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे। दोनों पक्ष इस बात के लिए भी सहमत है कि वे अन्य नियम अथवा विनियम, जो समय-समय पर विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत उपयोग हेतु लागू किए जायेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशों व आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।

5. यह अनुबंध उपरोक्तानुसार दर्शित दिवस से लागू होगा तथा तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कि विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अध्यधीन विद्युत प्रदाय समाप्त एवं पारिणामिक रूप से बंद नहीं किया जाता है।

6. उपभोक्ता प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु सहमत है।

7. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय को सुगम बनाने के लिए तथा विद्युत खपत का हिसाब रखने हेतु लगाये जाने वाले मीटर प्रणाली, यंत्र एवं उपकरण लगाने हेतु, स्वयं के व्यय पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा।

8. मीटर को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उचित रूप से सील किया जाएगा इस सील को दोनों पक्षों में किसी के भी द्वारा छेड़ा नहीं जाएगा सिवाय इसके कि अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जब उसे बदलने/दूसरा लगाने की आवश्यकता हो तब उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही ऐसा किया जा सकेगा।

9. इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय एवं विद्युत उपयोग का नियमन समय-समय पर संशोधित प्रदाय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार ही होगा।

10. प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए उपभोक्ता यह जिम्मेदारी लेता है, कि वह अपने परिसर में लगी हुई मीटर प्रणाली, यंत्र, उपकरण जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाई जाएगी की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखेगा और यह भी कि वह अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उपभोक्ता के परिसर में लगाई गई मीटर प्रणाली, यंत्र, उपकरण अथवा तृतीय पक्ष को उपभोक्ता परिसर की विद्युत स्थापना में आने वाली किसी भी खराबी के कारण हुए किसी भी नुकसान की भरपाई हेतु भी जिम्मेदार होगा।

11. इस अनुबंध में समाहित अथवा संशोधित कोई भी प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता का उन स्वत्वों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से वंचित नहीं कर सकेगा जो विद्युत प्रदाय एवं उपयोग के संबंधित किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुबंध अवधि में प्राप्त किये जा सकते हों।

12. उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक माह आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में अवधारित विद्युत एवं अन्य प्रभार जिसमें परिवर्तनीय ईंधन मूल्य समायोजन प्रभार भी सम्मिलित है का भुगतान किये जावेंगे। वर्तमान में प्रचलित विद्युत दर का विवरण निम्नानुसार है–

    1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का टैरिफ आदेश क्रमांक .... दिनांक ....
    2. दर सारणी ....
    3. लागू दर ....

13. यह कि विद्युत विक्रय के ऊपर केन्द्र/राज्य शासन/स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों/प्रभारों को उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा एवं भुगतान किया जाएगा।

14. यह कि उपभोक्ता इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वह परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशियों/संचित राशियों का भुगतान करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से इस तरह की राशि की वसूली उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूदा कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो, में स्थानांतरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।

15. यह कि उपभोक्ता यह घोषित करता है कि वह, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिस प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग स्वीकृत किया गया है, उसी प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग करेगा एवं किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नहीं करेगा।

16. यह कि उपभोक्ता यह वचन देता है / घोषित करता है कि वह इस विद्युत आपूर्ति को किसी अन्य परिसर तक न तो बढ़ाएगा न ही इसे किराये पर किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।

17. यह कि उपभोक्ता यह घोषित करता है कि उसके परिसर में संचालित उद्योग/व्यवसाय शासन की किसी संस्था द्वारा असाधारण/खतरनाक/प्रदूषणयुक्त घोषित नहीं किया गया है तथा इस परिसर पर विद्युत कनेक्शन देने में न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है। किसी भी समय यदि बाद में यह अन्यथा पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया जाएगा एवं इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

18. यह कि मांगे गए विद्युत कनेक्शन स्वीकृत होने पर उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन होने के आधार पर उस भवन के नियमितीकरण/भूमि उपयोग हेतु कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

19. यह कि अनुबंध की समाप्ति की दशा में अथवा संविदात्मक चूक के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार की बकाया, जिसमें विद्युत उपभोग की राशि भी सम्मिलित है, उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति या अन्य किसी भी जमा राशि से समायोजित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

20. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के समस्त अधिकृत कर्मचारियों को मीटर वाचन, संधारण, निरीक्षण, जॉंच तथा परीक्षण आदि के कार्यों के लिए स्पष्ट एवं बाधा रहित पहुंच प्रदान करेगा।

21. यह कि अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर का विद्युत प्रवाह, कोई चूक होने पर/सांविधिक आवश्यकताएं पूरी न करने और/अथवा किसी संवैधानिक अधिकारी या न्यायालय के आदेश पर बिना किसी उत्तरदायित्व के विच्छेद करने का अधिकार होगा।

22. इस अनुबंध से संबंधित सभी विवादों एवं दावों का निराकरण अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

23. (क) इस अनुबंध के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्रदाय होने वाली विद्युत आपूर्ति की अधिकतम मांग की अवधि में, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखित में निर्देशित किया जायगा, के अनुसार, उपयोग को सीमित या नियंत्रित करने हेतु उपभोक्ता सहमत है।

(ख) उपभोक्ता सहमत है कि विद्युत प्रदाय या विद्युत तंत्र में आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होने पर, अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकतानुसार इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति में कटौती करने, बांटने या पूर्ण रूप से बन्द कर सकेगा।

24. यह कि अनुज्ञप्तिधारी इस अनुबंध की किसी भी शर्त का उपभोक्ता द्वारा पालन न करने, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समय–समय पर लागू होने वाले विनियमों के उल्लंघन करने पर विद्युत प्रवाह विच्छेद करने हेतु उपभोक्ता को लिखित में विद्युत विच्छेद की सूचना जारी करने हेतु अधिकृत होगा।

25. इस अनुबंध में प्रयुक्त ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, जो कि अनुबंध में, अधिनियम में अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बने किसी भी नियम एवं विनियम में अथवा साधारण खण्ड अधिनियम–1897 के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो सामान्य बोलचाल की भाषा में मान्य है।

26. दोनों पक्षों को इस अनुबंध के प्रावधान ज्ञात व स्वीकार्य हैं कि इस अनुबंध के प्रावधान सदैव अधिनियम तथा इनके अन्तर्गत जारी नियमों, विनियमों एवं संहिता तथा समय–समय पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही पढ़ें जाएंगे। यदि इस अनुबंध की ऊपर वर्णित शर्तों में अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता, निर्देश आदि के प्रावधानों से भिन्नता पाई जाती है तो अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता एवं आयोग के आदेशों के प्रावधान लागू होंगे।

27. विशिष्ट शर्ते (यदि कोई हो) :– . . . .

निम्न साक्षियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित के आदेश पर एवं उसके वास्ते .... छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं उपभोक्ता .... द्वारा प्रथम दर्शायी गई तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षर किये एवं सामान्य मुद्रा अंकित की गई।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये
(नाम व पता)

गवाह: (नाम व पता)

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित

गवाह: (नाम व पता)

गवाह: (नाम व पता)

अनुज्ञप्तिधारी की मुद्रा

गवाहः (नाम व पता)
नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये

गवाहः (नाम व पता)

उपभोक्ता के हस्ताक्षर
नाम व पता

गवाहः (नाम व पता)

स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो (शासकीय व स्थानीय निकाय को छोड़कर)

रबर / सामान्य सील निम्न व्यक्तियों की
उपस्थिति में यहां अंकित की गई

गवाहः (नाम व पता)

उपभोक्ता की रबर की सामान्य सील
(यदि लागू हो कंपनी / फर्म के लिए)

गवाहः (नाम व पता)

संलग्न प्रपत्र–4

आवेदन प्रपत्र – पंजीकृत उपभोक्ता के नाम परिवर्तन/विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में संयोजन के स्वामित्व का स्थानांतरण/उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन/परिसर का स्थानांतरण (जो आवश्यक है उसे सही करें)

1	सर्विस कनेक्शन क्रमांक	
2	वर्तमान के पंजीकृत उपभोक्ता का नाम	
3	उपभोक्ता की श्रेणी	
4	संविदा मांग / भार	
5	पता	दूरभाष/मोबाइल क्रमांक ई–मेल
6	उस व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में कनेक्शन स्थानांतरित करना है (बड़े अक्षरों में)	
7	प्रयोजन बदलने हेतु आवेदन	
(i)	यदि आवेदन उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन के लिये है, तो वांछित टैरिफ श्रेणी दर्शित करें।	(इस आवेदन के साथ संलग्न टैरिफ कैटेगरी देखें)
(ii)	यदि आवेदन परिसर में परिवर्तन का है तो– (अ) नया पता जहां वर्तमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना है। (ब) उपकरण जिसे स्थानांतरित करना है। (मीटर, सर्विस लाईन, निम्न/उच्चदाब लाइन, ट्रांसफार्मर आदि)	
7	प्रयोजन बदलने का कारण	

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है (जो उपयुक्त हो चिन्हांकित करें) –

1. हाल में भुगतान किये बिल की प्रति।
2. विधिक स्वामित्व/अधिवासी का दस्तावेज़।
3. यदि उपलब्ध है/सम्भव है तो वर्तमान उपभोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. रजिस्ट्रीकृत अनुबंध/वसीयतनामा/उत्तराधिकार पत्र/तब्दीली (म्यूटेशन) पत्र (अन्य कोई प्रपत्र हो तो स्पष्ट करें)
5. अन्य उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कनेक्शन एक उत्तराधिकारी के नाम से परिवर्तित करना है।

दिनांक– उपभोक्ता का हस्ताक्षर
स्थान– नाम :

पावती

वर्तमान में सर्विस कनेक्शन क्रमांक .... जो कि श्री .... के नाम है का आवेदन पत्र दिनांक .... को श्री ....के नाम पर बदलने/अन्य हेतु प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक .... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद :

संलग्न प्रपत्र–5

आवेदन प्रपत्र – संविदा मांग/भार में वृद्धि /कमी तथा प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन हेतु (जो आवश्यक है उसे सही करें)

1	आवेदक/संस्था का नाम	
2	सर्विस कनेक्शन नंबर	
3	परिसर का पता जहां विद्युत प्रदाय किया जा रहा है	दूरभाष/मोबाइल क्रमांक ई–मेल
4	संविदा मांग/भार में वृद्धि के प्रकरण में (i) वर्तमान संविदा मांग/भार (ii) प्रस्तावित संविदा मांग/भार	
5	संविदा मांग/भार में कमी के प्रकरण में (i) वर्तमान संविदा मांग/भार (ii) प्रस्तावित संविदा मांग/भार	
6	संविदा मांग/भार में वृद्धि/कमी करने का कारण	
7	भार में वृद्धि/कमी का विवरण (उपकरण का नाम सहित) (अ) प्रकाश (ब) मोटर (अ) कृषि (अ) अन्य (स्पष्ट करें)	
8	यदि आवेदन प्रयोजन/प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन का है (जो लागू हो उसे चिन्हीत करें)	(अ) एलटी एकल फेज से एलटी 3 फेज (ब) एलटी तीन फेज से एलटी एकल फेज (स) निम्नदाब से उच्चदाब (द) उच्चदाब से निम्नदाब (इ) उच्चदाब से अति उच्चदाब

दिनांक–
स्थान–

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
नाम :

टीप :– आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है (यदि लागू हो)–

1. यदि उपभोक्ता की स्थापना में परिवर्तन किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं जांच रिपोर्ट।
2. हस्ताक्षर हेतु अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र।

पावती

संविदा भार में वृद्धि/कमी हेतु श्री .... का आवेदन पत्र सर्विस कनेक्शन क्रमांक...................... दिनांक ....प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक .... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद :

संलग्न प्रपत्र–6

विद्युत आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन पश्चात उपभोक्ता को सूचित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

दिनांक ....

अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय का पता
सर्विस कनेक्शन नंबर
उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता की श्रेणी
संविदा भार / मांग
उपभोक्ता का पता

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी विद्युत आपूर्ति दिनांक .... से निम्नलिखित कारणों से अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई है–

....

....

आपके द्वारा माह .... से विद्युत बिल का भुगतान बंद कर दिया गया है तथा वर्तमान में आपके उपरोक्त कनेक्शन के विरूद्ध रू. .... की बकाया राशि देय है।

आपसे निवेदन है कि विद्युत विच्छेदन के कारणों को दूर कर शीघ्र इस कार्यालय को सूचित करें। आपसे यह भी निवेदन है कि विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन व पुनर्संयोजन हेतु रू. .... सहित रू. .... (यदि कोई शेष है तो) का भुगतान करें।

यदि इस नोटिस के 15 दिवस के भीतर विद्युत विच्छेदन के कारणों को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया गया तथा उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया तो यह मान लिया जायेगा कि आप विद्युत आपूर्ति चालू रखंने के इच्छुक नहीं है। तदनुसार आपके परिसर में लगाया गया मीटर हटा लिया जायेगा तथा आपकी विद्युत आपूर्ति अनुबंध अवधि के बीतने के पश्चात आगे और कोई बिना नोटिस के स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी।

धन्यवाद,

भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम व पद
सील

संलग्न प्रपत्र–7

स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन तथा अनुबंध की समाप्ति हेतु आवेदन

दिनांक ....

सर्विस कनेक्शन नंबर
उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता की श्रेणी
संविदा भार / मांग
उपभोक्ता का पता
महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर संबंधित अनुबंध समाप्त करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है–
1. पिछले बिल की कॉपी।
2. पिछले बिल की भुगतान रसीद।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
नाम
दूरभाष
पता

दिनांक –
स्थान –

पावती

विद्युत विच्छेदन एवं अनुबंध समाप्ति हेतु श्री .... का आवेदन दिनांक ....प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक .... आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद :

संलग्न प्रपत्र–8

अनुबंध समाप्ति पश्चात उपभोक्ता को सूचित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

दिनांक ....

अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय का पता
सर्विस कनेक्शन नंबर
उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता की श्रेणी
संविदा भार / मांग
उपभोक्ता का पता

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके .... हार्सपावर/किलोवाट के .... प्रयोजन हेतु लिया गया विद्युत कनेक्शन जिसका सर्विस कनेक्शन क्रमांक .... से संबंधित आपके व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य हुआ अनुबंध दिनांक .... से निम्नलिखित कारणों से समाप्त कर दिया गया है –

....

....

आपकी विद्युत आपूर्ति स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई है। विद्युत बिल व अन्य शुल्क के समायोजन पश्चात –

1. रू. .... की राशि जो आपको देय है का चेक क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

2. रू................................ की राशि आपके द्वारा देय है। आपसे निवेदन है कि इस पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर इसका भुगतान करें अन्यथा उक्त राशि के वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम व पद
सील

संलग्न प्रपत्र–9

मीटर से संबंधित शिकायत/ मीटर परीक्षण हेतु आवेदन

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त शिकायत क्रमांक .... (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखा जायेगा)

1. सर्विस कनेक्शन नंबर
2. उपभोक्ता का नाम
3. उपभोक्ता का पता एवं दूरभाष क्रमांक

4. शिकायत का संक्षिप्त विवरण – मीटर का जल जाना/पूरी तरह से रूक जाना/मीटर की तीव्र गति/सील का टूटना/मीटर की जॉच
5. अन्य कोई सूचना यदि हो

दिनांक .... उपभोक्ता का हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

1. स्थल परीक्षण सूचना

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

2. संबंधित अधिकारी द्वारा टिप्पणी

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

पावती

शिकायत दर्ज नंबर .... (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जायेगा)
शिकायत प्राप्त किया गया द्वारा .... (नाम एवं पद)
शिकायत प्राप्ती की तिथि ....

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एव पद:

संलग्न प्रपत्र–10

सर्विस कनेक्शन/ट्रांसफार्मर तथा पावर लोड हेतु अनुशंसित केबल साइज

क्रमांक	प्रयोजन व वोल्टेज	विवरण	भार क्षमता
1	सड़क बत्ती 250/440V	केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम 1 कोर 1.5 वर्ग मि.मी. पॉलिथीन	समस्त श्रेणी के लेम्प (लाइट)
2	घरू कनेक्शन 250/440V 650/1100 V	(अ) 2.5 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू. पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन (ब) उपरोक्त 2(अ) अनुसार (स) 6 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू. पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन (द) उपरोक्त 2(स) अनुसार	10 एम्पियर तक 3 से 5 हार्सपावर 20 एम्पियर 7.5 से 10 हार्सपावर
3	पावर सर्विस 650/1100 V	(अ) 2.5 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू. पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन/पी.व्ही.सी. (ब) 95 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3 कोर 95 वर्ग मि.मी. 650/1100 या पॉवर केबल एल्युमिनियम 3.5 कोर 90/55 वर्ग मि.मी. (स) 120 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3 कोर (120 वर्ग मि.मी.) 3.5 कोर (150/70 वर्ग मि.मी.) पी.व्ही.सी./पी.व्ही.एल.	15 से 30 हार्सपावर और 25 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर 50 से 60 हार्सपावर 60 से 100 हार्सपावर तक
4	वितरण ट्रांसफार्मर	(अ) 120 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर 3(स) अनुसार (ब) पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3.5 कोर 300/150 वर्ग मि.मी. पी.व्ही.सी./650/1100 वोल्ट	63 से 100 के.व्ही.ए. 160 से 200 के.व्ही.ए.

संलग्न प्रपत्र–11

1500 चक्कर प्रति मिनट के किसी इन्डक्शन मोटर में सीधे लगाये जाने हेतु अनुशंसित केपेसिटर का विवरण

मोटर कि.वा.	मोटर हार्सपावर	अधिकतम के.व्ही.ए.आर. क्षमता
1.865	2.5	1
3.730	5	2
5.595	7.5	3
7.460	10	4
9.325	12.5	4.5
11.2	15	5
13.1	17.5	5.5
14.9	20	6
16.8	22.5	6.5
18.7	25	7
20.5	27.5	7.5
22.4	30	8
24.2	32.5	8.5
26.1	35	9
28.0	37.5	9.5
29.8	40	11
31.7	42.5	11
33.6	45	11.5
35.4	47.5	12
37.3	50	13
41.0	55	13.5
44.8	60	14.5
48.5	65	15.5
52.2	70	16.5
56.0	75	17
59.7	80	19
63.4	85	20
67.1	90	21
70.9	95	22
74.6	100	23

टीप– उपरोक्त सारणी में दर्शित केपेसटिर की अनुशंसित क्षमता मुख्यतः सामान्य मार्गदर्शन हेतु है। जहां लगाये गये मीटर में औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित करने की सुविधा नहीं है वहां उपरोक्त दर्शित सारणी में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित अनुशंसित कार्यरत केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेगी

केपेसिटर लगाते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है–

1. बेहतर परिणाम के लिए हर मोटर के टरमिनल पर मोटर की क्षमता के अनुरूप केपेसिटर लगाना चाहिए ताकि विद्युत प्रदाय के साथ केपेसिटर भी स्विच आफ/स्विच आन हो सके।

2. यदि कोई छोटे मोटरों के लिए एक स्थल पर सम्मिलित केपेसिटर लगाया गया है तो सिर्फ प्रकाश व पंखे चालू रहने की स्थिति में केपेसिटर स्विच आफ करे अन्यथा कम लोड या लोड नहीं होने की स्थिति में ओवर कम्पन्सेशन के कारण औसत मासिक पावर फेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है।

संलग्न प्रपत्र–12

(ए) शिरोपरि लाइन के सबसे नीचे तार की भूमि से ऊंचाई (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 58)

(1) सर्विस लाइन सहित सड़क के आरपार खींची गई शिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए–

(i)	लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो	5.8 मीटर
(ii)	लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो	6.1 मीटर

(2) सर्विस लाइन सहित सड़क के साथ खींची गई शिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए–

(i)	लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो	5.5 मीटर
(ii)	लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो	5.8 मीटर

(3) सर्विस लाइन सहित सड़क के साथ व उसके आरपार के अतिरिक्त अन्य स्थल पर खींची गई शिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊँचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए–

(i)	लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही तक यदि खुला तार हो	4.6 मीटर
(ii)	लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही तक यदि इंसुलेटेड तार हो	4.0 मीटर
(iii)	लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो हो	5.2 मीटर

(4) 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज के लाइन के लिये भूमि से ऊँचाई 5.2 मीटर तथा प्रति 33 के.व्ही. या उसके भाग पर 0.3 मीटर की दर के योग से कम नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि किसी भी सड़क के आरपार या उसके साथ ऊँचाई 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(बी) ऐसे सर्विस लाइन तथा लाइन की भवन से दूरी जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 60)

(1) जहां तक सम्भव हो कोई शिरोपरि लाइन किसी स्थित भवन के ऊपर से नहीं जानी चाहिए तथा किसी स्थित लाइन के नीचे कोई भवन निर्माण नहीं करनी चाहिए।

(2) जहां ऐसी शिरोपरि लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो किसी भवन के ऊपर से या पास से गुजरती है या किसी भवन के पास समाप्त होती है तो अधिकतम झूल के आधार पर भवन के किसी पहुंच बिन्दु से तार की दूरी निम्नानुसार से कम नहीं होनी चाहिए –

(i) किसी समतल छत, खुले बालकनी, बरामदा छत तथा झुके छत के लिए –

(अ) जब लाइन भवन के ऊपर से जाती है तो भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु से ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) ऊंचाई 2.5 मीटर

(ब) जब लाइन भवन के पास से गुजरती है तो भवन के सबसे पास बिन्दु से क्षैतिज (हारिजेन्टल) दूरी 1.2 मीटर

(ii) झुके छत के लिये –

(अ) जब लाइन भवन के ऊपर से गुजरती है तो लाइन के एकदम नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 2.5 मीटर

(ब) जब लाइन भवन के पास से गुजरती है तो क्षैतिज (हारिजेन्टल) दूरी 1.2 मीटर

(3) ऐसा तार जिसकी स्थिति उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम होती है को पर्याप्त इन्सुलेटेड होनी चाहिए तथा उपयुक्त दूरी पर तार से जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ 350 किलो से कम न हो के माध्यम से भूयोजित होनी चाहिए।

(4) क्षैतिज दूरी का माप ऊर्ध्वाधर से वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन (डिफ्लेशन) की स्थिति में मापा जायेगा।

(सी) भवन से 650 से अधिक वोल्टेज के लाइन की दूरी (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 61)

(1) शिरोपरि लाइन किसी स्थित भवन के ऊपर से नहीं जानी चाहिए तथा किसी शिरोपरि लाइन के नीचे कोई भवन निर्माण कार्य नहीं करनी चाहिए।

(2) जहां 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट की शिरोपरि लाइन किसी भवन या उसके भाग के ऊपर या पास से गुजरी है तो अधिकतम झूल की स्थिति में लाइन के एकदम नीचे स्थित भवन के सबसे ऊंचे भाग की दूरी निम्नांकित से कम नहीं होनी चाहिए–

(i)	लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो	3.7 मीटर
(ii)	लाइन जिसका वोल्टेज 33 के.व्ही से अधिक हो	3.2 मीटर + प्रति 33 के.व्ही या भाग पर 0.3 मीटर अतिरिक्त

(3) भवन के किसी भाग तथा सबसे पास के तार में वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन की स्थिति में दूरी निम्न से कम नहीं होनी चाहिए–

(i)	लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 11 के.व्ही से अधिक न हो	1.2 मीटर
(ii)	लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही. से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो	2.00 मीटर
(iii)	लाइन जिसका वोल्टेज 33 के.व्ही. से अधिक हो	2.0 मीटर + प्रति 33 के.व्ही या भाग पर 0.3 मीटर अतिरिक्त

(डी) उच्च व अति उच्चदाब लाइन से सुरक्षित कार्य दूरी :– जहां 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति, परिवर्तन, ट्रांसफार्म या उपयोग किया जाता के लिये न्यूनतम सुरक्षित कार्य दूरी निम्नानुसार है–

उच्चतम प्रणाली वोल्टेज कि.वोल्ट में	सुरक्षित कार्य दूरी मीटर में
12	2.6
36	2.8
145	3.7
245	4.3

संग्लन प्रपत्र 13 (ए)

कंडिका 4.53 संबंधी उदाहरण – अपूर्ण विकसित कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति

मान लीजिए कुल प्लाटों की संख्या 100 है जिसमें से 30 संयोजन प्राप्ति के इच्छुक हैं कंडिका 4.51 के आधार पर 30 आवेदनों के आकलित भार 120 किलोवाट है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित औसत दर रू.3000 प्रति किलोवाट है, तो 30 आवेदकों से प्राप्त राशि रू.3.60 लाख (रू.3000X120) होगी।

यदि इन 30 आवेदकों को विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रू. 12 लाख होती है जो कि अनुमति योग्य विस्तार कार्य की राशि रू.14.4 लाख (3.6 X4) से कम है तो 30 आवेदकों से [illegible] कार्य हेतु 3.6 लाख रूपए प्राप्त कर लाइन विस्तार कार्य किया जा सकता है।

यदि इन 30 आवेदकों को विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रू.16 लाख होती है जो कि अनुमति योग्य विस्तार कार्य की राशि रू. 14.4 (3.6 X4) लाख से अधिक है तो अतिरिक्त प्राक्कलित राशि रू.1.6 (16–14.4) लाख की राशि इन 30 आवेदकों से उनके भार के समानुपात में रू.3000 प्रति किलोवाट की दर से आकलित राशि से अतिरिक्त ली जायेगी।

वितरण ट्रांसफर्मर का स्थान सभी 100 प्लाटों के भार को ध्यान में रख कर भार केन्द्र के आधार पर तय किया जायेगा परन्तु ट्रांसफर्मर की क्षमता वर्तमान के 30 आवेदकों के भार के आधार पर तय की जायेगी।

तत्पश्चात 100 प्लाटों में से विद्युत आपूर्ति हेतु आने वाले आवेदकों को रू.3000 प्रति किलोवाट की दर से राशि जमा करनी होगी भले ही लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न पड़े।

भविष्य में इन 100 प्लाटों में से आने वाले संयोजन में यदि लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता होती है तो ऐसी ही प्रक्रिया अपनानी होगी।

संग्लन प्रपत्र 13 (बी)

कंडिका 4.56 संबंधी उदाहरण – छोटे/गृह उद्योगों को विद्युत आपूर्ति

मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में 15 हार्सपावर के हालर/आटा चक्की हेतु आवेदन प्राप्त होता है जिसके लिये लाइन विस्तार कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू.80000 होती है यदि आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र हेतु औसत दर रू.3500 प्रति हार्सपावर हो तो आवेदक द्वारा लाइन विस्तार कार्य हेतु देय राशि रू.52500 (3500 x 15) होगी।

चूंकि लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रू.80000 जो कि अनुमति योग्य राशि रू. 105000 (52500 x 2) से कम है अत आवेदक से लाइन विस्तार कार्य हेतु रू.52500 प्राप्त कर लाइन विस्तार कार्य किया जा सकता है।

यदि लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रू.1.2 लाख होती है जो कि लाइन विस्तार हेतु अनुमति योग्य राशि अर्थात रू.1.05 लाख से अधिक है तो अतिरिक्त राशि रू.0.15 (1.2–1.05) लाख आवेदक द्वारा रू.52500 के अतिरिक्त लाइन विस्तार कार्य हेतु देय होगा।

भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में अन्य आने वाले छोट/लघु उद्योग के लिये रू. 3500 प्रति हार्सपावर की दर से आवेदक द्वारा लाइन विस्तार कार्य राशि जमा की जायेगी भले ही उसके लिये लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.